राज्य के वित्त पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

http://www.cag.gov.in

विषयसूची

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	–	v
कार्यकारी सारांश	–	vii
पहला अध्याय		
राज्य सरकार के वित्त		
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	3
राजस्व प्राप्तियां	1.3	6
संसाधनों का उपयोग	1.4	11
व्यय की गुणवत्ता	1.5	18
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.6	23
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.7	26
ऋण धारणीयता	1.8	28
राजकोषीय असंतुलन	1.9	30
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	1.10	33
अध्याय दूसरा		
वित्तीय प्रबन्धन एवं बजट नियंत्रण		
परिचय	2.1	35
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	35
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	36
विभागीय अंकड़ों का मिलान न करना	2.4	43
व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का परिचालन	2.5	44
बजटीय प्रक्रिया में त्रुटियां	2.6	44
चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.7	45
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	2.8	48
तीसरा अध्याय		
वित्तीय विवरण		
प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	49
स्वायत निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2	49
दुर्विनियोजन, हानियां, चूकें आदि	3.3	50
निष्कर्ष	3.4	51

परिशिष्ट

परिशिष्ट नं0	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों का ढांचा तथा प्रपत्र	-	53
	भाग-ख: वित्त लेखों का प्रदर्शन	-	53
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति	1.5.1	54
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005	-	56
	भाग-ग: राज्य के स्वकीय राजकोषीय शुद्धि पथ के प्रतिफल सूचक	-	57
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3 एवं 1.7.2	59
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1 एवं 1.7.1	63
	भाग-ख: 31 मार्च 2009 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1 एवं 1.7.1	66
परिशिष्ट-1.5	2008-09 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/स्कीमों के अन्तर्गत राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.2	68
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचत प्रत्येक़ एक करोड़ रू0 से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी	2.3.1	77
परिशिष्ट-2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक एक करोड़ रू0 से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	2.3.2	78
परिशिष्ट-2.3	गत वर्षों के प्रावधान से आधिक्य जिसका नियमन किया जाना अपेक्षित है	2.3.6	79
परिशिष्ट-2.4	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 10 लाख रू0 अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.8	80

परिशिष्ट नं0	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट–2.5	विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक एक करोड़ रू0 से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.8	81
परिशिष्ट–2.6	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.9	82
परिशिष्ट–2.7	वर्ष के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण की समीक्षा के परिणाम	2.3.11	83
परिशिष्ट–2.8	एक करोड़ रू0 एवं इससे अधिक जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया की बचत का विवरण	2.3.11	84
परिशिष्ट–2.9	31 मार्च, 2009 को 10 करोड़ रू0 से अधिक में निधियों के अभ्यर्पण के मामले	2.3.11	85
परिशिष्ट–2.10	वास्तविक बचतों के आधिक्य में अभ्यर्पण (50 लाख रू0 अथवा इससे अधिक)	2.3.12	86
परिशिष्ट–2.11	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.13	87
परिशिष्ट–2.12	वर्ष 2005–09 के लिए लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल	2.4.1	89
परिशिष्ट–2.13	31 मार्च, 2009 को विपरीत/नकारात्मक शेषों को दर्शाने वाली विवरणी	2.5 (iii)	90
परिशिष्ट–3.1	31 मार्च, 2009 तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	3.1	91
परिशिष्ट–3.2	स्वायत निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाली विवरणी	3.2	94
परिशिष्ट–3.3	दुर्विनियोजन, जालसाजी, आदि के मामलों का विभागीयवार/अवधिवार ब्यौरा	3.3	95
परिशिष्ट–3.4	चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के सम्बन्ध में विभाग/श्रेणीवार विवरण	3.4	96

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के क्रमश: अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जांच से उजागर मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

3. अध्याय II 'वित्तीय विवरण' चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों सहित विहंगावलोकन तथा राज्य सरकार की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई टिप्पणियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों से समाविष्ट प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया गया है।

5. लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में अपने "राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम" के विधि-निर्माण द्वारा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रतिक्रिया की। इसने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए विकास स्थिरता को प्राप्त करने के दीर्घकालीन लक्ष्य सहित मध्यावधि में राजकोषीय शुद्धि पथ द्वारा एक सुधार कार्यसूची को निर्दिष्ट किया। इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को तत्पश्चात् बजट में उद्घोषित की गई कुछ नीति प्राथमिकताओं में अधिकांशतया प्रतिबिंबित किया गया है। जबकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधान के लाभों को मुख्य घाटा सूचकों, आदि में कटौती राज्य सरकार के वैट लागू करने के संकल्प के रूप में पहले ही अधिकतम सीमा तक अनुभव किया जा चुका है, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता का सुधार करने के लिए तथा राजकोषीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यावश्यक 'राजकोषीय अंतराल' का निर्माण करने में नई पैंशन स्कीम को आरम्भ करने से अधिक लाभ होगा।

राज्य सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता एवं दायित्व पर संस्थागत तन्त्र को स्थापित करने में बहुत अच्छा कार्य किया है जैसाकि वर्ष प्रतिवर्ष बजट परिणाम से स्पष्ट होता है। ये प्रतिफल सूचक लक्ष्यों के प्रति विभागवार निष्पादन मापन कार्य के सीमित उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्रसर करते हैं। तथापि, ये राज्य विधायिका तथा अन्य पणधारियों के लाभ हेतु ऋण स्थिति तथा रोकड़ प्रबन्धन, आदि सहित वित्तीय प्रबन्धन की स्थिति का 'विशाल चित्र' प्रस्तुत नहीं करते है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस अन्तर को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधान के तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए सरकार के वित्त पर टिप्पणियां की जा चुकी हैं तथा पहले ही तीन प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं। चूंकि ये टिप्पणियां सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग है, यह अनुभव किया गया कि राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्थूल समिति में निगोपन रहे। इसमें सब कुछ जानबूझकर परन्तु समस्त समावेशित सूचना का स्पष्ट परिणाम था कि इन निष्कर्षों के वित्तीय प्रबन्धन भाग की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर केन्द्र-स्तर तक राज्य के वित्त को लाने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए राज्य सरकार के वित्त पर एकाकी प्रतिवेदन को इस चुनौती के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर माना गया है। तदनुसार प्रतिवेदन वर्ष 2009 से आगे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने "राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन" शीर्षक से एक पृथक खण्ड प्रकाशित करने का निर्णय लिया है।

प्रतिवेदन

मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा तैयार की गई है। प्रतिवेदन की रचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा इसमें 31 मार्च 2009 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण किया गया है। इसमें ऑफ बजट के माध्यम से राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे के अतिरिक्त वचनबद्ध व्यय, उधार प्रतिरूप की प्रवृत्तियों में सूक्ष्म दृष्टि प्रदान की गई है।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा ढंग जिसमें आवंटित संसाधनों को सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा व्यवस्थित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय 3 विभिन्न सूचना अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली सहित हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुपालना की एक वस्तुसूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में अनेक संसाधनों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त डाटा को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राजकोषीय शोधन हेतु विवरणी: घाटा लक्ष्यों को प्राप्त करने में हिमाचल प्रदेश सरकार के आरम्भिक लाभ को चालू वर्ष में बाधा पहुंची क्योंकि राज्य सभी मूल राजकोषीय पैरामीटरों अर्थात् राजस्व (130 करोड़ रू0), राजकोषीय (2,778 करोड़ रू0) तथा प्राथमिक (384 करोड़ रू0) में राजस्व व्यय (13.8 प्रतिशत) में अत्यधिक वृद्धि के प्रति राजस्व प्राप्तियों में (1.8 प्रतिशत) आंशिक वृद्धि के कारण घाटे में जा चुका है। भारत सरकार से प्राप्त कर-भिन्न राजस्व तथा सहायता अनुदान दोनों कम हो गये थे जिसके कारण 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की कम वसूली हुई। छठे वेतन आयोग के अधिनिर्णय से भी वचनबद्ध व्यय पर प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य बेहतर कर अनुपालना, कर संग्रहण लागतों में कमी, राजस्व बकायों के संग्रहण में ध्यान केन्द्रित करने तथा अनुत्पादक व्यय में कमी द्वारा संयुक्त प्रयास से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के लक्ष्यों को अभी भी प्राप्त कर सकता है।

विकास व्यय हेतु पर्याप्त दवाब: हिमाचल प्रदेश में सकल व्यय के प्रति विकास व्यय का अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है तथा इस प्रकार उच्चतर राजकोषीय प्राथमिकता की आवश्यकता है। इसके लिए विकासात्मक परिणामों का निर्धारण करने के लिए व्यय का उपयोग करने हेतु राज्य की क्षमता का पुन:अवलोकन करने की आवश्यकता है यदि इसे स्कीमों के बेहतर अभिकल्प, प्रशासनिक लागतों में कमी, समय पर कार्यान्वयन, शीघ्रतम अनुश्रवण आदि द्वारा सुधारा जा सके। अधूरी परियोजनाओं की लागत एवं समयवृद्धि कमजोर नियन्त्रण प्रणाली के अनिवार्य उप-परिणाम हैं। राज्य इस क्षेत्र में आगे और सुधारों की ओर कार्य कर सकता है ताकि लोग यथाशीघ्र समय में परिकल्पित लाभों को उठा सकें।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: विगत पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार की सांविधिक निगमों/बोर्डों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में निवेशों पर औसत आय 1.1 प्रतिशत थी जबकि इसका औसत ब्याज व्यय 9.5 प्रतिशत था। यह स्पष्टतया असमर्थनीय स्थिति है। इसलिए राज्य सरकार को निवेशों में धन हेतु बेहतर

मूल्य तलाशने में शीघ्रता करनी चाहिए। अन्यथा कम वित्तीय आय सहित परियोजनाओं में निवेश की गई उच्च लागत उधार निधियां अर्थव्यवस्था के लिए लगातार हानि पहुंचाती रहेंगी। परियोजनाएं जो कम वित्तीय आय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक आय के कारण न्यायसंगत है, की पहचान की जाये तथा उच्च-लागत उधार हेतु पूर्णन्यायोचितता के साथ प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार को राज्य स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो भारी हानियां उठा रहे हैं, के कार्यचालन का पुन:निरीक्षण करने की आवश्यकता है तथा या तो पुनरूद्धार योजना (उनके लिए जो प्रकृति के महत्व की हैं तथा व्यवहार्य बनाई जा सकती हैं) अथवा बन्द करने (यदि उन्हें दी गई चालू बाजार स्थितियों में व्यवहार्य बनाये जाने की सम्भावना नहीं है) की योजना बनाने की आवश्यकता है।

विवेकी रोकड़ प्रबन्धन: अधिशेष रोकड़ शेष रखने की लागत उच्च सूचित की गई है। 2008-09 में भारतीय रिजर्व बैंक के खजाना बिलों तथा नीलामी बिलों में रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज केवल 1.2 प्रतिशत था जबकि सरकार ने उधार 9.19 प्रतिशत की औसत दर पर लिया था। विकसित योजना द्वारा उपयुक्त ऋण प्रबन्धन से दीर्घ रोकड़ अधिशेष रखने की आवश्यकता को कम किया जा सकता है।

ऋण धारणीयता: हिमाचल प्रदेश सरकार को 2009-10 तक 31 प्रतिशत की ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए जैसाकि बारहवें वित्त आयोग/राजकोषीय सुधार विधान में निर्दिष्ट है। उधार निधियों को जहां तक सम्भव हो केवल पूंजीगत व्यय के निधियन हेतु उपयोग करना चाहिए तथा राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से पूरा करना चाहिए। प्राथमिक अधिशेषों एवं शून्य राजस्व घाटे को राज्य को वापिस करने के लिए शीघ्रतम प्रयास किये जाने चाहिए। राजकोषीय वर्ष के अन्त में संग्रहण से बचने के लिए उधारों की विवरणी का अनुरक्षण करने तथा ऋण भुगतानों की परिपक्वता रूपरेखा के स्पष्ट ज्ञान से विवेकी ऋण प्रबन्धन में अधिक लाभ होगा।

भारत सरकार से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित की गई निधियों का अतिक्रम: बजट के माध्यम से बाहर कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होने वाली निधियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन पारदर्शिता की अपेक्षाओं तथा इस प्रकार उपमार्ग उत्तरदायित्व का निरोध करती है। इसके उपयोग का अनुश्रवण करने वाला कोई एकल अभिकरण नहीं है तथा मुख्य ध्वजपोत एवं अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों पर किसी विशेष वर्ष में व्यय की गई राशि पर तुरन्त कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। इन निधियों का उपयुक्त लेखांकन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली आवश्यक रूप से बनानी होगी तथा अद्यतन सूचना राज्य सरकार एवं महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा वैधीकृत की जानी होगी।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण: राज्य में कार्यक्रम कार्यान्वय की धीमी गति से 801.61 करोड़ रू0 की समग्र बचत हुई जिसमें 556.52 करोड़ रू0 के अधिक्य से प्रतिसंतुलित सम्मिलित है; इसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 2005 के अन्तर्गत नियमन कराया जाना अपेक्षित है। 'लोक निर्माण' एवं 'पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य' क्षेत्रों में विगत पांच वर्षों से निरन्तर दीर्घ आधिक्य दर्ज किये गये। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक/अधिक

पुनर्विनियोजन के दृष्टांत भी पाये गये। वर्ष के अन्त में व्यय का तीव्र प्रवाह समग्र वित्तीय प्रबन्धन में पाई गई दूसरी पुरानी विशेषता है। अनेक मामलों में बचत का या तो अभ्यर्पण नहीं किया गया अथवा वर्ष के आखिरी दिवस पर अभ्यर्पण किया गया जिससे अन्य विकास प्रयोजनों हेतु इन निधियों का उपयोग करने की सम्भावना नहीं बची थी। वित्तीय प्रबंध में ऐसी कमियों से बचने के लिए बजटीय नियंत्रण का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण: राज्य सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों के बारे में अनुपालना असंतोषजनक थी जैसाकि विभिन्न अनुदानग्राही संस्थानों से ऋणों एवं अनुदानों के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब से स्पष्ट होता है। कुछ स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में भी विलम्ब दृष्टिगोचर हुआ। हानियों तथा दुर्विनियोजन के दृष्टांत भी पाये गये, अत: सभी संगठनों में ऐसे मामलों को भविष्य में रोकने के लिए आंतरिक नियन्त्रण का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

पहला अध्याय
राज्य सरकार के वित्त

1. राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृष्य प्रदान करता है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका-1.1 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2008-09) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रदर्शित करती है जबकि *परिशिष्ट-1.4* चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति सहित प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका-1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

(करोड़ रूपए)

2007-08	प्राप्तियां	2008-09	2007-08	संवितरण	2008-09		
प्रवर्ग-क: राजस्व					गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़
9,142	राजस्व प्राप्तियां	9,308	8,292	राजस्व व्यय	8,561	877	9,438
1,958	कर राजस्व	2,242	3,429	सामान्य सेवाएं	3,887	31	3,918
1,823	कर-भिन्न राजस्व	1,756	2,876	सामाजिक सेवाएं	2,898	434	3,332
794	संघीय करों/शुल्कों का अंश	838	1,984	आर्थिक सेवाएं	1,772	412	2,184
4,567	भारत सरकार से अनुदान	4,472	3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	--	4
प्रवर्ग-ख: पूंजीगत							
--	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	--	**1,414**	**पूंजीगत परिव्यय**	**87**	**1,992**	**2,079**
26	**ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां**	**21**	**14**	**संवितरित ऋण एवं अग्रिम**	**76**	**14**	**90**
1,849	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**2,249**	**936**	**लोक ऋण की चुकौती**	**885**	--	**885**
--	**आकस्मिकता निधि**	--	--	**आकस्मिकता निधि**	--	--	--
6,223	**लोक लेखा प्राप्तियां**	**6,760**	**5,737**	**लोक लेखा संवितरण**	**5,690**	--	**5,690**
(-) 24	**अथ रोकड़ शेष**	**823**	**823**	**अन्त रोकड़ शेष**			**979**
17,216	**जोड़**	**19,161**	**17,216**	**जोड़**			**19,161**

विगत वर्ष (2007-08) की अपेक्षा 2008-09 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय/संवितरणों में निम्नवत् महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं:

- विगत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियां 166 करोड़ रू0 (1.8 प्रतिशत) तक बढ़ गई। आंशिक वृद्धि मुख्यतया कर राजस्व (284 करोड़ रू0) तथा केन्द्रीय कर अंतरणों (44 करोड़ रू0) के योगदान से हुई जो कर-भिन्न राजस्व (67 करोड़ रू0) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (95 करोड़ रू0) के अन्तर्गत कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित की गई। तथापि, 9,308 करोड़ रू0 पर राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय शुद्धि पथ[α] में किये गये निर्धारण (7,025 करोड़ रू0) की तुलना में यह 2,283 करोड़ रू0 तक अधिक थी परन्तु वर्ष 2008-09 के लिए मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी[#] (9,398 करोड़ रू0) में किये गये निर्धारण की तुलना में 90 करोड़ रू0 तक कम थी।

[α] एफसीपी-राजकोषीय शुद्धि पथ

[#] एमटीएफपीएस-मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी

- 2008-09 के दौरान विगत वर्ष की अपेक्षा राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में क्रमश: 1,146 करोड़ रू0 (14 प्रतिशत) तथा 665 करोड़ रू0 (47 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2008-09 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय घटक में 1,471 करोड़ रू0 (21 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई जबकि योजनागत राजस्व व्यय में 325 करोड़ रू0 (27 प्रतिशत) की कमी हुई।
- विगत वर्ष की अपेक्षा में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों में 5 करोड़ रू0 तक की कमी हुई जबकि इनके संवितरण में 76 करोड़ रू0 तक की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियां 400 करोड़ रू0 तक बढ़ गई जबकि इनकी चुकौतियों में 51 करोड़ रू0 तक की कमी हुई।
- विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियां 537 करोड़ रू0 तक बढ़ गई तथा संवितरण 47 करोड़ रू0 तक कम हो गए।
- 2008-09 के अन्त में रोकड़ अन्तशेष में 823 करोड़ रू0 (2007-08) से 979 करोड़ रू0 तक 156 करोड़ रू0 (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2008-09 हेतु उपलब्धियों की तुलना में राजकोषीय शुद्धि पथ एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये प्रक्षेपणों सहित हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 में निर्धारित चयनित परिवर्तनों हेतु स्थापित मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों के संदर्भ में 2008-09 के दौरान राज्य का निष्पादन तालिका-1.1क में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका-1.1क

(करोड़ रूपए)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम/ बारहवें वित्तायोग में प्रक्षेपण	में राज्य सरकार द्वारा किया गया प्रक्षेपण		वास्तविक	की अपेक्षा वास्तविक की प्रतिशतता भिन्नता		
		मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरणी	राजकोषीय शुद्धि पथ		बारहवें वित्तायोग[1]	मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरणी	राजकोषीय शुद्धि पथ
स्वकीय कर राजस्व	2,203	2301	1783	2242	*	2.56	*
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व	592	1232	732	1756	*	*	*
गैर योजनागत राजस्व व्यय	5507	8541	6088	8561	55	*	41
पूंजीगत व्यय	--	1779	915	2079	--	17	127
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	0.0 (2008-09 तक)	(+) 0.74	(-) 6.19	(-) 1.40	1.40	2.14	7.59
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+) की प्रतिशतता	3 .0 (2008-09 तक)	5.37	4.09	(-) 6.17	9.17	11.54	10.26
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में समेकित ऋण (प्रत्याभूतियों सहित) की प्रतिशतता	31 (2009-10 तक)	63	78	65	34	2	*
विगत वित्तीय वर्ष के राज्य की राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में बकाया प्रत्याभूतियों की प्रतिशतता	80	23	70	25	*	*	*

* लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए।

यद्यपि राज्य ने 850 करोड़ रू0 के राजस्व अधिशेष सहित समयसीमा से पहले वर्ष 2007-08 में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, राजकोषीय शुद्धि पथ एवं बारहवें वित्तायोग में जैसा निर्धारित किया गया

1 टीएफसी-बारहवां वित्त आयोग।

है राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के लिए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, तथापि, चालू वर्ष (2008-09) में राज्य का राजस्व घाटे में चला गया (130 करोड़ रू0) अर्थात् राजस्व प्राप्तियों एवं राजकोषीय घाटे का (-) 1.40 प्रतिशत 1726 करोड़ रू0 2007-08 में 552 करोड़ रू0 से चालू वर्ष में 2,278 करोड़ रू0 तक बढ़ गया था अर्थात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.17 प्रतिशत जो प्रक्षेपणों की तुलना में बहुत अधिक था तथा राज्य के लिए एक गतिरोध था जो हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर था। समेकित ऋण जैसेकि 2009-10 तक बारहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्य की 65 प्रतिशत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता से बहुत अधिक था जो प्राप्त किया जाना असम्भव दिखाई पड़ता है। गैर-योजना राजस्व व्यय बारहवें वित्तायोग एवं राजकोषीय शुद्धि पथ में किये गये प्रेक्षपणों की अपेक्षा क्रमश: 55 एवं 41 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों हेतु बजट आकलनों एवं वास्तविकों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.1 चयनित राजकोषीय पैरामीटर : वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन

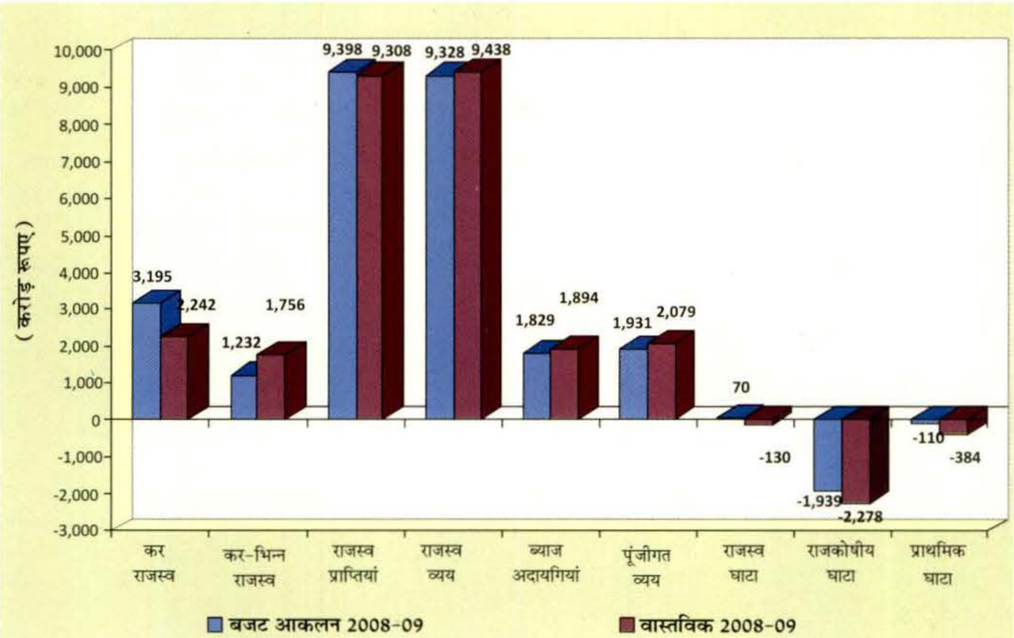

चार्ट 1.1 चित्रित करता है कि आकलित बजट के प्रति वास्तविक कर राजस्व 953 करोड़ रू0 (43 प्रतिशत) तथा राजस्व प्राप्तियां 90 करोड़ रू0 तक कम हो गई। 2008-09 के दौरान राजस्व व्यय आकलित 9,328 करोड़ रू0 (1.18 प्रतिशत) के प्रति 9,438 करोड़ रू0 था। 70 करोड़ रू0 के राजस्व अधिशेष के आकलन के प्रति चालू वर्ष के दौरान 130 करोड़ रू0 का घाटा था। 1,939 करोड़ रू0 तथा 110 करोड़ रू0 के आकलित राजकोषीय घाटे तथा प्राथमिक घाटे के प्रति क्रमश: 2,278 करोड़ रू0 एवं 384 करोड़ रू0 के राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा था।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों का राज्यांश तथा शुल्कों एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान का समावेश होता है।

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसेकि विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा लोक लेखे से वास्तविकों सहित भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों का समावेश होता है। तालिका-1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसेकि इसके वार्षिक वित्त लेखों में अभिलिखित की गई है जबकि चार्ट 1.2 राज्य के 2004-09 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति का चित्रांकन करता है। चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्रोतों के संयोजन का चित्रांकन करता है।

चार्ट 1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्ति

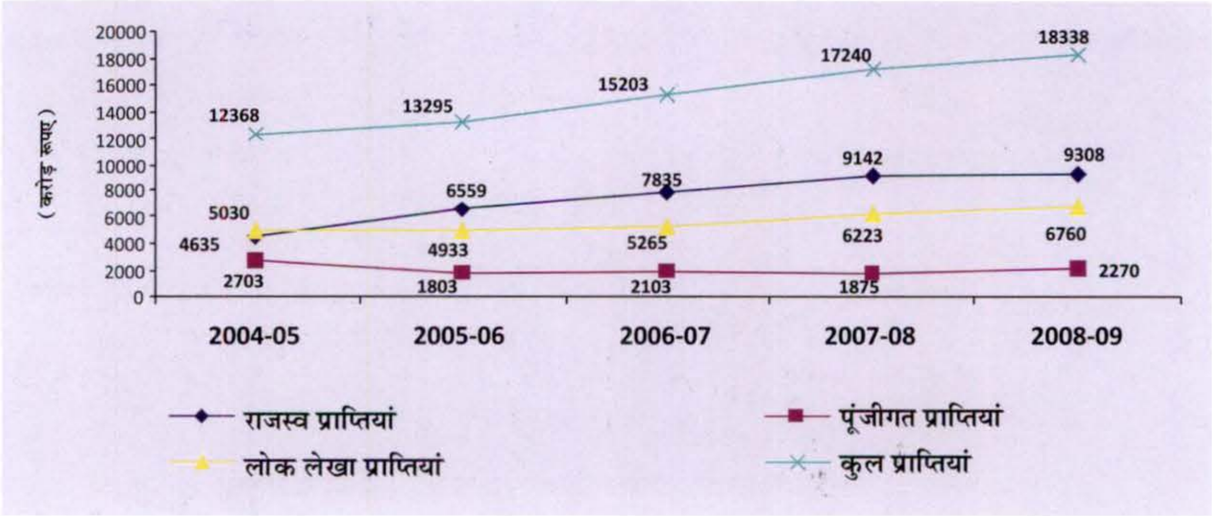

चार्ट 1.3: 2008-09 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन

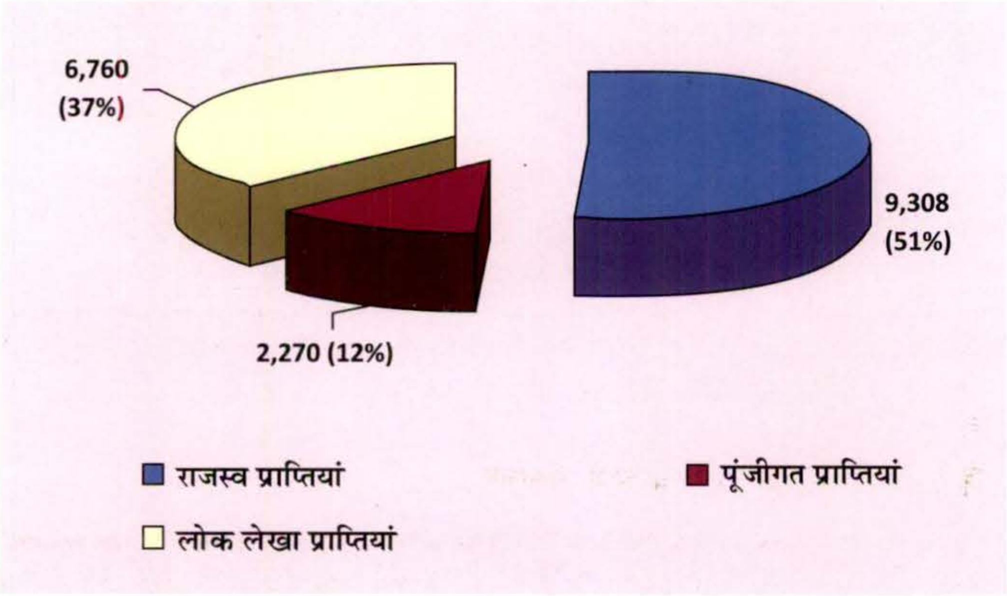

उपरोक्त चार्ट प्रदर्शित करते हैं कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में 17,240 करोड़ रू0 से 18,338 करोड़ रू0 तक 6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जिसमें से 51 प्रतिशत (9,308 करोड़ रू0) राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त हुए, शेष 49 प्रतिशत उधारों (12 प्रतिशत) तथा लोक लेखे (37 प्रतिशत) से प्राप्त हुए। राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 2004-05 में 37 प्रतिशत से 2008-09 में 51 प्रतिशत तक बढ़ गया। दूसरी ओर पूंजीगत प्राप्तियां (बाजार उधारों एवं एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) लोक लेखा प्राप्ति सहित 2004-09 के दौरान कुल प्राप्तियों के 47 एवं 63 प्रतिशत के मध्य थी। राजस्व प्राप्तियां 2004-05 में 4,635 करोड़ रू0 से 2008-09 में 9,308 करोड़ रू0 तक 101 प्रतिशत तक शीघ्र बढ़ गई जबकि ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जो भविष्य में चुकौती दायित्वों का सृजन करती हैं, में अन्तर वर्षीय उत्तार-चढ़ाव दिखाई दिया तथा 2004-05 में 2,703 करोड़ रू0 (कुल प्राप्तियों का 22 प्रतिशत) से 2008-09 में 2,270 करोड़ रू0 (कुल प्राप्तियों का 12 प्रतिशत) तक घट गईं। 2005-06 के अतिरिक्त लोक लेखा प्राप्तियां 2004-05 में 5,030 करोड़ रू0 से 2008-09 में 6,760 करोड़ रू0 तक कुल प्राप्तियों का 35 तथा 41 प्रतिशत के मध्य शीघ्रता से बढ़ गईं।

1.2.2 राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई निधियां

केद्रीय सरकार चिन्तनीय पहचानित सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों[2] को काफी बड़ी मात्रा में निधियों का अंतरण कर रही है। क्योंकि इन निधियों को राज्य बजट/राज्य कोष प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजा जाता है वार्षिक वित्त लेखे इन निधियों के प्रवाह को चित्रित नहीं करते हैं तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय तथा उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय परिवर्तनों/पैरामीटरों का कम आकलन होता है। 2008-09 के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों (*परिशिष्ट-1.5* में विवरणित) को प्रत्यक्ष रूप से 977.66 करोड़ रू0 की राशि का अंतरण किया। इस आंकड़े को अभी तक कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सत्यापित किया जाना है। मुख्य कार्यक्रम/स्कीम को दी गई महत्वपूर्ण राशियों को तालिका-1.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.2: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियां

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	2008-09 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधि
1.	सर्व शिक्षा अभियान	मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	85.53
2.	आयुष एवं लोक स्वास्थ्य	चिकित्सा एवं होम्योपैथी के भारतीय पद्धति का विभाग	26.31
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	57.79
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	411.15
5.	इन्दिरा आवास योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	21.91
6.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	13.67
7.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	5.72

[2] राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठनों सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन।

8.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	उपायुक्त	14.00
9.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	प्रमुख अभियन्ता	14.82
10.	राष्ट्रीय ई-गवॅर्नन्स कार्य योजना	हिमाचल प्रदेश सरकार	88.94
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर	25.66
12.	उत्तर-पूर्व के अतिरिक्त विशिष्ट राज्य वर्ग के लिए पैकेज	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	65.23
13.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	वन विकास अभिकरण	7.83
14.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा शिमला	7.54
15.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	प्रमुख अभियन्ता	33.58
16.	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम डीपीएपी/डीडीपी/आईडब्ल्यूडीपी/डीएलआर	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	39.03
		जोड़	918.71

स्रोत: सीजीए की वेबसाईट के सीपीएसएमएस

तालिका-1.2 प्रदर्शित करती है कि 411.15 करोड़ रू0 की राशि (कुल अंतरित निधियों का 42 प्रतिशत) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम हेतु, 85.53 करोड़ रू0 (9 प्रतिशत) सर्व शिक्षा अभियान हेतु तथा 88.94 करोड़ रू0 (9 प्रतिशत) राष्ट्रीय ई-गवॅर्नन्स कार्य योजना हेतु दिये गये थे। इस प्रकार, 2008-09 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को 977.66 करोड़ रू0 के अंतरण को मिलाकर राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता 18,338 करोड़ रू0 से 19,316 करोड़ रू0 तक बढ़ गई।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों की विवरणी-11 सरकार की राजस्व प्राप्तियों को विवरणित करती है। राजस्व प्राप्तियों में इसका अपना कर तथा कर-भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। 2004-09 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं संयोजन को *परिशिष्ट-1.3* में प्रस्तुत किया गया है तथा क्रमशः चार्ट 1.4 तथा 1.5 में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

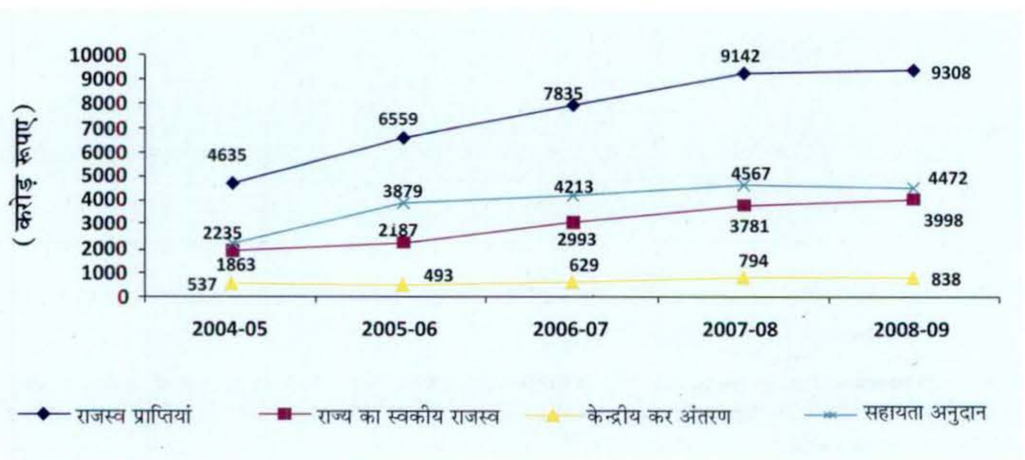

चार्ट 1.5: 2004-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन

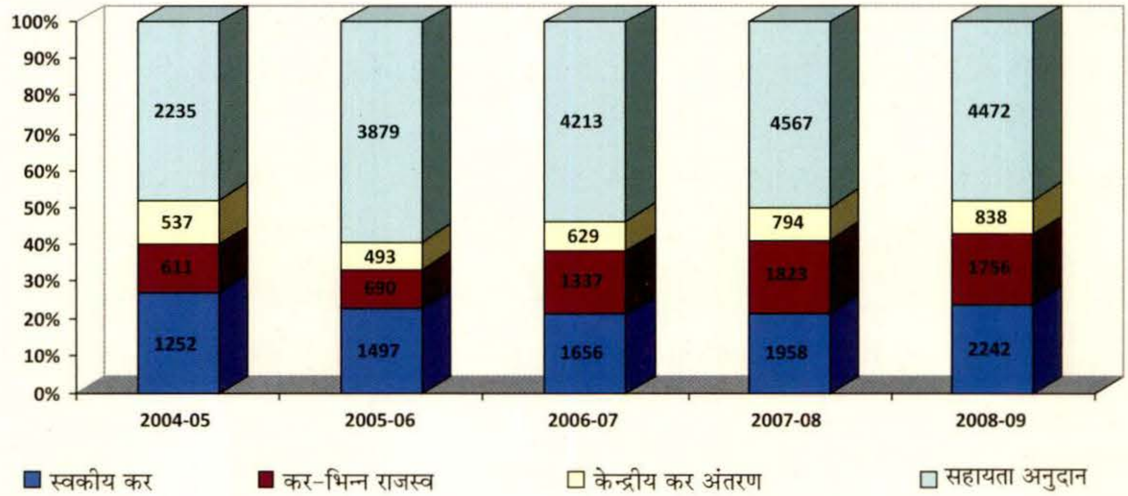

यद्यपि 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियां 24 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2004-05 में 4,635 करोड़ रू0 से 2007-08 में 9,142 करोड़ रू0 तक शीघ्रता से बढ़ी, इससे विगत वर्ष की अपेक्षा केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कर-भिन्न राजस्व के अंश एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान में विगत वर्ष की अपेक्षा क्रमश: 4 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित हुई। जबकि 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 43 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ है जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल है, शेष 57 प्रतिशत केन्द्रीय अन्तरणों द्वारा अंशदान किया गया जिसमें केन्द्रीय करों का राज्यांश एवं शुल्क (9 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (48 प्रतिशत) शामिल है।

कर राजस्व: 2004-09 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा कर राजस्व की प्रतिशतता 21 तथा 27 प्रतिशत के मध्य रही। कर राजस्व 2007-08 में 1,958 करोड़ रू0 में से 2008-09 के दौरान 2,242 करोड़ रू0 तक 15 प्रतिशत तक बढ़ गया है। 2008-09 के दौरान विगत वर्ष की अपेक्षा कर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: बिक्री कर (154 करोड़ रू0), राज्य आबकारी (43 करोड़ रू0) के कारण हुई। कर राजस्व का मुख्य हिस्सा (56 प्रतिशत) बिक्री कर के अंशदान से हुआ। यद्यपि, मूल्य वर्धित कर (वैट) से बिक्री कर राजस्व की उत्प्लावकता में वृद्धि हुई थी तथा उच्चतर संग्रहण उत्पन्न हुआ परन्तु बजट आकलन से प्रक्षेपित किये गये लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया।

कर-भिन्न राजस्व: राज्य के कर-भिन्न राजस्व में कुल राजस्व प्राप्तियों का 19 प्रतिशत शामिल है परन्तु विगत वर्ष की अपेक्षा 67 करोड़ रू0 (4 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गई। यह पाया गया कि कर-भिन्न राजस्व का 81 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं से प्राप्त हुआ तथा इस श्रेणी में अकेले विद्युत क्षेत्र से चालू वर्ष के दौरान 88 प्रतिशत (1,255 करोड़ रू0) का अंशदान प्राप्त हुआ। इस वर्ष पानी की कमी तथा संयंत्र की विफलता के कारण विद्युत क्षेत्र से बिजली का कम उत्पादन होने के कारण 159 करोड़ रू0 का कम राजस्व था। 2008-09 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम (89 करोड़ रू0) द्वारा लाभांश जारी करने के कारण ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

केन्द्रीय कर अंतरण: केन्द्रीय कर अंतरणों में 2007-08 में 794 करोड़ रू0 से 2008-09 में 838 करोड़ रू0 तक 44 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 9 प्रतिशत संस्थापित हुआ। वृद्धि मुख्यतया

निगम कर (22.76 करोड़ रू0), सेवा कर (11.70 करोड़ रू0) तथा सीमा शुल्क (10.09 करोड़ रू0) में वृद्धि के कारण हुई।

सहायता अनुदान: भारत सरकार से सहायता अनुदान 2007-08 में 4,567 करोड़ रू0 से 2008-09 में 4,472 करोड़ रू0 तक मुख्यतया राजस्व घाटा अनुदानों की कम प्राप्ति तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु वार्षिक केन्द्रीय सहायता की भी कम प्राप्ति होने के कारण 95 करोड़ रू0 तक घट गई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां नीचे तालिका-1.3 में प्रदर्शित की गई हैं:

तालिका-1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रूपए)	4,635	6,559	7,835	9,142	9,308
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.43	41.51	19.45	16.68	1.82
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.09	25.75	27.63	28.59	25.20
उत्प्लावकता अनुपात[3]					
सकल घरेलू राज्य अनुपात से सम्बन्धित राजस्व उत्प्लावकता	1.451	3.980	1.717	1.308	0.117
सकल घरेलू राज्य अनुपात से सम्बन्धित राज्य की स्वकीय कर उत्प्लावकता	2.45	1.87	0.94	1.43	0.93

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की कम प्राप्ति के कारण विगत वर्ष (16.7 प्रतिशत) की अपेक्षा 2008-09 के दौरान केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व तथा राज्य के अपने कर के उत्प्लावकता अनुपात विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान क्रमशः 1.3 से 0.1 तक तथा 1.4 से 0.9 तक भी कम हुआ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रति एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु राजस्व केवल 0.1 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राज्य के अपने करों में 0.93 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई यह प्रदर्शित करते हुए कि राज्य में कर प्रयासों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

1.3.1 राज्य के स्वकीय संसाधन

केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्यांश की गणना वित्तायोग की सिफारिशों, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण तथा योजना स्कीमों आदि हेतु केन्द्रीय सहायता के आधार पर की जाती है, अतिरिक्त संसाधनों के संघटन में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके अपने संसाधनों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें इसके स्वकीय कर एवं कर-भिन्न संसाधनों से राजस्व शामिल है।

कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 2004-05 में 1,252 करोड़ रू0 से 2008-09 में 2,242 करोड़ रू0 तक 23 प्रतिशत वार्षिक औसत दर पर बढ़ा। 2008-09 के दौरान राज्य के स्वकीय कर में मुख्य अंशदाता बिक्री पर कर, व्यापार आदि: 1,246 करोड़ रू0 (कर राजस्व का 56 प्रतिशत), राज्य आबकारी: 4.32 करोड़ रू0 (कर राजस्व का 19 प्रतिशत), वाहन कर: 136 करोड़ रू0 (कर राजस्व का

---

[3] उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत परिवर्तन में दिये गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय परिवर्तन के लचीलेपन अथवा उत्तरदायित्व के स्तर को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 प्रतिशत पर राजस्व उत्प्लावकता सूचित करती है कि राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशत बिन्दू तक बढ़ती है यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक प्रतिशत तक बढ़ता है।

छः प्रतिशत), स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीसः 98 करोड़ रू0 (कर राजस्व का चार प्रतिशत) तथा माल व यात्री करः 62 करोड़ रू0 (कर राजस्व का तीन प्रतिशत) है। बिक्री कर, व्यापार आदि के संग्रहण में विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 में मुख्यतः वैट के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति, शराब की बिक्री तथा भूमि की बिक्री के कारण 154 करोड़ रू0 तक की वृद्धि हुई।

कर-भिन्न राजस्व

दूसरी ओर कर-भिन्न राजस्व में 2004-05 में 611 करोड़ रू0 से 2007-08 में 1,823 करोड़ रू0 तक 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर अनुकूल वृद्धि दिखाई दी परन्तु विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान 1,756 करोड़ रू0 तक चार प्रतिशत तक की कमी हुई। राज्य के कर-भिन्न राजस्व में 2008-09 के दौरान मुख्य अंशदाता विद्युत क्षेत्रः 1,255 करोड़ रू0 (कर-भिन्न राजस्व का 72 प्रतिशत), ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभः 167 करोड़ रू0 (कर-भिन्न राजस्व का 10 प्रतिशत) है। कर-भिन्न राजस्व में यह कमी मुख्यतः पॉवर क्षेत्र के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण थी।

बारहवें वित्तायोग तथा राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय शुद्धि पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किए गए निर्धारण की तुलना में इसके स्वकीय संसाधनों के संघटन के सम्बन्ध में राज्य का निष्पादन 2008-09 हेतु निम्नवत् था।

तालिका-1.4

(करोड़ रूपए)

पैरामीटर	बारहवें वित्तायोग द्वारा किए गए निर्धारण	राजकोषीय शुद्धि पथ	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी	वास्तविक
कर राजस्व	2,203	1,783	2,301	2,242
कर-भिन्न राजस्व	592	732	1,232	1,756

राज्य सरकार द्वारा 2008-09 के लिए मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किए गए प्रक्षेपण की तुलना में राज्य के स्वकीय करों की वास्तविक वसूली 3 प्रतिशत (2,301 करोड़ रू0) तक कम थी तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां 43 प्रतिशत (1,232 करोड़ रू0) तक अधिक थी। राज्य का स्वकीय कर राजस्व बारहवें वित्तायोग (2,203 करोड़ रू0 तथा 592 करोड़ रू0) एवं राजकोषीय शुद्धि पथ (1,783 करोड़ रू0 तथा 732 करोड़ रू0) द्वारा किए गए मानकीय निर्धारणों की अपेक्षा क्रमशः 2 तथा 26 प्रतिशत तक तथा कर-भिन्न राजस्व 197 तक तथा 140 प्रतिशत तक उच्चतर था।

लागत वसूली का चालू स्तरः सरकार द्वारा माल एवं सेवाओं की आपूर्ति में लागत वसूली (राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां) का चालू स्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु 2005-06 में 1.56 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 1.71 प्रतिशत, लघु सिंचाई हेतु 2005-06 में 0.64 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 0.33 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा हेतु 2005-06 में 7.54 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 0.62 प्रतिशत, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा हेतु 2005-06 में 3.83 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 4.62 प्रतिशत, विद्युत हेतु 2005-06 में 208.38 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 1196.29 प्रतिशत तथा सड़क परिवहन हेतु 2005-06 में 0.03 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 0.18 प्रतिशत है।

1.3.2 कर के अपवंचन, बट्टे खाते में डालने/अधित्याग करने एवं प्रत्यर्पण के कारण राजस्व हानि

कर का अपवंचनः 2008-09 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग में कर के अपवंचन के मामले का विवरण नीचे उल्लिखित किया गया है:

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2008 तक लम्बित मामले	2008-09 के दौरान पाये गये मामले	कुल मामले	मामले जिनमें निर्धारण/छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा की गई शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग		31 मार्च 2009 को लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (लाख रूपए)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	50	5,812	5,862	5,765	391.27	97
2.	राज्य आबकारी	4	384	388	388	7.51	--
3.	यात्री एवं माल कर	300	2,184	2,484	2,210	58.39	274
4.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7	593	600	592	23.29	8
जोड़		**361**	**8,973**	**9,334**	**8,955**	**480.46**	**379**

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व-प्राप्तियां) 2008-09

प्रत्यर्पण: आबकारी एवं कराधान विभाग में वर्ष 2008-09 के आरम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण के मामलों की संख्या, प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पणों को नीचे उल्लिखित किया गया है:

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए)	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए)
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	29	0.74	--	--
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	20	0.77	33	0.40
3.	वर्ष के दौरान किया गया प्रत्यर्पण	26	0.90	33	0.40
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	23	0.61	--	--

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व-प्राप्तियां) 2008-09

1.3.3 राजस्व बकाया

राजस्व बकाया 2005-06 में 397 करोड़ रू0 से 2008-09 के अंत में 568.60 करोड़ रू0 तक 171.60 करोड़ रू0 बढ़ गया। इनमें से 159.39 करोड़ रू0 पांच वर्षों से अधिक अवधि हेतु बकाया थे। राजस्व बकाया 2007-08 में 512.43 करोड़ रू0 से 2008-09 में 568.60 करोड़ रू0 तक 56.17 करोड़ रू0 बढ़ गया। बकाया मुख्यतया विद्युत शुल्क पर कर (120.38 करोड़ रू0), बिक्री, व्यापार/वैट आदि पर कर (120.38 करोड़ रू0), वाहन कर (109.10 करोड़ रू0), जलापूर्ति, स्वच्छता एवं लघु सिंचाई (64.59 करोड़ रू0), वानिकी एवं वन्य प्राणी (61.57 करोड़ रू0), माल व यात्री कर (13.21 करोड़ रू0), पुलिस (10.67 करोड़ रू0), राज्य आबकारी (7.87 करोड़ रू0), उद्योग (5.78 करोड़ रू0) के सम्बन्ध में थे।

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्व रखता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय जुटाने में बजटीय प्रतिबन्ध हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धि तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों को निर्दिष्ट व्यय पर नहीं है।

1.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संयोजन

चार्ट 1.6 पांच वर्षों (2004-09) की अवधि तक कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के सम्बन्ध में इसका संयोजन क्रमशः चार्ट 1.7 तथा 1.8 में चित्रित किया गया है।

चार्ट 1.6: कुल व्यय: प्रवृत्ति एवं संयोजन

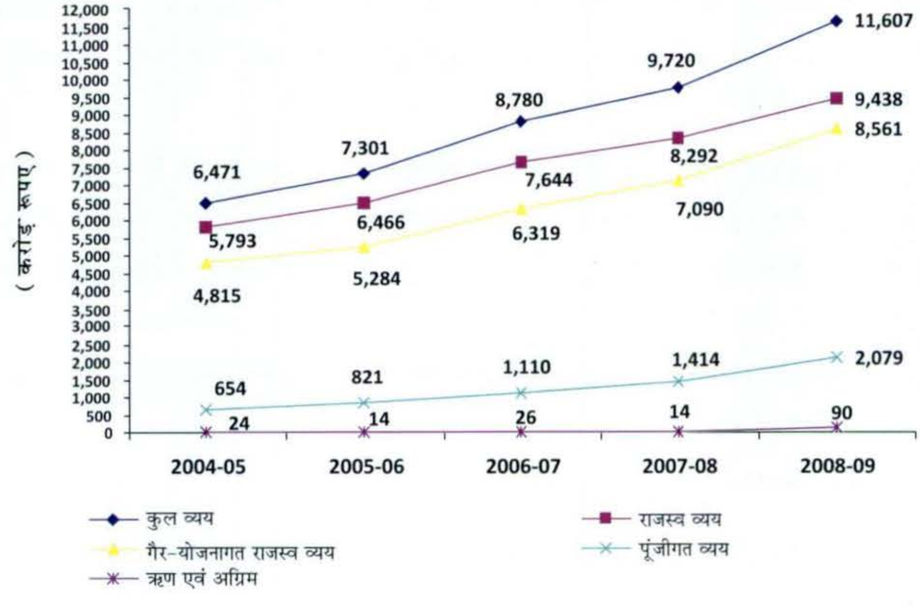

वित्त लेखे की विवरणी-12 लघु शीर्ष द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय तथा दीर्घ शीर्ष द्वारा पूंजीगत व्यय को चित्रित करती है। राज्य अपने प्रभुसत्ता-सम्पन्न कार्यों को पूरा करने, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को प्रदान करने के अपने विद्यमान स्वरूप का अनुरक्षण करने, पूंजीगत व्यय एवं निवेशों द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का प्रसार करने तथा अपने ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाते हैं। राज्य का कुल व्यय 2004-05 में 6,471 करोड़ रू0 से 2008-09 में 11,607 करोड़ रू0 तक 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर तक बढ़ गया तथा विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 में 19 प्रतिशत (1,887 करोड़ रू0) तक बढ़ गया। इसमें से राजस्व व्यय 2004-05 में 5,793 करोड़ रू0 से 2008-09 में 9,438 करोड़ रू0 तक 11 प्रतिशत की

वार्षिक औसत दर से बढ़ गया। राजस्व व्यय में से गैर-योजना राजस्व व्यय 2004-05 में 4,815 करोड़ रू0 से 2008-09 में 8,561 करोड़ रू0 तक 13 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ गया तथा योजनागत राजस्व व्यय में अन्तरवर्षीय उतार-चढ़ाव दिखाई दिया तथा 2007-08 में 1,202 करोड़ रू0 से 2008-09 में 877 करोड़ रू0 तक घट गया। पूंजीगत व्यय 2004-05 में 654 करोड़ रू0 से 2008-09 में 2,079 करोड़ रू0 तक 24 प्रतिशत वार्षिक औसत दर पर बढ़ गया तथा विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 में 47 प्रतिशत तक बढ़ गया।

योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय के सम्बन्ध में 2008-09 के दौरान कुल व्यय के ब्यौरे से पाया गया कि गैर-योजनागत व्यय ने 8,724 करोड़ रू0 (75 प्रतिशत) के प्रमुख भाग का अंशदान किया जबकि शेष 2,883 करोड़ रू0 (25 प्रतिशत) योजनागत व्यय के रूप में था। विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान कुल व्यय में 1,887 करोड़ रू0 की वृद्धि राजस्व व्यय में 1,146 करोड़ रू0; पूंजीगत व्यय में 665 करोड़ रू0 तथा ऋणों एवं अग्रिमों में 76 करोड़ रू0 तक में वृद्धि के कारण थी।

विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतया शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (1,722.18 करोड़ रू0), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (582 करोड़ रू0), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (482.46 करोड़ रू0), सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (434.60 करोड़ रू0), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण (49.82 करोड़ रू0), सामाजिक क्षेत्र में श्रम एवं श्रम कल्याण (36.36 करोड़ रू0) तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों (823.18 करोड़ रू0), परिवहन (715.02 करोड़ रू0), ग्रामीण विकास (250.10 करोड़ रू0), आर्थिक क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (201.28 करोड़ रू0) पर व्यय के कारण थी।

यद्यपि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता हेतु विशिष्ट मानकों का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (427.60 करोड़ रू0), सामाजिक क्षेत्र में सामान्य शिक्षा (262.82 करोड़ रू0) तथा परिवहन (517 करोड़ रू0), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (230.40 करोड़ रू0) पर व्यय के कारण वृद्धि थी तथा आर्थिक क्षेत्र में पावर परियोजनाएं (299.25 करोड़ रू0) लाभार्थी क्षेत्र थे जहां पूंजीगत व्यय किया गया। ऋणों एवं अग्रिमों में 90 करोड़ रू0 (कुल व्यय का 0.78 प्रतिशत) संघटित हुए तथा विगत वर्ष की अपेक्षा पावर परियोजनाओं (75 करोड़ रू0) के लिए ऋण अग्रिमों के कारण 76 करोड़ रू0 की वृद्धि हुई।

1.4.2 क्रियाकलापों द्वारा कुल व्यय की प्रवृत्ति

क्रियाकलापों के सम्बन्ध में कुल व्यय को ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर संघटित व्यय के रूप में माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों के प्रासंगिक भाग को तालिका-1.5 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.5: व्यय घटक- प्रासंगिक अंश

(प्रतिशत)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कुल व्यय (करोड़ में)	6,471	7,301	8,780	9,720	11,607
राजस्व व्यय (करोड़ में)	5,793 (89.52)	6,466 (88.56)	7,644 (87.06)	8,292 (85.31)	9,438 (81.31)
पूंजीगत व्यय (करोड़ में)	654 (10.11)	821 (11.25)	1,110 (12.64)	1,414 (14.55)	2,079 (17.91)

ऋण एवं अग्रिम (करोड़ में)	24 (0.37)	14 (0.19)	26 (0.30)	14 (0.14)	90 (0.78)
सामान्य सेवाएं	42.54	39.31	38.28	35.88	34.31
इसमें से ब्याज भुगतान	25.36	21.41	19.01	17.52	16.32
सामाजिक सेवाएं	34.31	36.68	35.99	35.62	35.88
आर्थिक सेवाएं	22.73	23.74	25.40	28.32	29.00
सहायता अनुदान	0.05	0.08	0.03	0.03	0.03

चार्ट 1.7: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश की प्रवृत्ति

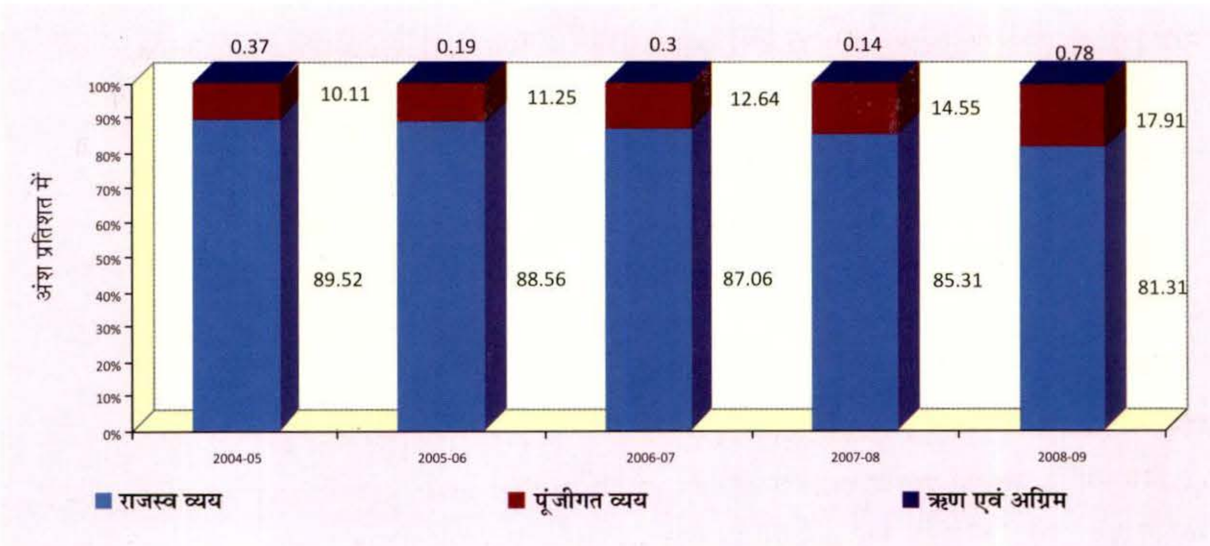

चार्ट 1.8: कुल व्यय: 'क्रियाकलापों' द्वारा प्रवृत्ति

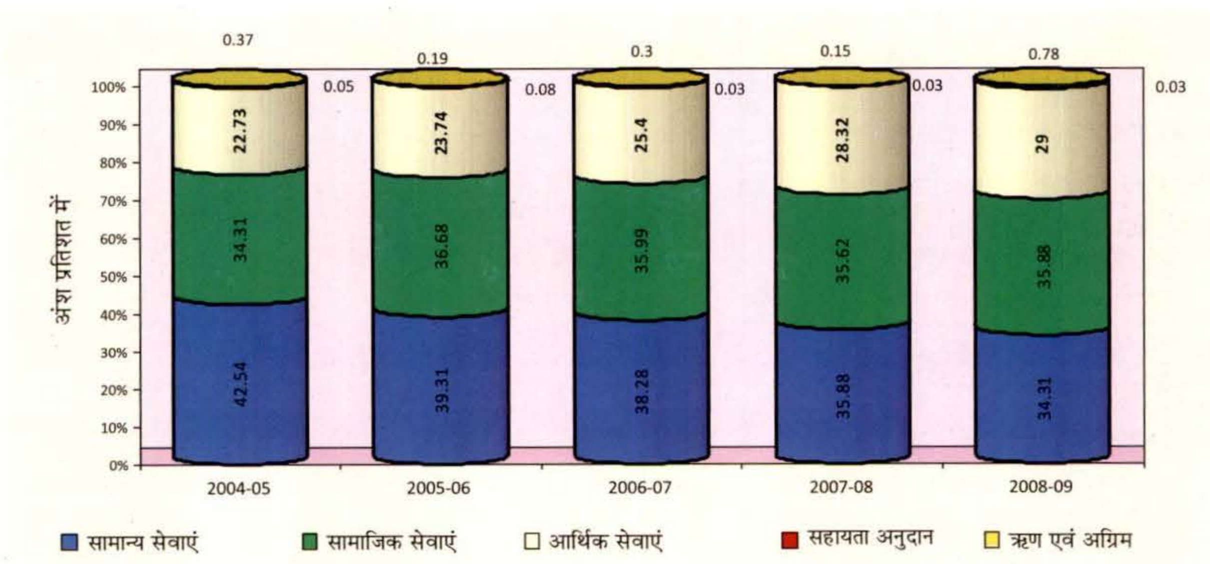

व्यय के इन घटकों के प्रासंगिक भाग की गति से प्रदर्शित हुआ कि व्यय के सभी घटकों में अन्त:वर्षीय विभिन्नताएं थी। परन्तु सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतानों सहित) पर व्यय जिसे विकासात्मक नहीं माना जाता है, लगातार बराबर 2004-05 में 42.54 प्रतिशत से 2008-09 में 34.31 प्रतिशत तक घट गया। दूसरी ओर विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवा पर लगातार 2007-08 में 64 प्रतिशत के प्रति 2008-09 में 65 प्रतिशत लेखांकित किया गया। आर्थिक सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं के भाग में उपान्तीय वृद्धि मुख्यतया सामान्य शिक्षा (233 करोड़ रू0), परिवहन (56 करोड़ रू0), कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप (192 करोड़ रू0) तथा सड़कें एवं पुल (49 करोड़ रू0) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। यह प्रदर्शित करता है कि विगत वर्ष की तुलना में अविकासात्मक व्यय में कमी थी तथा विकासात्मक व्यय में वृद्धि थी।

1.4.3 राजस्व व्यय का प्रभाव

राजस्व व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक भाग होता है। इसे सेवाओं तथा भुगतानों को चालू स्तर पर रखने, विगत दायित्वों हेतु खर्च किया जाता है तथा इस प्रकार यह राज्य की अधोसंरचना एवं सेवा नेटवर्क के लिए किसी प्रकार की वृद्धि में परिणत नहीं होता। समग्र राजस्व व्यय इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उपाद हेतु राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों का अनुपात तथा इसकी उत्प्लावकता को तालिका-1.6 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.6: राजस्व व्ययः मूल पैरामीटर

(करोड़ रूपए)

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09
राजस्व व्यय	5,793	6,466	7,644	8,292	9,438
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.67	11.62	18.22	8.48	13.82
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	4,815	5,284	6,319	7,090	8,561
गैर-योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.41	9.74	19.59	12.20	20.75
योजनागत राजस्व व्यय	978	1,182	1,325	1,202	877
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.43	20.86	12.10	(-) 9.28	(-) 27.04
गैर-योजनागत राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.87	20.75	22.28	22.17	23.17
राजस्व व्यय/कुल व्यय[4] (प्रतिशत)	89.86	88.73	87.32	85.43	81.95
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में गैर-योजनागत राजस्व व्यय	74.41	72.37	71.97	72.94	74.33
राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत के रूप में गैर-योजनागत राजस्व व्यय	103.88	80.56	80.65	77.55	91.97
गैर-योजनागत राजस्व व्यय से राजस्व व्यय की प्रतिशतता	83.12	81.72	82.67	85.50	90.70
योजनागत राजस्व व्यय से राजस्व व्यय की प्रतिशतता	16.88	18.28	17.33	14.50	9.30
के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावक्ता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.32	1.11	1.61	0.67	0.89
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.22	0.28	0.94	0.51	7.59
गैर-योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	2.60	1.19	0.93	0.70	0.67
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.22	0.56	1.51	(-) 0.91	(-) 0.51

[4] कुल व्यय में ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं।

राजस्व व्यय 2007-08 में 8,292 करोड़ रू0 से 2008-09 में 9,438 करोड़ रू0 तक 14 प्रतिशत बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय ने 2004-09 की अवधि में 12.7 प्रतिशत की औसत दर से समनुरूप वृद्धि दिखाई है तथा लगातार सर्वाधिक अनुपात में हिस्सा जारी रहा जो राजस्व व्यय के 82-91 प्रतिशत के मध्य परिवर्ती था। चालू वर्ष के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में 1,471 करोड़ रू0 की वृद्धि मुख्यतया शिक्षा (267 करोड़ रू0), ब्याज भुगतानों (191 करोड़ रू0), पैंशन (205 करोड़ रू0), वेतन एवं मजदूरी (363 करोड़ रू0) तथा स्थानीय निकायों को सहायता (115 करोड़ रू0) में वृद्धि के कारण थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए गैर-योजनागत राजस्व व्यय का अनुपात 2004-09 के दौरान 20.87 प्रतिशत से 23.17 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय के लिए राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 2004 05 में 2.6 प्रतिशत से 2008-09 में 0.67 प्रतिशत कम हो गई जबकि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में इसमें 2007-08 में 0.51 से 2008-09 में 7.59 तक की वृद्धि रही। अन्य शब्दों में राजस्व प्राप्ति में प्रति एक प्रतिशत वृद्धि हेतु 2008-09 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय 7.59 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय शुद्धि पथ (6,088 करोड़ रू0) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (8,541 करोड़ रू0) में किये गये निर्धारण से न केवल अधिक रहा बल्कि बारहवें वित्तायोग (5,507 करोड़ रू0) द्वारा 2008-09 हेतु 3,054 करोड़ रू0 (55 प्रतिशत) तक किये गये मानकीय निर्धारण से भी अधिक रहा।

दूसरी ओर योजनागत राजस्व व्यय में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ है जिसमें 2004-05 में 16.43 प्रतिशत से 2005-06 में 20.86 प्रतिशत तक की परिवर्ती वृद्धि हुई जो 2007-08 में ऋणात्मक (9.28 प्रतिशत) हो गया तथा 2008-09 के दौरान समनुरूप (-) 27.04 प्रतिशत तक कम हो गया। योजनागत राजस्व व्यय 2008-09 के दौरान 325 करोड़ रू0 तक मुख्यतया जनजातीय क्षेत्र उप योजना, जलापूर्ति कार्यक्रमों तथा योजना बोर्ड को दी गई सहायता के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण कम हो गया।

1.4.4 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पैंशन तथा उपदान का मुख्यतया समावेश होता है। तालिका-1.7 तथा चार्ट 1.9 इन घटकों पर क्रमश: 2004-09 एवं 2006-09 के दौरान व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका-1.7: वचनबद्ध व्यय के घटक

(करोड़ रूपए)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
					बजट आकलन	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें से	2,204 (48)	2,515 (38)	3,057 (39)	3,577 (39)	3,505	3,940 (42)
गैर-योजनागत शीर्ष	उपलब्ध नहीं	2,115 (32)	2,577 (33)	3,173 (35)	उपलब्ध नहीं	3,813 (41)
योजनागत शीर्ष*		400 (6)	480 (6)	404 (4)	उपलब्ध नहीं	127 (1)
ब्याज भुगतान	1641 (35)	1,563 (24)	1,669 (21)	1,703 (17)	1,834	1,894 (20)
पैंशन पर व्यय	591 (13)	670 (10)	912 (12)	949 (10)	1,206	1,154 (12)
उपदान	159 (3)	142 (2)	343 (4)	328 (4)	328	369 (4)
जोड़	**4,595**	**4,890**	**5,981**	**6,557**		**7,357**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं

*केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत योजना शीर्ष में वेतन एवं मजदूरी भी शामिल है।

चार्ट 1.9: 2006-09 के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश
(लेवलों में मूल्य करोड़ रूपए में)

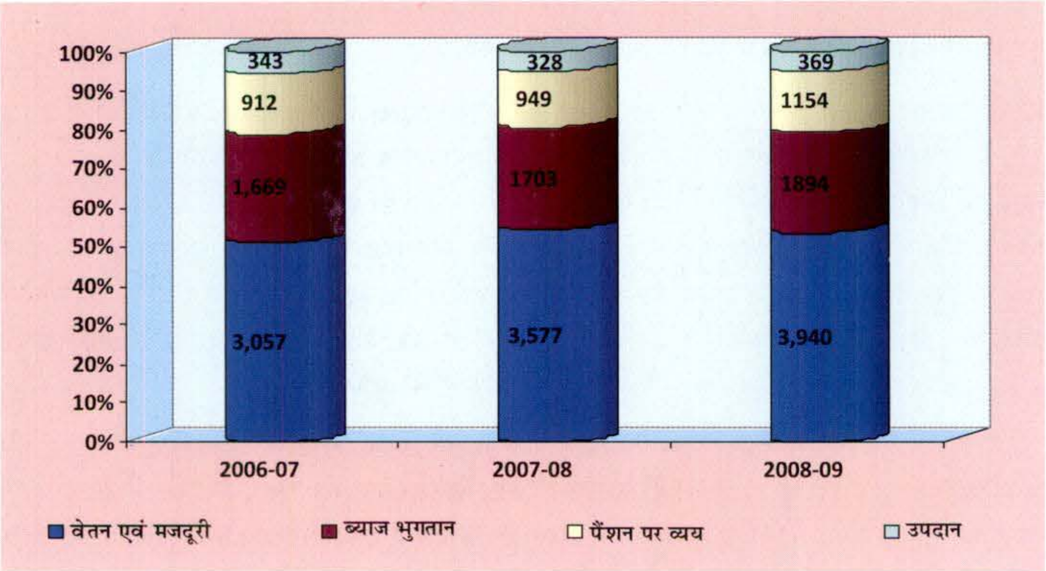

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय अकेला 2008-09 के दौरान राज्य की 42 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों से अधिक लेखाबद्ध किया गया। इसमें 2007-08 में 3,577 करोड़ रू0 से 2008-09 में 3,940 करोड़ रू0 तक की लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-योजनागत शीर्ष के अंतर्गत 2008-09 के दौरान वेतन व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा 640 करोड़ रू0 (20 प्रतिशत) तक बढ़ गया जबकि वेतन व्यय योजनागत शीर्ष पर विगत वर्ष की अपेक्षा 277 करोड़ रू0 (68.56 प्रतिशत) तक घट गया। गैर-योजनागत वेतन व्यय 2005-09 के दौरान कुल व्यय का 84.10 तथा 96.78 प्रतिशत के मध्य था। गैर-योजनागत वेतन व्यय में वृद्धि मंहगाई भत्ते की किश्तों के जारी करने तथा केन्द्रीय सरकार के वेतन आयोग के पैटर्न पर अन्तरिम राहत, दैनिक मजदूरी की दरों में वृद्धि तथा योजनागत स्कीमों से गैर-योजनागत स्कीमों की ओर वचनबद्ध देयताओं के अन्तरण के कारण बताई गई। वेतन व्यय चालू वर्ष के दौरान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (3,345 करोड़ रू0) तथा राजकोषीय शुद्धि पथ (2,627 करोड़ रू0) में किये गये प्रक्षेपणों से बढ़ गया। *ब्याज तथा पैंशन भुगतानों का निवल वेतन व्यय राजस्व व्यय का 62 प्रतिशत है जो बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश किये गये 35 प्रतिशत के मानक की तुलना में बहुत अधिक है जिसमें राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।*

- **पैंशन भुगतान**

पैंशन भुगतानों पर व्यय 2004-05 में 591 करोड़ रू0 से 2008-09 में 1,154 करोड़ रू0 तक 95 प्रतिशत तथा चालू वर्ष के दौरान 205 करोड़ रू0 तक बढ़ गया जिसमें विगत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। पैंशन भुगतान में 2008-09 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 12 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। चालू वर्ष हेतु पैंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय बारहवें वित्तायोग (968 करोड़ रू0) तथा राजकोषीय शुद्धि पथ (814 करोड़ रू0) में किये गये प्रक्षेपणों से अधिक था परन्तु मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (1,206 करोड़ रू0) में किये गये प्रक्षेपण से कम था।

राज्य सरकार ने भविष्य में पैंशन देयताओं के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए मई 2003 को अथवा उसके पश्चात् भर्ती किये गये कर्मचारियों के लिए अंशदायी पैंशन स्कीम आरम्भ की।

- **ब्याज भुगतान**

ब्याज भुगतानों में 2005-06 में 1,563 करोड़ रू0 से 2008-09 में 1,894 करोड़ रू0 तक 21 प्रतिशत तथा चालू वर्ष के दौरान 191 करोड़ रू0 तक की वृद्धि हुई जिसमें विगत वर्ष की अपेक्षा 11 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। उधारों का मुख्य स्रोत 7.74 से 8.2 प्रतिशत तक की परिवर्ती ब्याज दरों पर बाजार ऋण है। ब्याज भुगतानों में विगत वर्ष की अपेक्षा 11 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतया लघु बचत के निवल संग्रहण, बीमा, पैंशन निधि आदि के प्रति जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान के कारण थी। ब्याज भुगतान राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (1,834 करोड़ रू0) तथा राजकोषीय शुद्धि पथ (1,838 करोड़ रू0) में वर्ष 2008-09 हेतु किये गये प्रक्षेपणों सहित बारहवें वित्तायोग (1,645 करोड़ रू0) के प्रक्षेपणों से अधिक था। *20 प्रतिशत पर स्थिर राजस्व प्राप्तियों से सम्बद्ध ब्याज भुगतान बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश किये गये 15 प्रतिशत मानकों की तुलना में अधिक था जिन्हें दी गई समय अवधि के दौरान प्राप्त किया जाना था।*

- **उपदान**

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि केलिए उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2004-05 में 159 करोड़ रू0 से 2008-09 में 369 करोड़ रू0 तक 132 प्रतिशत तथा विगत वर्ष की अपेक्षा 12.5 प्रतिशत तक बढ़ गये तथा राजस्व प्राप्तियों एवं कुल व्यय का क्रमशः लगभग 4 प्रतिशत एवं 3.18 प्रतिशत संघटित किया गया। उपदानों के मुख्य घटकों में खाद्य वस्तुएं (140 करोड़ रू0); परिवहन (48 करोड़ रू0) तथा विद्युत (102 करोड़ रू0) थे। विद्युत उपदान 2008-09 में 369 करोड़ रू0 राजकोषीय शुद्धि पथ (94 करोड़ रू0) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (140 करोड़ रू0) दोनों में किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में अधिक था।

1.4.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों से प्रासंगिक चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका-1.8 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका-1.8: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(करोड़ रूपए)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	94.58	103.24	132.81	117.50	176.49	203.49
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	19.50	28.83	32.68	46.74	70.66	82.46
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थान	48.82	63.28	70.08	100.58	134.13	188.45
विकास अभिकरण	77.47	52.62	112.10	93.44	37.74	44.45
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.21	0.06	0.40	0.12	0.10	4.85
अन्य संस्थान[5]	32.83	27.50	31.56	41.11	47.65	58.55
जोड़	**273.41**	**275.53**	**379.63**	**399.49**	**466.77**	**582.25**
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	4.89	4.76	5.87	5.23	5.63	6.17

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

[5] अन्य संस्थानों में वे संस्थान सम्मिलित हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान तदर्थ अथवा एक समय अनुदान प्राप्त की।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई अनुदानों में 2004-09 वर्षों में समनुरूप बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान 115 करोड़ रू0 (25 प्रतिशत) तक बढ़ गई। राजस्व व्यय में अनुदानों के अंश की 2004-09 की अवधि के दौरान 4.76 प्रतिशत तथा 6.17 प्रतिशत के मध्य की अन्तरवर्षीय विभिन्नता पाई गई। तालिका-1.8 से प्रकट होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि अन्य संस्थाओं का अंश 2004-05 में 27.50 करोड़ रू0 से 2008-09 में 58.55 करोड़ रू0 तक यह प्रदर्शित करते हुए समनुरूप बढ़ गया है कि अत्यधिक वित्तीय सहायता तदर्थ आधार पर विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दी जा रही है। 2008-09 के दौरान विभिन्न घटकों के अंतर्गत तीव्र वृद्धि मुख्यतया नगर निगम/नगरपालिकाओं (11.80 करोड़ रू0), शैक्षणिक संस्थाओं (27 करोड़ रू0) तथा जिला परिषद् व पंचायती राज संस्थाओं (54.32 करोड़ रू0) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय के उपयोग की दक्षता तथा प्रभावकारिता (चयन सेवाओं हेतु परिव्यय-निष्कर्ष सम्बन्धों का निर्धारण) का समावेश है ।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अधोसंरचना से सम्बन्धित व्यय उत्तरदायित्वों को अधिकांशतया राज्य सरकारों को सौंपा गया है। मानव विकास स्तरों को बढ़ाने के लिए राज्यों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि जैसी मुख्य सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है। किसी विशेष राज्य द्वारा किसी क्षेत्र पर व्यय का न्यून स्तर या तो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कम राजकोषीय प्राथमिकता अथवा राज्य सरकार की कम राजकोषीय क्षमता के कारण अथवा दोनों के होने के कारण हो सकता है। न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय के प्रति व्यय श्रेणी का अनुपात) विशेष क्षेत्र को प्रदान की जाती है यदि यह सम्बद्ध राष्ट्रीय औसत से नीचे है जबकि न्यून राजकोषीय क्षमता प्रतिबिम्बित की जाएगी यदि राज्य का प्रतिव्यक्ति व्यय राजकोषीय प्राथमिकता होने के बावजूद भी सम्बद्ध राष्ट्रीय औसत से नीचे है वह राष्ट्रीय औसत से अधिक अथवा बराबर हो। तालिका-1.9 विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता तथा राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका-1.9: 2008-09 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/ कुल व्यय	सामाजिकक्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय
सभी राज्य/राष्ट्रीय औसत* (अनुपात) 2005-06	19.50	61.44	30.41	14.13
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2005-06	32.61	60.61	36.68	11.25
सभी राज्य/राष्ट्रीय औसत* (अनुपात) 2008-09	19.16	67.68	33.90	16.87
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2008-09	31.42	65.56	35.88	17.91
राज्य की राजकोषीय क्षमता	**विकास व्यय**	**सामाजिक क्षेत्र व्यय**		**पूंजीगत व्यय**
सभी राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रू0 में) 2005-06	3,010	1,490		692
2005-06 में हिमाचल प्रदेश का प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रू0 में)	6,914	4,184		1,283

2005-06 में समायोजित प्रति व्यक्ति** व्यय (राशि रू0 में)	7,009	एनआर	1,612
2008-09 में सभी राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रू0 में)	5,030	2,520	1,254
2008-09 में हिमाचल प्रदेश का प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रू0 में)	11,530	6,311	3,150
2008-09 में समायोजित प्रति व्यक्ति** व्यय (राशि रू0 में)	11,902	एनआर	एनआर

*सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार प्रतिशत

**परिशिष्ट 1.2 में विवरणित कार्यपद्धति के अनुसार संगणित

एई: कुल व्यय, डीई: विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूंजीगत व्यय

हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या: 2005-06 में 0.64 करोड़ तथा 2008-09 में 0.66 करोड़

विकास व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

स्रोत: (1) सकल राज्य घरेलू उत्पाद हेतु राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से सूचना एकत्रित की गई। (2) जनसंख्या आंकड़े रजिस्ट्रार, सामान्य एवं जनगणना आयुक्त, भारत के प्रक्षिप्त 2001-2026 से लिए गए है (वैबसाईट: एचटीटीपी//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू: सेनसस इण्डिया. जीओवी.इन)

जनसंख्या= 2005 एवं 2006 हेतु प्रक्षिप्त जनसंख्या का औसत

एन आर= जब से राज्य पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता पर ध्यान दे रही है कोई समायोजन आवश्यक नहीं है। अरूणाचल प्रदेश का डाटा सम्मिलित नहीं किया गया है।

तालिका-1.9 में हम व्यय की भिन्न-भिन्न श्रेणियों को दी गई राजकोषीय प्राथमिकता तथा हिमाचल प्रदेश की 2005-06 (बारहवें वित्तायोग की दी गई अवधि का प्रथम वर्ष) में तथा चालू वर्ष 2008-09 की राजकोषीय क्षमता की तुलना कर रहे हैं। 2005-06 में हिमाचल सरकार ने सकल व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय के लिए पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की क्योंकि सकल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय/सकल व्यय अनुपात हिमाचल के मामले में राज्यों/ राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्चतर था। तथापि, विकास व्यय तथा पूंजीगत व्यय को दी गई राजकोषीय प्राथमिकता 2005-06 में समस्त राज्यों की औसत से कम थी। चालू वर्ष में भी विकास व्यय को दी गई प्राथमिकता समस्त राज्यों की औसत से कम थी। तथापि, व्यय की समस्त अन्य श्रेणियों के लिए पर्याप्त प्राथमिकता पूंजीगत व्यय को दी गई प्राथमिकता में बाज़ार सुधार सहित राष्ट्रीय औसत से तुलना की गई।

चूंकि हिमाचल अपेक्षाकृत कम जनसंख्या आधार सहित एक विशेष श्रेणी राज्य है, 2005-06 एवं 2008-09 में विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय प्रति व्यक्ति व्यय राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्चतर था। यदि राज्य सरकार ने 2005-06 में विकास व्यय एवं पूंजीगत व्यय हेतु तथा 2008-09 में विकास व्यय हेतु राष्ट्रीय औसत जितना व्यय किया होता तो प्रति व्यक्ति व्यय और भी उच्चतर होती जैसाकि *परिशिष्ट-1.2* में स्पष्ट की गई कार्यपद्धति का उपयोग करने से प्रति व्यक्ति व्यय आंकड़ों के समायोजन द्वारा प्रदर्शित हुआ।

1.5.2 व्यय उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से यह राज्य सरकारों के लिए उपयुक्त व्यय युक्तिकरण उपाय करने तथा जनहित एवं आवश्यक वस्तुओं[6] के प्रावधान पर बल देना महत्वपूर्ण है। विकास

[6] आंतरिक सार्वजनिक माल वह है जिसका सभी नागरिक सामान्यतया उपयोग इस दृष्टि से करते हैं कि ऐसे माल का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग अन्य व्यक्तियों के ऐसे माल अर्थात् कानून एवं आदेश का प्रवर्तन, अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषणरहित वायु एवं अन्य पर्यवरणीय माल तथा सड़क अधोसंरचना, आदि उपभोग करने से कमी की ओर अग्रसर नहीं है। आवश्यक माल वे वस्तुएं हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र नि:शुल्क अथवा कम दरों पर उपलब्ध करवाता है क्योंकि व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सामर्थ्य एवं सरकार को अदा करने की इच्छा के अतिरिक्त आवश्यकता की कुछ धारणा के आधार पर रखना चाहिए तथा इस प्रकार उनकी उपयोगिता को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं के दृष्टांतों में पोषण को बढ़ावा देने के लिए निर्धनों हेतु नि:शुल्क अथवा कम दरों पर खाद्य पदार्थों का प्रावधान करना, जीवन स्तर की गुणवता का सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना, सभी के लिए आधारभूत शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।

व्यय[7] की ओर आवंटन के सुधार के अतिरिक्त विशेष रूप से हाल के वर्षों में ऋण सेवाओं में कमी के कारण सृजित किये जा रहे राजकोषीय अन्तराल की दृष्टि से व्यय के उपयोग की दक्षता कुल व्यय (तथा/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के प्रति पूंजीगत व्यय के अनुपात द्वारा तथा विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात से भी प्रतिबिम्बित होती है। यदि कुल व्यय (तथा/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के प्रति इन घटकों का उच्चतर अनुपात होगा तो व्यय की गुणवत्ता और बेहतर होगी। जबकि तालिका-1.10 बजट-सम्बन्धी तथा पूर्व वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के सकल व्यय सम्बन्धी विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है, तालिका-1.11 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किये गये पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण उपलब्ध करवाती है।

तालिका-1.10: विकास व्यय

(करोड़ रूपए)

विकास व्यय के संघटक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
					बजट आकलन	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग)	3,708 (57)	4,414 (60)	5,403 (61)	6,219 (64)	7,175	7,610 (66)
क. विकास राजस्व व्यय	3,067 (47)	3,642 (50)	4,341 (49)	4,860 (50)	5,303	5,516 (48)
ख. विकास पूंजीगत व्यय	624 (10)	769 (11)	1,049 (12)	1,355 (14)	1,872	2,015 (17)
ग. विकास ऋण एवं अग्रिम	17 (0.26)	3 (0.04)	13 (0.15)	4 (0.04)	--	79 (0.7)

कोष्ठकों के आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विकास व्यय के लिए आवंटन राजस्व व्यय का अंश 2004-09 की अवधि के दौरान 48.8 प्रतिशत की औसत दर पर अन्तर वर्षीय भिन्नताओं को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय में 2004-05 में 10 प्रतिशत से 2008-09 में 17 प्रतिशत तक समनुरूप तथा विगत वर्ष की अपेक्षा तीन प्रतिशत प्वाईंट तक की वृद्धि हुई। इस प्रकार, विकास व्यय के लिए समग्र आवंटन में 2004-05 में 3,708 करोड़ रू0 से 2008-09 में 7,610 करोड़ रू0 तक 105 प्रतिशत तथा विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान 1,391 करोड़ रू0 (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो समाज की सामाजिक एवं आर्थिक भलाई का सुधार करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है।

---

[7] व्यय के आंकड़ों को विकास एवं विकासरहित व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं के रूप से श्रेणीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय शामिल है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को विकासरहित व्यय के रूप में माना गया है।

तालिका-1.11: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2007-08			2008-09		
	सीई से टीई का अनुपात	आरई में, का अंश		सीई से टीई का अनुपात	आरई में, का अंश	
		एस एण्ड डब्ल्यू	ओ एण्ड एम*		एस एण्ड डब्ल्यू	ओ एण्ड एम
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	7.86	85.75	--	13.46	82.91	--
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.98	81.56	0.06	14.18	83.52	0.30
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास	41.02	42.95	57.20	42.35	42.82	64.39
कुल (एसएस)	**18.18**	**75.27**	**32.08**	**21.85**	**74.55**	**35.34**
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	5.93	50.57	0.65	4.50	47.37	0.60
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	53.34	73.66	53.58	53.37	70.22	58.34
विद्युत एवं ऊर्जा	42.88	1.05	--	73.48	1.45	--
परिवहन	36.28	76.62	52.97	41.96	67.31	62.29
कुल (ईएस)	**31.51**	**58.34**	**30.69**	**37.01**	**54.89**	**32.64**
कुल (एसएस+ईएस)	**24.13**	**68.45**	**31.25**	**28.74**	**67.20**	**33.66**

स्रोत: वीएलसी एवं वित्त लेखे

टीई: कुल व्यय; सीई: पूंजीगत व्यय; आर ई: राजस्व व्यय; एस एण्ड डब्ल्यू: वेतन एवं मजदूरी; ओ एण्ड एम: परिचालन एवं अनुरक्षण

तालिका-1.11 वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 हेतु सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय के सम्बन्ध में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की विभिन्न घटक-वार प्रतिशतता, वेतन तथा मजूदरी एवं प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत पर व्यय की प्रतिशतता को चित्रित करती है।

यद्यपि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता हेतु कोई भी विशिष्ट मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, उपरोक्त उल्लिखित सेवाओं के सामाजिक एवं आर्थिक दोनों क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय में 2007-08 में 24.13 प्रतिशत से 2008-09 में 28.74 प्रतिशत तक 4.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान 18.18 से 21.85 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। सामान्य शिक्षा के मामले में कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय के अनुपात में 5.6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 7.2 प्रतिशत तक तथा जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास क्षेत्र में 1.33 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी यह प्रदर्शित करते हुए कि सामाजिक सेवाओं के समस्त उप-क्षेत्रों में विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 में पूंजीगत व्यय को दी गई प्राथमिकता उच्चतर थी। यह सुधार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास के मामले में अधिक महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का अंश प्रतिशतता के रूप में विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दौरान 31.51 प्रतिशत से 37.01 प्रतिशत बढ़ गया। विद्युत तथा ऊर्जा घटक के मामले में कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय के अनुपात में 30.60 प्रतिशत, परिवहन में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी जबकि कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों में इसमें कमी हुई तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण घटक में यह अनुपात स्थिर रहा।

2008-09 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वेतन एवं मजदूरी लगभग स्थिर रही जबकि आर्थिक सेवाओं में इस अनुपात में विगत वर्ष की तुलना में 3.45 प्रतिशत की कमी हुई। प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में इस अनुपात में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों सेवाओं में विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 में क्रमशः 3.26 तथा 1.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो इनके अनुरक्षण की ओर अधिक प्राथमिकताएं तथा बेहतर गुणवत्ता सेवाओं को प्रदर्शित करती है।

1.5.3 व्यय की प्रभावकारिता अर्थात् परिव्यय-निष्कर्ष सम्बन्ध

मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि करने के अतिरिक्त राज्य को मानव विकास को बढ़ाने के लिए वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रदाय तंत्र का सुधार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से गुणवत्ता, प्रसार तथा सरकारी व्यय के प्रभाव के अनुसार परिणामों हेतु व्यय को सम्बन्ध करने की अपेक्षा की जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत तीन समीक्षाएं की गई तथा दो निष्पादन समीक्षाओं जो 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के पृथक प्रतिवेदन में दृष्टिगोचर हुई, की मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत् है:

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

भारत सरकार ने 1996-97 में चल रही चयनित दीर्घ एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो पूर्णता की अग्रिम अवस्था में थी, को केन्द्रीय ऋण सहायता के द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से पूर्णता की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का आरम्भ किया। निष्पादन लेखापरीक्षा में दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा 451 में से 205 लघु सिंचाई स्कीमों को 2004-09 के दौरान आवृत्त किया गया। 321.03 करोड़ रू0 की स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता के प्रति भारत सरकार द्वारा 2004-09 के दौरान जारी अनुदान/सहायता केवल 275.50 करोड़ रू0 थी। यद्यपि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों के निर्माण हेतु प्रदान किए गए बजट के प्रति 2006-07 वर्ष के अतिरिक्त कोई भी मुख्य आधिक्य अथवा बचत नहीं थी, 2004-09 के दौरान 16.72 करोड़ रू0 की समग्र बचत थी। सिंचाई क्षमता के तीव्र विकास के उद्देश्य तथा किसानों के लाभ हेतु इसकी सम्भावित उपयोगिता को योजना, निष्पादन तथा अनुश्रवण में अन्तर्निहित कमियों के कारण राज्य में वांछित सीमा तक प्राप्त नहीं किया गया। आकलित सिंचाई क्षमता के क्रमबद्ध दोहन हेतु समयबद्ध योजना के अभाव में भारत निर्माण के अन्तर्गत 77,880 हेक्टेयर के लक्ष्य के प्रति 2005-09 के दौरान विभाग द्वारा केवल 17,053 हेक्टेयर (22 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सका। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत सृजित की गई सिंचाई क्षमता का भी इष्टतमरूप से उपयोग नहीं किया गया तथा 2004-09 के दौरान उपयोगिता में कमी 56 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी। दो से चार वर्षों की निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं/स्कीमों के पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप समय/लागत में वृद्धि हुई।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2005 को आरम्भ किया गया। 2005-2012 अवधि के दौरान पूरे किये जाने वाले मिशन के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से समाज के निर्धन तथा असुरक्षित वर्गों के लिए सुगमय, वहन करने योग्य, उत्तरदायी, प्रभावी तथा विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्राप्त करना है। 2005-09 के दौरान कार्यक्रम की कार्यान्वयन मध्यावधि समीक्षा से पाया गया कि भारत सरकार (राज्यांश के 10.65 करोड़ रू0 सहित) से प्राप्त हुए 16.25 करोड़ रू0

तथा 55.75 करोड़ रू0 के मध्य कुल उपलब्ध निधियों में से 2005-09 के दौरान राज्य के पास अनुप्रयुक्त पड़ी रही। भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के स्तर तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों के उन्नयन को प्राप्त नहीं किया गया है। समीक्षा ने योजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण क्रियाकलापों में अन्तरालों को प्रकाशमय किया है। घरेलू सर्वेक्षण तथा सापेक्ष योजना के अभाव तथा वार्षिक योजनाओं में आधारभूत स्तर पर समुदाय से निवेश की कमी से योजना प्रक्रिया निरर्थक हुई। जबकि स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या मानकों से अधिक थी, इनको अपर्याप्त अधोसंरचना तथा अपर्याप्त जनशक्ति के कारण लक्षित लाभार्थियों को विश्वस्त तथा सुगमय स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कुछ मुख्य प्रेरणों जैसेकि आशा तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर लोक व्यय भी पिछले चार वर्षों के दौरान में स्थिर रहा। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जनशक्ति की अत्यन्त कमी से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन पूर्व ढांचे में राज्य से अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखा जाना अपेक्षित है परन्तु इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) आवश्यकताओं को पूरा किया जाना भी आपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता को परिर्वतन में राज्य सरकार को इसके निवेशों पर पर्याप्त आय अर्जित करने के लिए उपायों को तथा इसकी उधार निधियों की लागत को वसूल करने की आवश्यकता है बजाए इसके कि अन्तर्निहित उपदान के रूप में इसके बजट से उसको वहन किया जाए तथा वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए अपेक्षित पग उठाए जाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निवेशों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण तथा किए गए अन्य पूंजीगत व्यय का प्रदर्शन करता है।

1.6.1 अधूरी परियोजनाएं

31 मार्च 2009 तक अधूरी परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभागवार सूचना तालिका-1.12 में दी गई है।

तालिका-1.12: अधूरी परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(करोड़ रूपए)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं* की संशोधित कुल लागत	31.03.2009 को संचित वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6 (5-3)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	14	29.82	46.23	92.24	62.42
लोक निर्माण	03	3.55	--	4.18	0.63
जोड़:	**17**	**33.37**		**96.42**	**63.05**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

* राज्य सरकार द्वारा पिछले संशोधन के अनुसार परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत को दर्शाती है।

दो मुख्य विभागों से सम्बन्धित अधूरी परियोजनाओं का विवरण तालिका-1.12 में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन उपरोक्त विभागों से सम्बन्धित अधूरी परियोजनाओं की संशोधित लागत का विवरण वित्त लेखों में नहीं दिया गया है। आठ

अधूरी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिनकी संशोधित लागत उपलब्ध है, लागत वृद्धि 63.05 करोड़ रू0 थी। इन 17 अधूरी परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब के विश्लेषण से दीर्घ एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मामले में 2 से 12 वर्ष के मध्य तथा लोक निर्माण परियोजनाओं के मामले में 3 से 8 वर्षों के मध्य समयवृद्धि पाई गई। ये परियोजनाएं कार्यस्थल पर विवाद, पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता, न्यायालय मामलों, पर्वतीय क्षेत्र आदि होने के कारण सीमित कार्य मौसम के कारण अधूरी पड़ी हुई थी।

1.6.2 निवेश एवं आय

31 मार्च 2009 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉफ कम्पनियों एवं सहकारिताओं (तालिका-1.13) में 2,369 करोड़ रू0 का निवेश किया था। इन निवेश पर विगत पांच वर्षों में 1.1 प्रतिशत की औसत आय थी जबकि सरकार ने 2004-09 के दौरान अपने उधारों पर 9.5 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

तालिका-1.13: निवेश पर आय

निवेश/आय/उधार लागत	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
वर्ष के अन्त तक निवेश (करोड़ रूपए)	1,943	1,842	1,861	2,033	2,369
आय (करोड़ रूपए)	0.58	28.61	1.80	0.52	89.58
आय (प्रतिशतता)	0.03	1.55	0.10	0.03	3.78
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	10.60	9.20	9.40	9.09	9.19
ब्याज दर तथा आय में अन्तर (प्रतिशत)	10.57	7.65	9.30	9.06	5.41

मुख्य निवेश छः सांविधिक निगमों/बोर्डों (753.25 करोड़ रू0), 19 सरकारी कम्पनियों (492.40 करोड़ रू0) तथा केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रम हिमाचल प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम (1,027.20 करोड़ रू0) में किया गया। दो सांविधिक निगमों/बोर्डों ने मार्च 2009 के अन्त तक 742.69 करोड़ रू0 (हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम: 512.33 करोड़ रू0 तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड: 230.36 करोड़ रू0) की संचित हानि उठाई थी। सरकारी कम्पनियों में मुख्य प्राप्तकर्ताओं जिन्होंने 31 मार्च 2009 तक संचित हानियां उठाई वे हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग पैकिजिंग इंडिया लिमिटेड (74.57 करोड़ रू0), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (43 करोड़ रू0), हिमाचल प्रदेश वन निगम (44.79 करोड़ रू0) तथा हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित (11.77 करोड़ रू0) थे।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार ने बहुत से इन संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध कराये हैं। तालिका-1.14 31 मार्च 2009 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.14: राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रूपए)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2006-07	2007-08	2008-09
अथशेष	234	237	225
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	26	14	90
वर्ष के दौरान चुकौती राशि	23	26	21
अंत शेष	**237**	**225**	**294**
बकाया शेष जिनके लिए सेवा-शर्तें बनाई गई हैं	--	--	--
निवल जमा	03	(-) 12	69
ब्याज प्राप्तियां	11	16	11
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	4.7	6.9	4.2
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	9.6	9.4	9.8
ब्याज भुगतानों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 4.9	(-) 2.5	(-) 5.6

31 मार्च 2009 तक ऋणों एवं अग्रिमों की कुल बकाया राशि 294 करोड़ रू0 थी। अग्रिम में दिये गये 90 करोड़ रू0 के प्रति 2008-09 के दौरान केवल 21 करोड़ रू0 वापिस लौटाये गये, जिसमें विगत वर्ष की अपेक्षा चुकौती में 5 करोड़ रू0 की कमी दर्ज की गई। 2008-09 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्त्ताओं में विद्युत परियोजनाएं (75 करोड़ रू0) थी। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किये जा रहे ब्याज की औसत दर में अत्यधिक भिन्नता थी। 2006-09 के दौरान कमी 2.5 प्रतिशत तथा 5.6 प्रतिशत के मध्य थी। *2008-09 के दौरान बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई 7 प्रतिशत की लक्षित प्राप्ति के प्रति बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों की 4.2 प्रतिशत आय प्राप्त की। तथापि, इस अवधि के दौरान इसने उधारों पर 9.8 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।*

1.6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

तालिका-1.15 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों को प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.15: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(करोड़ रूपए)

विवरण	प्रथम अप्रैल 2008 तक	31 मार्च 2009 तक	वृद्धि (+)/ कमी (-)
नकद शेष	(-) 298.96	(-) 150.14	(-) 148.82
नकद शेषों से निवेश			
क. भारत सरकार के खजाना बिल	1,121.75	1,129.18	(+) 7.43
ख. भारत सरकार की प्रत्याभूतियां	3,828.92	3,889.22	(+) 60.30
चिन्हित शेषों से निवेश का निधिवार ब्यौरा (क व ख)	--	--	--
वसूल किया गया ब्याज	48.62	60.45	(+) 11.83

राज्य सरकार के रोकड़ शेष चालू वर्ष की समाप्ति पर 2007-08 में 298.96 करोड़ रू0 से 2008-09 में 150.14 करोड़ रू0 तक 148.82 करोड़ रू0 कम हो गये। राज्य सरकार ने भारत सरकार खजाना बिलों में 1,129.18 करोड़ रू0 तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में 3,889.22 करोड़ रू0 का निवेश किया और 2008-09 के दौरान 60.45 करोड़ रू0 ब्याज अर्जित किया। 2008-09 के दौरान रोकड़ शेष पर निवेश के प्रति वसूल किया गया ब्याज 1.2 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान इसके उधारों पर 9.19 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया।

राज्य द्वारा रोकड़ शेष हस्तन की दक्षता का निर्धारण इसके सामान्य बैंकिग लेन-देनों को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा रखे गये रोकड़ शेषों की मासिक दैनिक औसत की प्रवृत्तियों के अनुश्रवण द्वारा भी किया जा सकता है। तालिका-1.16 विगत तीन वर्षों (2006-09) के लिए नीलामी खजाना बिलों में मासिक औसत दैनिक रोकड़ शेषों तथा निवेशों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.16: नीलामी खजाना बिलों में मासिक औसत दैनिक रोकड़ शेष एवं निवेश की प्रवृत्ति

मास	मासिक औसत दैनिक नकद शेष (लाख रूपए)			14 दिवस खजाना बिलों में निवेश (करोड़ रूपए)			नीलामी खजाना बिलों में निवेश (करोड़ रूपए)		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
अप्रैल	282.31	103.81	89.10	897.57	622.04	2379.93	944.10	441.30	2699.63
मई	249.47	148.94	347.46	1262.37	1051.01	1883.35	1080.24	797.34	1809.01
जून	55.45	55.56	55.54	1165.77	1399.93	2169.56	1362.61	1263.85	2060.27
जुलाई	55.17	55.59	55.54	794.77	1454.74	1843.31	788.23	1401.95	1874.91
अगस्त	55.53	190.79	98.01	1064.34	1900.27	2285.25	1061.60	1641.50	2239.14
सितम्बर	55.40	483.94	1034.05	798.54	1878.15	2281.86	892.02	1681.52	2183.45
अक्तूबर	55.48	55.55	56.13	628.28	2958.34	2795.06	686.99	2962.49	2595.44
नवम्बर	55.49	55.51	55.51	1152.40	2317.09	3058.59	744.64	2416.88	2909.56
दिसम्बर	351.86	55.51	2930.75	2057.82	2798.48	3220.30	2005.24	2573.79	3288.59
जनवरी	203.74	55.43	55.55	1296.09	2664.37	3396.21	1413.40	2765.46	3177.75
फरवरी	55.53	55.52	55.46	977.31	3094.91	3010.24	1196.03	2666.66	3237.96
मार्च	128.25	87.83	490.19	1412.81	3190.09	3193.78	1667.85	3594.93	3424.30

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय तथा वित्त विभाग

राज्य सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अनुबन्ध के अनुसार 55 लाख रू0 के न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाए रखा था।

1.7 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसम्पत्तियों जैसेकि भूमि व सरकारी स्वामित्व के भवनों का विस्तृत लेखाकारण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय में से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते है। *परिशिष्ट-1.4* 31 मार्च 2009 तक देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2008 तक उनकी तदनुरूपी

स्थिति की तुलना में दर्शाता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतया आंतरिक उधारों, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है, परिसम्पतियों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये मुख्यतया पूंजीगत परिव्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों का रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

1.7.2 रोजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृतियों को *परिशिष्ट-1.3* में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन तालिका-1.17, चार्ट 1.10 एवं चार्ट 1.11 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.17: राजकोषीय देयताएं- मूल पैरामीटर

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजकोषीय देयताएं (करोड़ रूपए)	16,533	17,432	18,071	19,419	21,819
वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.52	5.44	3.67	7.46	12.36
से राजकोषयी देयता अनुपात					
सकल घरेलू राज्य उत्पाद (प्रतिशत)	71.68	68.44	63.72	60.73	59.07
राजस्व प्रप्तियां (प्रतिशत)	356.70	265.77	230.64	212.42	234.41

चार्ट 1.10: 01.04.2008 को बकाया देयता का संयोजन (करोड़ रू0)

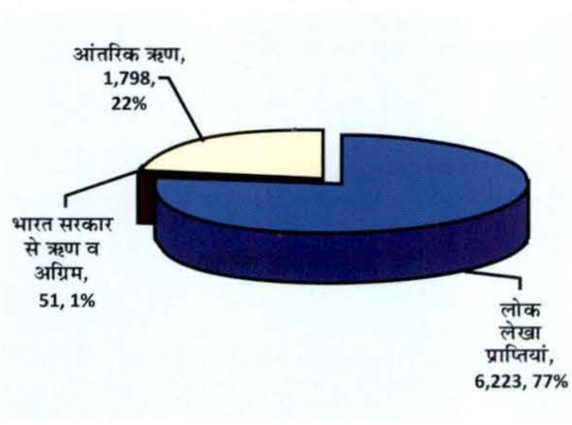

चार्ट 1.11: 31.03.2009 को बकाया देयता का संयोजन (करोड़ रू0)

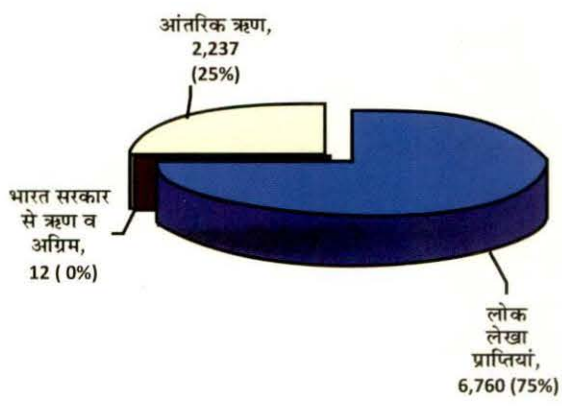

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताओं में 2004-05 में 16,533 करोड़ रू0 से 2008-09 में 21,819 करोड़ रू0 तक वृद्धि हुई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताओं एवं लोक लेखा देयताओं का समावेश होता है। समेकित निधि देयता (15,427 करोड़ रू0) में बाजार ऋणों (7,658 करोड़ रू0), भारत सरकार से ऋणों (971 करोड़ रू0) तथा अन्य ऋणों (6,798 करोड़ रू0 जिनमें भारत सरकार के एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष सुरक्षा पर 3,889 करोड़ रू0 शामिल है) का समावेश होता है। लोक लेखा देयताओं (6,392 करोड़ रू0) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (4,668 करोड़ रू0), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसाकि जमा (983 करोड़ रू0) एवं रिजर्व निधियां (741 करोड़ रू0) शामिल हैं। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 2008-09 के दौरान 12.36 प्रतिशत थी। सकल राज्य घेरलू उत्पाद के लिए राजकोषीय देयता का अनुपात 2004-09 के दौरान समनुरूप 71.68 प्रतिशत से 59.07 प्रतिशत तक घटा। ये देयताएं 2008-09 के अंत में राज्य

प्राप्तियों के 2.34 गुणा पर स्थिर थी। राज्य सरकार से अन्य ऋणों एवं ऋण दायित्वों सहित बाजार उधारों को चुकाने हेतु बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश किये गये एक समेकित निक्षेप निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने अब तक निक्षेप निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.7.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

प्रत्याभूतियां कर्जदार जिसे प्रत्याभूति प्रदान की गई उसके द्वारा चूक करने के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियां दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों से बकाया थी जैसाकि वित्त लेखों की विवरणी-6 में दर्शाई गई है, तालिका-1.18 में दी गई है।

तालिका-1.18: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(करोड़ रूपए)

प्रत्याभूति	2006-07	2007-08	2008-09
अधिकतम राशि प्रत्याभूत	6,347	6,450	6,076
प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	2,976	2,632	2,291
अधिकतम राशि प्रत्याभूत से कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	81	70.6	65

राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत सीमाएं निर्धारित करने के लिए कोई कानून पारित नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की जमानत पर प्रत्याभूति दे सकती है। तथापि, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि कुल बकाया प्रत्याभूतियों को चालू वर्ष से पूर्व वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से राज्य सरकार द्वारा दी गई बकाया प्रत्याभूतियां अधिनियम में निर्धारित की गई सीमा के अन्दर थी। विभिन्न निगमों तथा अन्य द्वारा लिए गये ऋणों पर बकाया प्रत्याभूतियां 2008-09 की समाप्ति पर 2,291 करोड़ रू0 थी जो विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 25.06 प्रतिशत थी तथा कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति अधिकतम प्रत्याभूत राशि 65 प्रतिशत थी जो अनुमत सीमा के अन्दर थी। 31 मार्च 2009 तक मुख्य प्रत्याभूति प्राप्तकर्त्ताओं जिनके प्रति राशिया बकाया थी वे 17 सांविधिक बोर्ड/निगम (1,648 करोड़ रू0), आठ सरकारी कम्पनियां (294 करोड़ रू0), तीन सहकारी बैंक एवं एक संस्था (300 करोड़ रू0) तथा दो स्थानीय/स्वायत निकाय (49 करोड़ रू0) थे। राज्य सरकार से प्रत्याभूति विमोचन निधि स्थापित की जानी अपेक्षित थी जैसाकि दी गई प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.8 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता[8] को निश्चित करते हैं, का विशेषण

[8] ऋण धारणीयता का वर्णन एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पादन अनुपात का अनुरक्षण करने हेतु राज्य की क्षमता के रूप में किया गया है तथा अपनी ऋण अदायगी के विषय में योग्यता के बारे चिन्ता अभिव्यक्त करता है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू व वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने हेतु उन तरल सम्पतियों की पर्याप्तता तथा शेष को अतिरिक्त उधारों की लागत के मध्य ऐसे उधारों की वापसी सहित रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका आश्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।

करना महत्वपूर्ण है। यह संवर्ग ऋण स्थिरीकरण[9]; ऋण-रहित प्राप्तियों[10] की पर्याप्तता; उधार निधियों[11] की निवल उपलब्धता; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतानों द्वारा परिमित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के सम्बन्ध में राज्य सरकर की ऋण धारणीयता का निर्धारण करता है। तालिका-1.19 2006-07 से आरम्भ तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका-1.19: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता के सूचक	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा फैलाव + प्राथमिक घाटा)	1,083	1,812	1,054
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	(-) 202	370	(-) 1,726
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 1,071	(-) 79	507
ब्याज भुगतानों का भार (आई पी/आर आर अनुपात)	0.213	0.186	0.203
राज्य ऋण की पूर्णता रूपरेखा (वर्षों में)*			
0 - 1	उपलब्ध नहीं	1,793.89	387.20 (2.47)
1 - 3		3,519.01	3,654.02 (23.26)
3 - 5		2,802.05	2,733.06 (17.40)
5 - 7		2,019.54	2,167.37 (13.80)
7 एवं इससे ऊपर		4,830.94	6,766.17 (43.07)

कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं

तालिका-1.19 से प्रकट होता है कि ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की घटती हुई प्रवृति को सूचित करते हुए प्राथमिक घाटे सहित मात्रा का प्रसार 2006-09 के दौरान घनात्मक था। इन प्रवृत्तियों से सूचित होता है कि राज्य ऋण स्थिरता की ओर अग्रसर है जो इसके बदले में राज्य की ऋण धारणीयता की स्थिति सुधार सकता है। तथापि, 2008-09 के दौरान ऋणात्मक स्रोत अन्तराल राज्य के राजकोषीय एवं ऋण अस्थिरता के बिगड़ने के जोखिम को सूचित करता है बशर्ते कि यह प्रवृत्ति निरन्तर रहती है। 2008-09 के दौरान उपलब्ध निवल उधार निधियां घनात्मक थी यह सूचित करते हुए कि कुल ऋण प्राप्तियों के 507 करोड़ रू0 पूर्व ऋण दायित्वों को पूरा करने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई थी। राज्य सरकार की परिपवक्ता रूपरेखा सूचित करती है कि कुल लोक ऋण का 42.13 प्रतिशत (6774.28 करोड़ रू0) आगामी पांच वर्षों में चुकौती योग्य है जबकि शेष 57.87 प्रतिशत ऋण (8933.54 करोड़ रू0) पांच वर्षों से अधिक अवधि में अदा किया जाना अपेक्षित है।

---

[9] स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती है कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर लोक उधार की ब्याज दर या लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा घनात्मक अथवा मध्यम रूप से ऋणात्मक है। दिया गया दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर प्रसार), ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार सहित ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह घनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्ततः गिरावट होगी।

[10] बढ़ती हुई ब्याज देयताओं एवं बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य को बढ़ती हुई गैर-ऋण सहित प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि ऋण रहित बढ़ती हुई प्राप्तियां बढ़ते हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।

[11] ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) का अनुपात कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति वर्णित किया गया है तथा निवल उधार निधियों की उपलब्धता को सूचित करते हुए सीमा जिस तक ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किया गया है को सूचित करता है।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा-विशेष अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को सूचित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अन्तराल को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेकी का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिससे घाटे का वित प्रबन्धन किया जाता है तथा जुटाए गये स्रोतों का उपयोग किया जाता है इसकी वित्तीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह प्रवर्ग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा तथा वित्तीय व्यवस्था की विधि का प्रदर्शन करता है तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमावली की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रदर्शित करता है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.12 तथा 1.13 2004-09 की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते है:

चार्ट 1.12: घाटा सूचकों की प्रवृत्ति (करोड़ रूपए)

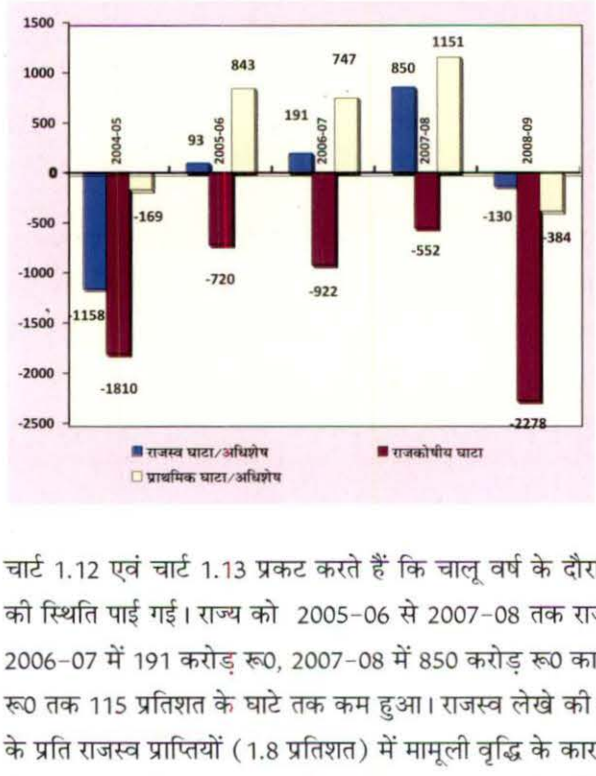

चार्ट 1.13: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित घाटा सूचकों की प्रवृत्ति (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े प्रतिशत में)

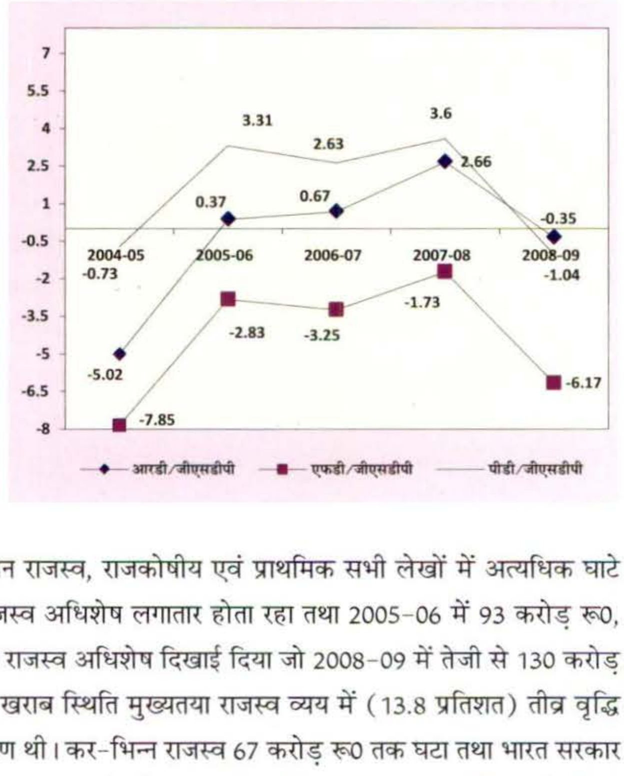

चार्ट 1.12 एवं चार्ट 1.13 प्रकट करते हैं कि चालू वर्ष के दौरान राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक सभी लेखों में अत्यधिक घाटे की स्थिति पाई गई। राज्य को 2005-06 से 2007-08 तक राजस्व अधिशेष लगातार होता रहा तथा 2005-06 में 93 करोड़ रू0, 2006-07 में 191 करोड़ रू0, 2007-08 में 850 करोड़ रू0 का राजस्व अधिशेष दिखाई दिया जो 2008-09 में तेजी से 130 करोड़ रू0 तक 115 प्रतिशत के घाटे तक कम हुआ। राजस्व लेखे की खराब स्थिति मुख्यतया राजस्व व्यय में (13.8 प्रतिशत) तीव्र वृद्धि के प्रति राजस्व प्राप्तियों (1.8 प्रतिशत) में मामूली वृद्धि के कारण थी। कर-भिन्न राजस्व 67 करोड़ रू0 तक घटा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 95 करोड़ रू0 तक कम हुआ जिसमें 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की कम वसूली का लेखांकन हुआ। इसके अतिरिक्त 2007-08 में राजकोषीय घाटे में 552 करोड़ रू0 से 1726 करोड़ रू0 तथा 2008-09 के दौरान 665 करोड़ रू0 के पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि 2,278 करोड़ रू0 तथा 81 करोड़ रू0 ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण के कारण तीव्रता से वृद्धि हुई। 2007-08 का प्राथमिक अधिशेष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि के कारण घाटे में परिवर्तित हुआ तथापि, यह कुछ सीमा तक ब्याज भुगतानों (191 करोड़ रू0) में वृद्धि के कारण प्रतिसंतुलित किया गया। *इस प्रकार राजस्व घाटा तथा*

राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.35 तथा 6.17 प्रतिशत था जो बारहवें वित्तायोग अर्थात् क्रमशः 0 तथा 3 प्रतिशत द्वारा किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में उच्चतर था जो राज्य, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर था, के लिए एक गतिरोध था।

1.9.2 राजकोषीय घाटे एवं इसके वित्तीय व्यवस्था के घटक

राजकोषीय घाटा के वित्तीय प्रतिमानों में संयोजनात्मक अन्तरण हुआ है जैसाकि तालिका-1.20 में प्रतिबिम्बित किया गया है।

तालिका-1.20: राजकोषीय घाटे एवं इनके वित्तीय व्यवस्था के घटक

(करोड़ रूपए)

	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजकोषीय घाटे की विकृति						
1	राजस्व घाटा	(-) 1,158 ((-) 5.02)	(+) 93 (0.37)	(+) 191 (0.67)	(+) 850 (2.66)	(-) 130 ((-) 0.35)
2	पूंजीगत व्यय	654 (2.8)	821 (3.22)	1,110 (3.91)	1,414 (4.42)	2,079 (5.63)
3	निवल ऋण व अग्रिम	2 (--)	8 (--)	(-) 3 (--)	12 (0.04)	(-) 69 ((-) 0.19)
राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था*						
1	बाजार ऋण	852	425	467	1,322	1,752
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 750	(-) 38	(-) 91	(-) 5	(-) 44
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रत्याभूतियां	785	813	670	134	60
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	343	(-) 739	(-) 309	(-) 599	(-) 406
5	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	261	310	322	540	515
6	निक्षेप एवं अग्रिम	886	103	(-)500	(-) 366	217
7	उचन्त एवं विविध	(-) 29	9	(-) 7	2	53
8	प्रेषण	(-) 48	119	73	50	(-) 2
9	अन्य	(-) 490	(-) 279	297	(-) 526	151
10	समस्त अधिशेष/घाटा	(-) 1,810	(-) 720	(-) 92	(-) 552	(-) 2,278

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

*वर्ष के दौरान सभी इन आंकड़ों का निवल संवितरण/बहिर्गमन है।

तालिका-1.20 से प्रकट होता है कि चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजकोषीय स्थिति अत्यधिक घाटे में फंस गई थी। पूंजीगत व्यय में 665 करोड़ रू0 की वृद्धि सहित ऋणों एवं अग्रिमों के संयुक्त वितरण में 980 करोड़ रू0 तथा 81 करोड़ रू0 के राजस्व घाटे के लिए राजस्व अधिशेष से अंतरित के दौरान गत वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान राजकोषीय घाटा तेजी से 1,726 करोड़ रू0 तक बढ़ गया। राज्य सरकार ने आंतरिक ऋण का मुख्य भाग बाजार उधारों एवं लघु बचतों, भविष्य निधि, आदि से उठाया। बाजार उधार 2004-05 में 852 करोड़ रू0 से 2008-09 के दौरान 1,752 करोड़ रू0 तक 106 प्रतिशत तक बढ़ गये तथा उसी अवधि के दौरान लघु बचतें, भविष्य निधि आदि 97 प्रतिशत तक बढ़ गये।

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

सावधि जमा के प्रति आवर्ती जमा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन तथा पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे के प्रति अनुपात उस सीमा को सूचित करता है जिसके लिए चालू उपभोग हेतु उधार निधियों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का सतत उच्च अनुपात भी सूचित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार भी लगातार संकुचित हो रहा था तथा उधारों का भाग (राजकोषीय देयताएं) किसी परिसम्पत्ति का समर्थन नहीं रखता था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका -1.21) उस सीमा को सूचित करेगा जिसके लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि के सम्बन्ध में घाटा रहा है जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता के सुधार में वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.21: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-कारकों का विभाजन

(करोड़ रूपए)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2004-05	4,661	4,152	654	24	4,830	509	(-) 169
2005-06	6,581	4,903	821	14	5,738	1,678	843
2006-07	7,858	5,975	1,110	26	7,111	1,883	747
2007-08	9,168	6,589	1,414	14	8,017	2,579	1,151
2008-09	9,329	7,544	2,079	90	9,713	1,785	(-) 384

2004-05 से 2008-09 के दौरान राज्य की गैर-ऋण प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियां 2008-09 में 4,661 करोड़ रू0 से 9,329 करोड़ रू0 तक 100 प्रतिशत बढ़ गई। तथापि, प्राथमिक राजस्व व्यय 2004-05 में 4,152 करोड़ रू0 से 2008-09 में 7,544 करोड़ रू0 तक 82 प्रतिशत बढ़ गया। 14.49 प्रतिशत के प्राथमिक राजस्व व्यय में वृद्धि के प्रति विगत वर्ष की अपेक्षा 2008-09 के दारान गैर-ऋण प्राप्तियों की वसूली केवल 1.76 प्रतिशत तक बढ़ी।

1.9.4 राज्य का स्वकीय राजस्व एवं घाटा परिशोधन

उस सीमा तक ध्यान देना लाभप्रद है जिसके लिए घाटा परिशोधन को राज्य द्वारा इसके स्वकीय संसाधनों के सुधार के संदर्भ में प्राप्त किया जाता है जो घाटा सूचकों में परिशोधन के स्थायित्व का सूचक है। तालिका-1.22 राज्य की राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन तथा विगत तीन वर्षों के दौरान घाटे के परिशोधन का प्रदर्शन करती है।

तालिका-1.22: राजस्व प्राप्तियों एवं घाटा परिशोधन में परिवर्तन

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता)

पैरामीटर	2006-07	2007-08	2008-09	
			बजट आकलन	वास्तविक
राजस्व प्राप्तियां (क से घ)	27.6	28.6	26	25.2
क. राज्य का स्वकीय कर राजस्व	5.8	6.1	8.8	6.1
ख. राज्य का स्वकीय कर-भिन्न राजस्व	4.7	5.7	3.4	4.8
ग. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	2.2	2.5	--	2.2

घ. सहायता अनुदान	14.9	14.3	13.8	12.1
राजस्व व्यय	**27.0**	**25.9**	**25.8**	**25.5**
राजस्व घाटा/अधिशेष	(+) 0.7	(+) 2.7	(+) 0.2	(-) 0.4
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	**(-) 3.3**	**(-) 1.7**	**(-) 5.4**	**(-) 6.2**

राजस्व प्राप्तियां न केवल कर एवं कर-भिन्न स्रोतों का परन्तु भारत सरकार से अंतरणों का समावेश भी करती है। चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 25.2 प्रतिशत था, विगत वर्ष की अपेक्षा तीन प्रतिशत बिन्दुओं की कमी थी। 2007-09 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राज्य का स्वकीय कर अनुपात स्थिर रहा। राजस्व प्राप्तियों में तीन प्रतिशत बिन्दुओं की कमी कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति एवं चालू वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों में कमी के कारण थी।

1.10 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

मुख्य राजकोषीय पैरामीटर के सम्बन्ध में अवलोकित राज्य की राजकोषीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया है क्योंकि राज्य 2005-08 के दौरान राजस्व एवं प्राथमिक अधिशेषों का अनुरक्षण करने में समर्थ था। राज्य ने हिमाचल प्रदेश राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निर्धारित लक्ष्य तिथि से पूर्व राजस्व घाटे का विलोपन कर दिया है तथा राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रक्षेप-पथ पर था। परन्तु 2008-09 के दौरान स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा राज्य को सभी मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों अर्थात् राजस्व (130 करोड़ रू0), राजकोषीय (2,278 करोड़ रू0) एवं प्राथमिक (384 करोड़ रू0) में राजस्व प्राप्तियों में (1.8 प्रतिशत) सीमांत वृद्धि की अपेक्षा राजस्व व्यय (13.8 प्रतिशत) में अत्यधिक वृद्धि के कारण घाटा हुआ है।

कर-भिन्न राजस्व 67 करोड़ रू0 तक तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 95 करोड़ रू0 तक कम हुआ जिससे 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटा 2007-08 में 552 करोड़ रू0 से 2008-09 के दौरान 2,278 करोड़ रू0 तक 1,726 करोड़ रू0 अर्थात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.17 प्रतिशत तेजी से बढ़ा जो प्रक्षेपणों की तुलना में बहुत उच्चतर है तथा राज्य के लिए एक धक्का है जो हिमाचल प्रदेश राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर था।

राज्य के व्यय प्रतिमानों से पाया गया कि राजस्व व्यय में कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में वृद्धि की प्रवृति थी। इसमें 2008-09 के दौरान कुल व्यय का 81 प्रतिशत शामिल था। गैर-योजनागत राजस्व व्यय राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय शुद्धि पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये निर्धारण से न केवल बढ़ा बल्कि 2008-09 हेतु बारहवें वित्तायोग द्वारा 3,054 करोड़ रू0 (55 प्रतिशत) किये गये मानकीय निर्धारण से भी बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, 2008-09 के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में तीन घटकों अर्थात् वेतन व्यय, पैंशन भुगतानों एवं ब्याज भुगतानों में 82 प्रतिशत (6,988 करोड़ रू0) का समावेश था। व्यय की इन प्रवृतियों ने आवंटन प्राथमिकताओं के परिवर्तन करने की आवश्यकता को सूचित किया।

चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (3,345 करोड़ रू0) तथा राजकोषीय शुद्धि पथ (2,627 करोड़ रू0) में किये गये प्रक्षेपणों से अधिक था। वेतन तथा मजदूरी व्यय राजस्व व्यय के 62 प्रतिशत के मानक ब्याज तथा पैंशन भुगतान के निवल से बारहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश किये गये 35 प्रतिशत के मानक की तुलना में बहुत अधिक था। पैंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय बारहवें वित्तायोग द्वारा 19 तथा 15 प्रतिशत तथा राजकोषीय शुद्धि पथ द्वारा क्रमशः 42 एवं तीन प्रतिशत तक किये गये प्रक्षेपणों से अधिक था। राजस्व प्राप्तियों के प्रति वेतन, ब्याज भुगतानों, पैंशन एवं उपदानों का अनुपात विगत वर्ष की अपेक्षा सात प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि दर्शाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति राजकोषीय देयताओं का अनुपात 59 प्रतिशत था जो 2008-09 की समाप्ति पर राजस्व प्राप्तियों के 2.34 गुणा पर स्थित था जिसमें राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार द्वारा अभी भारत के रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप निधि तथा प्रत्याभूति विमोचन मुक्ति निधि को स्थापित करना है जैसाकि बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई है ताकि इन देयताओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

रोकड़ शेषों से निवेश के प्रति वसूल किया गया ब्याज 1.1 प्रतिशत था जबकि सरकार ने अपने उधारों पर 9.19 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, सांविधिक सरकारी निगमों तथा कम्पनियों द्वारा विशेष रूप से विद्युत तथा परिवहन क्षेत्रों में हानियों का भारी एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप निवेश पर विगत पांच वर्षों में 1.1 प्रतिशत की नगण्य औसत आय सतत चिन्ता का विषय है तथा राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

विकास व्यय के लिए पर्याप्त ध्यान देना: हिमाचल प्रदेश में सकल व्यय के प्रति विकास व्यय का अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है तथा इस प्रकार इसमें उच्चतर राजकोषीय प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। इसमें विकासात्मक परिणामों हेतु निर्धारण करने के लिए व्यय का उपयोग करने के लिए राज्य की क्षमता का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है यदि इसे स्कीमों के बेहतर अभिकल्प, प्रशासनिक लागत को कम करके, समयोपरि कार्यान्वियन, गहन अनुश्रवण आदि से सुधारा जा सके। अधूरी परियोजनाओं की लागत एवं समय वृद्धि कमजोर नियंत्रण प्रणालियों के अनिवार्य उपफल हैं। राज्य इस क्षेत्र में आगे सुधार के लिए कार्य कर सकता है ताकि लोक शीघ्रातिशीघ्र सम्भव समय में परिकल्पित लाभ उठा सकें।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: विगत पांच वर्षों में सांविधिक निगमों/बोर्डों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारिताओं में हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश पर औसत आय 1.1 प्रतिशत थी जबकि इसका औसत ब्याज निर्गम 9.5 प्रतिशत था। यह स्पष्टतया असहनीय प्रस्ताव है। राज्य सरकार को इसलिए निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य तलाशने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। अन्यथा न्यून वित्तीय आय सहित परियोजनाओं में निवेश की गई उच्च लागत उधार निधियां अर्थव्यवस्था को लगातार विकृत करती रहेगी। परियोजनाएं जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक आय के कारण न्याय-संगत है की पहचान की जाए तथा उच्च-लागत उधारों हेतु पूर्ण न्यायोचितता सहित इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकार को भारी क्षतियां उठाने वाले राज्य-स्वामित्व के लोक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यचालन का पुनर्रावलोकन करने की आवश्यकता है तथा या तो पुनर्स्थापना योजना (उनके लिए जो अनुकूल प्रकृति के है तथा व्यहार्य बनाये जा सकते है) अथवा बन्द किये (यदि वे दी गई चालू बाजार शर्तों में व्यवहार्य होने सम्भावित नहीं है) जाने की योजना बनानी चाहिए।

विवेकी रोकड़ प्रबन्धन: अधिशेष रोकड़ शेषों के रखने की लागत उच्च प्रतिवेदित की गई है। 2008-09 में भारतीय रिजर्व बैंक के खजाना बिलों एवं नीलामी बिलों में रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त किया गया ब्याज केवल 1.2 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 9.19 प्रतिशत की औसत दर से उधार लिया। अग्रवर्ती योजना द्वारा उपयुक्त ऋण प्रबन्धन से दीर्घ रोकड़ अधिशेषों को रखने की आवश्यकता को कम किया जा सकता है।

ऋण धारणीयता: हिमाचल प्रदेश सरकार को 2009-10 तक 31 प्रतिशत ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए जैसाकि बारहवें वित्तायोग/राज्यकोषीय सुधार विधान में विनिर्दिष्ट है। उधार निधियों को ज़हां तक सम्भव हो केवल पूंजीगत व्यय के निधियन हेतु ही उपयोग किया जाना चाहिए तथा राजस्व व्यय की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से की जानी चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र प्राथमिक अधिशेषों एवं शून्य राजस्व घाटे की स्थिति में वापसी के प्रयास किये जाने चाहिए। राजकोषीय वर्ष की समाप्ति पर एकत्रीकरण से बचने के लिए उधारों की विवरणी का अनुरक्षण करना चाहिए तथा ऋण भुगतानों की परिपक्वता रूपरेखा की स्पष्ट जानकारी विवेकी ऋण प्रबन्धन में अधिक लाभकारी होगी।

भारत सरकार से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित की गई निधियों की अतिक्रम: ऑफ-बजट विधि के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित निधियों में राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अपेक्षाओं की पारदर्शिता की मनाही है तथा इस प्रकार उत्तरदायित्व का उपमार्ग होता है। इसके उपयोग का अनुश्रवण करने हेतु कोई भी एकल अभिकरण नहीं है तथा मुख्य ध्वज-पोत एवं अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों पर किसी विशिष्ट वर्ष में व्यय की गई राशि का भी डाटा शीघ्र रूप से उपलब्ध नहीं है। इन निधियों के उपयुक्त लेखाकरण को सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त एक प्रणाली बनानी होगी तथा राज्य सरकार एवं महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को अद्यतन सूचना का वैधीकरण करना होगा।

दूसरा अध्याय
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2. वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन लेखों में दी गई अनुसूचियों में निर्दिष्टानुसार विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखों को विनियोजन लेखे कहते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की उन दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को सुकर बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा में यह अभिनिश्चित करने के लिए देखा जाता है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अधीन किए गए अनुमोदन के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। यह भी अभिनिश्चित किया जाता है कि क्या इस प्रकार का किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुसार है।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2008-09 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 में दी गई है:

तालिका-2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(करोड़ रूपए)

	व्यय प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत्त	I राजस्व	8,335.22	363.06	8,698.28	8,771.51*	(+) 73.23
	II पूंजीगत	1,950.05	250.61	2,200.66	2,185.41*	(-) 15.25
	III ऋण एवं अग्रिम	101.76	5.37	107.13	89.61	(-) 17.52
कुल दत्तमत्त		**10,387.03**	**619.04**	**11,006.07**	**11,046.53**	**(+) 40.46**
प्रभारित	IV राजस्व	1,846.16	55.02	1,901.18	1,912.09	(+) 10.91
	V पूंजीगत	---	0.08	0.08	0.08	---
	VI लोक ऋण-चुकौती	1,182.00	--	1,182.00	885.54	(-) 296.46
कुल प्रभारित		**3,028.16**	**55.10**	**3,083.26**	**2,797.71**	**(-) 285.55**
आकस्मिकता निधि (यदि कोई है) को विनियोजन		---	---	---	---	---
सकल जोड़		**13,415.19**	**674.14**	**14,089.33**	**13,844.24**	**(-) 245.09**

* ये अनुदान संख्या 10,13 व 31 को छोड़कर सकल आंकड़े हैं जिनमें कुछ उचन्त शीर्षों को खोला गया है।

राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 24 अनुदानों तथा दो विनियोजनों की बचत पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 21 अनुदानों तथा एक विनियोजन में 801.61 करोड़ रू0 और राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत आठ अनुदानों व तीन विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत पांच अनुदानों में 556.52 करोड़ रू0 के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित करने के परिणामस्वरूप 245.09 करोड़ रू0 की समग्र बचत हुई।

बचतों/आधिक्यों (विस्तृत विनियोजन लेखे) को नियंत्रण अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया (जुलाई 2009) कि वे महत्वपूर्ण अन्तरों का स्पष्टीकरण दें। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग को भी सूचित किया गया था (सितम्बर 2009)। 769 उप-शीर्षों में से 296 उप-शीर्षों (बचत: 115 उप-शीर्ष तथा आधिक्य: 181 उप-शीर्ष) के सम्बन्ध में अन्तर के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2009)। 10 विभागों के वास्तविक आधिक्य प्रत्येक मामले में एक करोड़ रू0 से अधिक हैं तथा पांच विभागों की बचतें प्रत्येक मामले में एक करोड़ रू0 से अधिक हैं।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आबंटित अग्रताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 24 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में एक करोड़ रू0 से बढ़ गई तथा छ: मामलों में (*परिशिष्ट 2.1*) कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही। कुल 801.60 करोड़ रू0 की बचतों के प्रति दो अनुदानों तथा एक विनियोजन से सम्बन्धित तीन मामलों में 578.82 करोड़ रू0[12] (*72 प्रतिशत*) की बचतें पाई गई जैसाकि तालिका-2.2 में इंगित है।

तालिका-2.2: 50 करोड़ रू0 एवं अधिक की बचतों सहित अनुदानों की सूची

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत
	राजस्व-दत्तमत्त					
1.	08-शिक्षा	1,763.65	44.20	1,807.85	1,582.49	225.36
2.	29-वित्त	1,234.01	---	1,234.01	1,177.01	57.00
	पूंजीगत-प्रभारित					
3.	29-वित्त	1,182.00	---	1,182.00	885.54	296.46
	जोड़	**4,179.66**	**44.20**	**4,223.86**	**3,645.04**	**578.82**

बचतों के कारण प्रतीक्षित (सितम्बर 2009) थे।

2.3.2 अधिक व्यय

12 मामलों में 6,244.67 करोड़ रू0 का कुल व्यय अनुमोदित प्रावधानों से 554.27 करोड़ रू0 बढ़ गया तथा प्रत्येक मामले में एक करोड़ रू0 से अधिक तथा दो मामलों में कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक रहा। ब्यौरा *परिशिष्ट-2.2* में दिया गया है। इनमें से निम्नलिखित अनुदानों/शीर्षों (तालिका 2.3) में गत पांच वर्षों हेतु निरन्तर अधिक व्यय पाया गया:

[12] प्रत्येक मामले में 50 करोड़ रू0 से अधिक।

तालिका-2.3: 2004-09 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय को इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	अधिक व्यय राशि				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
	राजस्व-दत्तमत्त					
1.	10-लोक निर्माण-मार्ग, पुल एवं भवन	73.61	120.02	161.42	126.38	134.46
2.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	1.13	1.89	4.63	7.76	4.08

निरन्तर आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2009)।

2.3.3 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि तीन मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में किसी प्रावधान के बिना तथा इस आशय के किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना 465.38 करोड़ रू0 का व्यय किया गया जैसाकि तालिका-2.4 में ब्यौरावार दिया गया है।

तालिका-2.4: वर्ष 2008-09 के दौरान प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(करोड़ रूपए)

अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान की व्यय राशि	कारण/अभ्युक्तियां
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	62.10	कारण प्रतीक्षित थे।
29-वित्त	372.85	कारण प्रतीक्षित थे
31-जनजातीय विकास	30.43	कारण प्रतीक्षित थे
जोड़	**465.38**	

2.3.4 बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने हेतु निधियों का आहरण

वित्तीय नियमावली के नियम 2.10 के साथ पठित खजाना नियमों के प्रावधानों के अनुसार खजाने से धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक वह शीघ्र वितरणार्थ अपेक्षित न हो। नमूना-जांच के दौरान कुछ मामलों में, जो नीचे दिए गए हैं, आहरित राशियां न तो पूर्णत: निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु खर्च की गई और न ही वित्तीय वर्ष 2008-09 के समापन से पूर्व सरकारी लेखे में जमा करवाई गई जैसाकि नीचे दिया गया है:

(i) निदेशक पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज संस्थाओं के कम्प्यूटीकरण हेतु 8.55 करोड़ रू0 आहरित किए थे तथा उनको बैंक बचत खाते में जमा करवा दिया था जो मई 2009 तक अप्रयुक्त पड़े हुए हैं।

(ii) उप-मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी, रामपुर ने नवम्बर 2005 तथा मई 2009 के मध्य 2008-09 के दौरान पूर्ण की जाने वाली विभिन्न स्कीमों के निष्पादनार्थ 0.04 करोड़ रू0 का आहरण किया जो बैंक में अव्ययित पड़े हुए थे।

(iii) उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी, घुमारवीं ने 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान विभिन्न विकासात्मक कार्यों के निष्पादनार्थ एक करोड़ रू0 का आहरण किया जो जून 2009 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

(iv) उपायुक्त, हमीरपुर ने क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना शीर्ष में से 25.03.2009 को बिना किसी शीघ्र आवश्यकता के 1.01 करोड़ रू0 का आहरण किया जो अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

(क) निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश, शिमला ने भार-निरूपण पुलों की स्थापना हेतु 1.25 करोड़ रू0 का आहरण किया (मार्च 2008) तथा उनको ई-गवॅर्नन्स सोसाइटी, दी माल, शिमला के लेखे में जमा करवा दिया जो मार्च 2009 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

2.3.5 निगम को अनुचित सहायता एवं ब्याज की हानि

अधिशासी अभियंता, शिमला मण्डल संख्या I तथा सुन्दरनगर द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना 9.51 करोड़ रू0 का अग्रिम भुगतान किया गया जिसके कारण निगम को 9.39 करोड़ रू0 की अनुचित सहायता दी गई तथा सरकार को 24.21 लाख रू0 के ब्याज की हानि हुई

वित्तीय नियमों में शर्त है कि खजाने से धन का आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसकी शीघ्र संवितरणार्थ अथवा किसी स्थायी अग्रिम में से संवितरित की गई निधियों की भरपाई हेतु आवश्यकता न हो। उन कार्यों के निष्पादन हेतु, जिनकी पूर्णता में पर्याप्त समय लगने की सम्भावना हो, खजाने से अग्रिमों को आहरित करना अनुमत नहीं है। नियमों में यह भी शर्त है कि सामग्री के प्रापणार्थ फर्मों/आपूर्तिकर्त्ताओं को किए गए अग्रिम भुगतानों को सामग्री की लम्बित प्राप्ति "विविध निर्माण कार्य अग्रिम" उचन्त शीर्ष के अंतर्गत रखना चाहिए। इस प्रकार, अग्रिम भुगतानों को कार्यों के अन्तिम लेखा शीर्ष के नामे नहीं डालना चाहिए।

दो मण्डलों[13] के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (फरवरी 2009) कि सामग्री के प्रापणार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, शिमला (निगम) को 29 फरवरी 2008 (1.50 करोड़ रू0) तथा 31 मार्च 2008 (8.01 करोड़ रू0) में 9.51 करोड़ रू0 के अग्रिम भुगतान किया गया। सामग्री प्राप्ति के लम्बित अग्रिम भुगतानों की राशि को उचन्त शीर्ष "विविध निर्माण कार्य अग्रिम" के अन्तर्गत रखने के बजाए विभिन्न कार्य के अन्तिम लेखाशीर्ष को प्रभारित किया था। तथापि, यह देखा गया कि सामग्री प्रापणार्थ निगम को भारी अग्रिम भुगतान करने से पूर्व सामग्री की किसी आवश्यकता का कभी भी निर्धारण किया गया हो, ऐसा मण्डलों के अभिलेख नहीं दर्शाते।

अभिलेखों की आगामी संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि शिमला मण्डल संख्या I में निगम द्वारा 3.51 करोड़ रू0 के अग्रिम भुगतान के प्रति अप्रैल 2008 व जुलाई 2008 के मध्य केवल 12.43 लाख रू0 मूल्य के सीमेंट की आपूर्ति की गई। 3.39 करोड़ रू0 की शेष राशि का प्रत्यर्पण निगम द्वारा क्रमशः मई 2008 (2.51 करोड़ रू0) तथा अगस्त 2008 (87.57 लाख रू0) में किया गया। सुन्दरनगर मण्डल के सम्बन्ध में निगम द्वारा छः करोड़ रू0 की समस्त राशि क्रमशः मई 2008 (1.50 करोड़ रू0) तथा अगस्त 2008 (4.50 करोड़ रू0) में प्रत्यर्पित की। निगम द्वारा प्रत्यर्पण के बाद समस्त राशि अनुवर्त्ती वित्तीय वर्षों में प्रयुक्ति हेतु दोनों मण्डलों द्वारा "लोक निर्माण निक्षेपों" में जमा करवाई गई।

अधिशासी अभियंताओं ने तथ्यों की पुष्टि की (फरवरी 2009) और बताया कि निधियां वित्तीय वर्ष 2007-08 के अंत में प्राप्त हुई थी तथा व्यपगमन/अभ्यर्पण रोकने के उद्देश्य से निगम के पास जमा करवाकर प्रयुक्त की गई दर्शानी पड़ी।

[13] शिमला मण्डल संख्या I व सुन्दरनगर।

विभाग की कार्यों पर वास्तविक प्रयुक्ति के बिना व्यय को दर्शाने तथा पुन: "लोक निर्माण निक्षेपों" के अंतर्गत निधियों के अवरोधन की कार्रवाई के परिणामस्वरूप लेखाओं का गलत चित्रण किया। इसके अतिरिक्त निगम को 43 से 134 दिवसों का 9.39 करोड़ रू0 का अनुचित लाभ दिया गया जिससे राज्य सरकार को 24.21 लाख रू0[14] (सरकारी ऋण की 9.09 प्रतिशत की औसत दर पर गणना की गई जिसकी अदायगी 2007-08 के दौरान की गई) के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

2.3.6 विगत वर्षों से सम्बद्ध प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य विधानसभा द्वारा अनुदान/ विनियोजन के अतिरिक्त आधिक्य को नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय नियमनार्थ समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु व्यय के आधिक्य का नियमन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2003-2008 वर्षों हेतु 9,898.62 करोड़ रू0 की राशि के व्यय के आधिक्य का नियमन अभी किया जाना है, जिसका ब्यौरा *परिशिष्ट-2.3* में दिया गया है। अनुदानों/विनियोजनों हेतु लम्बित नियमन के व्यय के आधिक्य की वर्षवार राशि तालिका-2.5 में सारांशित है।

तालिका-2.5: विगत वर्षों से सम्बद्ध प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

(करोड़ रूपए)

वर्ष	की संख्या		प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य राशि	नियमन स्थिति
	अनुदानों	विनियोजनों		
2003-04	15	7	4,515.60	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई, नियमन प्रतीक्षित था।
2004-05	21	4	3,095.14	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई, नियमन प्रतीक्षित था।
2005-06	16	3	846.35	विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन 24.08.2009 को तैयार किया गया।
2006-07	24	3	896.59	विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन 24.08.2009 को तैयार किया गया।
2007-08	18	3	544.94	वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर प्राप्त हुए तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/विधानसभा को भेजी गई। लोक लेखा समिति द्वारा अभी तक चर्चा नहीं की गई।
जोड़			**9,898.62**	

14 **(i) शिमला मण्डल संख्या-I**

एक करोड़ रू0 1.04.2008 से 13.05.2008 तक (43 दिवस)	= 1X 43/365 X 9.09	= 1.07 लाख रू0
1.51 करोड़ रू0 1.04.2008 से 30.05.2008 तक (60 दिवस)	= 1.51X 60/365X9.09	= 2.26 लाख रू0
0.88 करोड़ रू0 1.04.2008 तक (122 दिवस)	= 0.88X122/365X 9.09	= 2.67 लाख रू0
	जोड़(i)	**= 6 लाख रू0**

(ii) सुन्दरनगर

1.50 करोड़ रू0 1.03.2008 से 25.05.2008 तक (86 दिवस)	= 1.50X86/365X9.09	= 3.21 लाख रू0
4.50 करोड़ रू0 1.04.2008 से 12.08.2008 तक (134 दिवस)	= 4.50X134/365X9.09	= 15 लाख रू0
	जोड़ (ii)	**= 18.21 लाख रू0**
सकल जोड़ (i एवं ii)	**=6 लाख रू0+18.21 लाख रू0**	**= 24.21 लाख रू0**

2.3.7 वर्ष 2008-09 के दौरान प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

तालिका 2.6 में वर्ष 2008-09 के दौरान सीएफएस से अनुमोदन के अतिरिक्त 556.52 करोड़ रू0 की राशि के 16 अनुदानों/विनियोजनों में कुल आधिक्य का सारांश दिया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन अपेक्षित है।

तालिका-2.6: वर्ष 2008-09 के दौरान प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं शीर्षक(राजस्व तथा पूंजीगत)	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
1.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	335,84,86,170	336,37,50,022	52,63,852
2.	10-लोक निर्माण-मार्ग, पुल एवं भवन	1172,23,41,000	1306,69,00,035	134,45,59,035
3.	12-बागवानी	80,31,77,667	81,50,22,467	1,18,44,800
4.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	895,23,53,000	1235,99,31,244	340,75,78,244
5.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	106,84,80,350	110,93,18,283	4,08,37,933
6.	16-वन एवं वन्य प्राणी	245,43,25,000	265,84,68,657	20,41,43,657
7.	28-शहरी विकास, ग्राम एवं नगर योजनाकार तथा आवास	80,76,45,000	81,65,00,373	88,55,373
8.	30-विविध सामान्य सेवाएं	32,87,49,000	33,89,20,166	1,01,71,166
9.	10-लोक निर्माण-मार्ग, पुल एवं भवन	328,09,45,000	332,23,92,780	4,14,47,780
10.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	460,68,02,000	486,37,47,896	25,69,45,896
11.	20-ग्रामीण विकास	1,34,00,000	1,96,66,000	62,66,000
12.	31-जनजातीय विकास	112,34,21,000	113,28,38,664	94,17,664
13.	32-अनुसूचित जाति उप योजना	371,95,08,000	382,40,35,551	10,45,27,551
14.	02-राज्यपाल एवं मंत्री परिषद	2,43,39,000	2,56,09,515	12,70,515
15.	03-न्याय प्रशासन	11,56,63,000	12,25,35,264	68,72,264
16.	29-वित्त	1883,05,73,000	1893,57,32,002	10,51,59,002
	जोड़	**6121,02,08,187**	**6677,53,68,919**	**556,51,60,732 अथवा 556.52 करोड़**

सरकार द्वारा आधिक्य के कारणों को सितम्बर 2009 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.3.8 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान पांच मामलों में, प्रत्येक मामले में 25 लाख रू0 अथवा अधिक, प्राप्त किया गया समग्र 48.81 करोड़ रू0 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से नीचे रहा जिसका ब्यौरा *परिशिष्ट-2.4* में दिया गया है। नौ मामलों में 222.85 करोड़ रू0 का अनुपूरक प्रावधान 527.01 करोड़ रू0 (*परिशिष्ट-2.5*) के समग्र अनावृत्त आधिक्य व्यय प्रत्येक में एक करोड़ रू0 से अधिक रहने से अपर्याप्त सिद्ध हुआ। 527.01 करोड़ रू0 के अनावृत्त आधिक्य में से 340.75 करोड़ रू0 (65 प्रतिशत) सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा खर्च किए गए।

2.3.9 निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन निधियों का, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, अनुदान के भीतर हस्तांतरण किया जाता है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 161 उप-शीर्षों में 10 लाख रू0 से अधिक की बचतें/आधिक्य हुआ। 36 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचतें दो करोड़ रू0 से अधिक की थी जिसका ब्यौरा *परिशिष्ट-2.6* में दिया गया है। इनमें से पांच[15] उप शीर्षों में बचतें/व्यय 25 करोड़ रू0 तथा उससे अधिक हुआ जिसके कारण सरकार द्वारा सितम्बर 2009 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2.3.10 अस्पष्ट पुनर्विनियोजन

हिमाचल प्रदेश बजट मैनुअल के परिच्छेद 13.3 (ख) के अनुसार अतिरिक्त व्यय तथा बचतों हेतु कारणों को पुनर्विनियोजन विवरणी में स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा "अतिप्राक्कलन के कारण" "पुनर्विनियोजन अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ", आदि अस्पष्ट शब्दों के वाक्यांशों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, "यात्रा भत्तों" के अंतर्गत आधिक्य होते हैं तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों अतिरिक्त यात्रा भत्ते का अनुमान नहीं लगाया जा सका तथा इसकी लागत वहन करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया और यह क्यों आवश्यक था। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन के आदेशों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2,732 (*14 प्रतिशत*) में से 387 मदों के सम्बन्ध में पुनर्विनियोजन आदेशों में अतिरिक्त प्रावधान/प्रत्याहरण प्रावधान हेतु दिए गए कारण "स्टॉफ द्वारा अधिक यात्रा", "उपकरणों की अधिक खरीद", "अन्य स्कीमों के अंतर्गत अधिक व्यय" तथा प्रत्याशित से अधिक व्यय जैसे सामान्य प्रकृति के थे।

2.3.11 वास्तविक अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों के या तो कार्यान्वयन न करने अथवा धीमे कार्यान्वयन से 25 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में वास्तविक अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित) किए गए। इन 25 स्कीमों में 165.77 करोड़ रू0 के कुल प्रावधान में से 161.22 करोड़ रू0 (*98 प्रतिशत*) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 11 स्कीमों में (142.81 करोड़ रू0) शत प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित था। लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित/सत्यापित ऐसे चयनित मामलों का ब्यौरा *परिशिष्ट 2.7* में दिया गया है।

इसी भांति, छः अन्य अनुदानों (प्रत्येक अनुदान में एक करोड़ रू0 तथा अधिक की बचतें इंगित थीं) के अंतर्गत 59.98 करोड़ रू0 की कुल बचतों में से 12.69 करोड़ रू0 (कुल बचतों का *21 प्रतिशत*) की समग्र राशि अभ्यर्पित नहीं की गई जिसका ब्यौरा *परिशिष्ट-2.8* में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 10 मामलों में (10 करोड़ रू0 से अधिक की निधियों का अभ्यर्पण) अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित करते हुए मार्च 2009 के अंतिम कार्य दिवस पर 751.35 करोड़ रू0 अभ्यर्पित किए गए (*परिशिष्ट-2.9*) तथा तथ्य यह है कि इन निधियों की प्रयुक्ति अन्य विकास उद्देश्यों हेतु नहीं की जा सकी।

2.3.12 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

13 मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में 50 लाख रू0 अथवा अधिक) वास्तविक बचतों से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी अथवा अपर्याप्तता को इंगित करता है। 676.80 करोड़ रू0 की बचतों के प्रति अभ्यर्पित राशि

[15] अनुदान संख्या 13:4 उप शीर्ष; अनुदान संख्या 29: एक उप-शीर्ष ।

738.69 करोड़ रू0 थी जिसके परिणामस्वरूप 61.89 करोड़ रू0 का अधिक अभ्यर्पण हुआ। ब्यौरा *परिशिष्ट-2.10* में दिया गया है। बचतों से अधिक के अभ्यर्पण के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2009)।

2.3.13 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली (नियम 1(5) के साथ पठित नियम 19.5) के अनुसार व्यय का नियमन चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के समापन मास में व्यय की अधिकता रोकी जानी चाहिए। इसके विपरीत, *परिशिष्ट-2.11* में सूचीबद्ध 31 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में 10 करोड़ रू0 तथा वर्ष हेतु कुल व्यय का *50 प्रतिशत* मार्च 2009 में खर्च किया गया। तालिका 2.7 भी मुख्य शीर्षों को दर्शाती है जहां *50 प्रतिशत* से अधिक का व्यय या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया।

तालिका-2.7: 2008-09 के वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2009 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2245	171.71	86.47	50	36.47	21
2.	4059	19.98	11.90	60	11.18	56
3.	4202	211.69	147.80	70	60.77	29
4.	4210	71.16	39.94	56	24.27	34
5.	4215	328.31	217.53	66	187.18	57
6.	4402	15.00	10.74	72	10.74	72
7.	4700	15.51	11.53	74	10.55	68
8.	4701	63.55	45.61	72	37.56	59
9.	4702	147.73	81.39	55	52.93	36
	जोड़	**1,044.64**	**652.91**	**63**	**431.65**	**41**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

कुछ नमूना-जांच किए गए निम्नांकित मामलों में वर्ष के दौरान व्यय का एकरूप प्रवाह नहीं रखा गया जो वित्तीय प्रबंधन की कमी को इंगित करता है।

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	कुल व्यय	व्यय (प्रतिशतता)			
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
1.	खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी बनीखेत, चम्बा	4.45	0.63 (14)	1.03 (23)	1.10 (25)	1.69 (38)
2.	प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घरवारसड़ा, मण्डी	0.5	0.06 (12)	0.12 (24)	0.13 (26)	0.19 (38)
3.	उप-मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी, कुल्लू	1.43	0.07 (5)	0.20 (14)	0.50 (35)	0.66 (46)

4.	जिला कृषि अधिकारी, केलांग (लाहौल एवं स्पिति)	0.70	0.20 (28)	0.20(29)	0.10 (14)	0.20 (29)
5.	खण्ड विकास अधिकारी, हमीरपुर	0.45	0.06 (13)	0.10 (22)	0.10 (22)	0.19 (43)
6.	निदेशक, पशुपालन, शिमला	8.76	0.46 (5)	1.84 (21)	1.91(22)	4.55 (52)

स्रोत: विभागीय आंकड़े

2.4 विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना

2.4.1 सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन

नियमानुसार प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि प्रथम चालू मास से पूर्व उसके द्वारा आहरित किए गए सभी आकस्मिक प्रभारों हेतु विस्तृत बिलों को प्रतिहस्ताक्षरार्थ एवं महालेखाकार को भिजवाने के लिए सम्बद्ध नियंत्रण अधिकारियों को अग्रेषित कर दिए गए हैं।

कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा पर्यटन विभागों के अंतर्गत 14 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005-2009 की अवधि के दौरान प्राप्त विस्तृत आकस्मिक बिलों की कुल राशि 0.95 करोड़ रू0 के सार आकस्मिक बिलों की राशि के प्रति केवल 0.54 करोड़ रू0 थी जिससे 31 मार्च 2009 को विस्तृत आकस्मिक बिलों की बकाया राशि 0.41 करोड़ रू0 हो गई।

2005-09 वर्षों हेतु विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का विभागवार लम्बन का ब्यौरा *परिशिष्ट-2.12* में दिया गया है। यह भी देखा गया कि पैट्रोल तेल स्नेहक व्यय, वाहनों की मरम्मत, यात्रा भत्ता व्यय, मिट्टी तेल की खरीद, लेखन सामग्री/डाक टिकटें तथा कैम्पों/प्रशिक्षण हेतु सार आकस्मिक बिलों को अधिकांशत: आहरित किया जा रहा था। सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.4.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न करना

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने आकस्मिक व्यय के उद्देश्यार्थ या तो स्थायी आदेशों अथवा राज्य सरकार की विशिष्ट संस्वीकृति पर अस्थायी अग्रिमों का आहरण किया। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड-। के नियम 2.10 के अनुसार खजाना अधिकारी प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष को केवल 10,000 रू0 की सीमा तक अग्रिम आहरण के लिए अधिकृत कर सकता है तथा उसके बाद अग्रिम आहरण उसके द्वारा तब तक अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक पहले अग्रिम को विधिपूर्वक लेखाबद्ध नहीं किया जाता।

राज्य में 12[16] आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि मार्च 2009 तक अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन तथा 11.62 करोड़ रू0 समायोजनार्थ लम्बित थे। लम्बित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण *तालिका-2.9* में दिया गया है।

---

16 (i) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी, तीसा, चम्बा (10.13 लाख रू0) (ii) चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (124.65 लाख रू0) (iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्बा (0.15 लाख रू0) (iv) निदेशक, श्रम एवं रोजगार, शिमला (0.10 लाख रू0) (v) निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान (260.47 लाख रू0) (vi) जिला पंचायत अधिकारी, केलांग (0.14 लाख रू0) (vii) अधिशासी अभियंता (अभिकल्प), डा0 वाईएस0 परमार विश्वविद्यालय, सोलन (756.91 लाख रू0) (viii) परियोजना निदेशक, एड्स नियंत्रण समिति, कसुम्पटी (2.62 लाख रू0) (ix) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नाहन (0.56 लाख रू0) (x) परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग (0.41 लाख रू0) (xi) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिमला (0.90 लाख रू0) तथा (xii) भू-परीक्षण अधिकारी, रिकांगपिओ (5.00 लाख रू0)

तालिका-2.8

क्रमांक	लम्बन	अग्रिमों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए)
1.	पांच वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक	1	0.05 (0.43)
2.	एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम	109	11.57 (99.57)
	जोड़	110	11.62 (100)

कोष्ठक के आंकड़े कुल राशि की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।
स्रोत: विभागीय आंकड़े

सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अस्थायी अग्रिमों के असमायोजन के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया था। दीर्घावधियों तक अस्थायी अग्रिमों के असमायोजन से दुर्विनियोजन एवं धोखेबाजी का जोखिम बना रहता है। सम्बन्धित विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को प्राधिकरण पर निर्धारित वित्तीय नियंत्रण तथा अस्थायी अग्रिमों के समय पर नियमनिष्ठ समायोजन करने की आवश्यकता है।

2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं के परिचालन की समीक्षा की गई तथा निम्नांकित बिन्दु ध्यान में आए:

(i) मार्च 2009 तक 14 जिला खजानों में 137 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन किया गया था। इनमें से किसी भी व्यक्तिगत निक्षेप लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बन्द नहीं किया गया था तथा लेखों में 209.57 करोड़ रू0 के शेष सम्बन्धित सेवा शीर्षों को हस्तांतरित नहीं किए थे। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक व्यय की अत्योक्ति हुई।

(ii) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से एकत्रित सूचना से उद्घाटित हुआ कि 203 करोड़ रू0 के व्यक्तिगत निक्षेप लेखे 20 वर्षों की अवधि तक अपरिचालित रहे। इनमें से 202.66 करोड़ रू0 के शेष वाले 22 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे 5 वर्षों से अधिक अवधि से परिचालित नहीं किए गए।

(iii) व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सामान्यत: जमा शेष से बंद किए जाने चाहिए क्योंकि निक्षेप के प्रति भुगतान प्राप्त निक्षेपों से नहीं बढ़ना चाहिए। व्यक्तिगत निक्षेप लेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नौ मामलों में (*परिशिष्ट-2.13*) 62.13 लाख रू0 के प्रतिकूल शेष थे जो गलत वर्गीकरण, अधिक भुगतान, लेखाओं का मिलान न करना अथवा कुछ अन्य कारणों से थे, जिनकी छानबीन तथा परिशोधन अपेक्षित था।

अत: विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु निधियों को बिना कार्य के, जिसके लिए संस्वीकृत व जारी की गई, व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखा गया। वित्तीय वर्ष के समापन पश्चात् व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में निधियों को रखने की प्रथा निधियों के दुरूपयोग का जोखिम बनाती है जिसे रोकने की आवश्यकता है।

2.6 बजटीय प्रक्रिया में त्रुटियां

वर्ष 2008-09 हेतु राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रक्रिया में पाई गई चूकें अथवा त्रुटियां निम्नांकित थीं:

- मुख्य शीर्ष 2210-05-105-04 के अंतर्गत वर्ष 2008-09 हेतु अनुपूरक बजट में 0.70 लाख रू0 का अंतर था। अनुपूरक बजट में कुल आंकड़े 44.05 लाख रू0 दर्शाए गए जबकि योग के वास्तविक आंकड़े 43.35 लाख रू0 बनते थे।

- आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 47 मदों में 2008-09 वर्ष के दौरान बजट के बिना 538.73 करोड रू0 खर्च किए। 47 मदों में से राज्य सरकार द्वारा मूल/अनुपूरक बजट में कोई सांकेतिक प्रावधान किए बिना पुनर्विनियोजन के माध्यम से 19 मामलों में 50.59 करोड़ रू0 का व्यय किया गया। नौ मामलों में किसी मूल/अनुपूरक बजट में प्रावधान किए बिना 464 करोड़ रू0 का व्यय किया। यद्यपि वर्षान्त पर 19 मामलों में समग्र मूल प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया तब भी वर्ष के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 24.14 करोड़ रू0 का व्यय किया गया।
- 154.41 करोड़ रू0 की संशोधन पर्चियों की गणना न करने के कारण 5 अनधिकृत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मूल बजट का प्रावधान किया गया।

2.7 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

एक अनुदान (अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता) की समीक्षा की गई तथा निम्नांकित अनियमितताएं ध्यान में आई:

(i) अवास्तविक आकलन के कारण बजट प्रावधान की तुलना में आधिक्य जिसका नियमन प्रतीक्षित था

वर्ष 2008-09 के दौरान अनुदान के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 405.98 करोड़ रू0 (राजस्व प्रवर्ग: 344.87 करोड़ रू0 तथा पूंजीगत प्रवर्ग: 61.11 करोड़ रू0) का आधिक्य था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-2.9

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य	प्रतिशतता
	राजस्व (दत्तमत्त)	**मूल**	**अनुपूरक**	**पुनर्विनियोजन**	**जोड़**			
1.	2059-लोक निर्माण	0.50	0.24	0.00	0.74	0.75	0.01	1.35
2.	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	636.19	7.41	1.59	645.19	966.46	321.27	49.79
3.	2700-मुख्य सिंचाई	7.62	0.00	-1.80	5.82	12.10	6.28	107.90
4.	2702-लघु सिंचाई	228.57	5.16	-2.31	231.42	244.18	12.76	5.51
5.	2711-बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकास	4.52	0.00	-0.60	3.92	8.47	4.55	116.07
	जोड़	**877.40**	**12.81**	**-3.12**	**887.09**	**1,231.96**	**344.87**	
	पूंजीगत (दत्तमत्त)							
6.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	43.50	0.00	-28.00	15.50	15.51	0.01	0.06
7.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	54.00	0.00	-22.00	32.00	32.10	0.10	0.31
8.	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	97.03	0.00	-10.29	86.74	147.73	60.99	70.31
9.	4705-कमांद क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	6.60	0.00	-4.85	1.75	1.76	0.01	0.57
	जोड़	**201.13**	**0.00**	**-65.14**	**135.99**	**197.10**	**61.11**	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

वर्ष 2008-09 के दौरान नौ मुख्य शीर्षों (राजस्व प्रवर्ग: 887.09 करोड़ रू0 तथा पूंजीगत प्रवर्ग: 135.99 करोड़ रू0) के अंतर्गत 1,023.08 करोड़ रू0 के कुल प्रावधान के प्रति 1,429.06 करोड़ रू0 (राजस्व प्रवर्ग: 1,231.96 करोड़ रू0 तथा पूंजीगत प्रवर्ग: 197.10 करोड़ रू0) का व्यय किया गया। 405.85 करोड़ रू0 का आधिक्य पांच मुख्य शीर्षों (मुख्य शीर्ष 2215-321.27 करोड़ रू0, मुख्य शीर्ष 2700-6.28 करोड़ रू0, मुख्य शीर्ष 2702-12.76 करोड़ रू0, मुख्य शीर्ष 2711-4.55 करोड़ रू0 तथा मुख्य शीर्ष 4702-60.99 करोड़ रू0) से सम्बन्धित था। 405.98 करोड़ रू0 के व्यय का आधिक्य नियमित नहीं करवाया गया (सितम्बर 2009) था।

(ii) अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 346.13 करोड़ रू0 की अतिरिक्त आवश्यकता के प्रति केवल 12.81 करोड़ रू0 का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया जिसका ब्यौरा निम्नांकित है:

तालिका-2.10

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य	मूल प्रावधान तथा व्यय में अंतर
	राजस्व (दत्तमत्त)	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	जोड़			
1	2059-लोक निर्माण	0.50	0.24	0.00	0.74	0.75	0.01	0.25
2	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	636.19	7.41	1.59	645.19	966.46	321.27	330.27
3	2702-लघु सिंचाई	228.57	5.16	-2.31	231.42	244.18	12.76	15.61
	जोड़	865.26	12.81	-0.72	877.35	1,211.39	334.04	346.13

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

अत: उपरोक्त मामलों में अल्प अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे 334.04 करोड़ रू0 के व्यय का आधिक्य रह गया। यह अवास्तविक प्राक्कलन को इंगित करता है।

(iii) अविवेकी पुनर्विनियोजन

अनुदान के छ: मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 213.27 करोड़ रू0 के मूल विनियोजन के प्रति 217.67 करोड़ रू0 का व्यय किया गया। अनुपूरक प्रावधानार्थ 4.40 करोड़ रू0 की आवश्यकता थी परन्तु इन मामलों में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। इसकी बजाए पुनर्विनियोजन द्वारा 67.54 करोड़ रू0 आहरित किए गए तथा इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 71.94 करोड़ रू0 का आधिक्य था जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.11

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य
	राजस्व (दत्तमत्त)	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	जोड़		
1.	2700-मुख्य सिंचाई	7.62	0.00	-1.80	5.82	12.10	6.28
2.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	4.52	0.00	-0.60	3.92	8.47	4.55
	जोड़	**12.14**	**0.00**	**-2.40**	**9.74**	**20.57**	**10.83**

	पूंजीगत (दत्तमत्त)						
3.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	43.50	0.00	-28.00	15.50	15.51	0.01
4.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	54.00	0.00	-22.00	32.00	32.10	0.10
5.	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	97.03	0.00	-10.29	86.74	147.73	60.99
6.	4705-कमांद क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	6.60	0.00	-4.85	1.75	1.76	0.01
	जोड़	**201.13**	**0.00**	**-65.14**	**135.99**	**197.10**	**61.11**
	सकल जोड़	**213.27**	**0.00**	**-67.54**	**145.73**	**217.67**	**71.94**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

इस प्रकार, उपरोक्त मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक एवं अविवेकी था।

(iv) व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकार ने तिमाहीवार व्यय करने की प्रतिशतताएं निर्धारित (सितम्बर 1995) की है। वर्ष 2008-09 के दौरान अनुदान संख्या-13 के मामले में निर्धारित मानकों के अनुसार तिमाहीवार व्यय का अनुरक्षण नहीं किया गया जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध है:

तालिका-2.12

(करोड़ रूपए)

मास	व्यय	तिमाही	तिमाही व्यय	वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिशतता
4/2008	15.11	पहली तिमाही	204.90	11.90	20
5/2008	76.01				
6/2008	113.78				
7/2008	86.87	दूसरी तिमाही	246.14	14.29	25
8/2008	75.65				
9/2008	83.62				
10/2008	116.82	तीसरी तिमाही	349.23	20.28	30
11/2008	123.89				
12/2008	108.52				
1/2009	116.60	चौथी तिमाही	922.09	53.53	25
2/2009	185.13				
3/2009 (सामान्य)	626.05				
3/2009 (अनुपूरक 1)	-1.98				
3/2009 (अनुपूरक 2)	-4.15				
3/2009 (अंतिम)	0.44				
जोड़	**1,722.36**		**1,722.36**	**100.00**	**100**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का तीव्र प्रवाह अनुदान के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था। यह योजना तथा निधियों के आवंटन में विवेक के अभाव को भी इंगित करता है।

वर्ष के समापन पर व्यय के तीव्र प्रवाह से योजनाबद्ध निष्फल, नगण्य अथवा दोषपूर्ण व्यय हो सकता है। विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक व्यवहार्य हो पूरे वर्ष यथा निर्धारित निधियों के व्यय की एकरूपता हो जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह को रोका जा सके।

(v) वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां प्रस्तुत न करना

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं सही बजट प्राक्कलनों को तैयार करने हेतु दायित्व विवरणियों को प्रमुख अभियंता द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान वित्त विभाग को नहीं भेजा गया जैसाकि बजट मैनुअल के अंतर्गत अपेक्षित है।

बजट मैनुअल के अनुसार अपेक्षित अनुरक्षण की जाने वाली अप्रकट/पालन न किए गए देयताओं पर दृष्टि रखने की दायित्व पंजिका प्रमुख अभियंता द्वारा अनुरक्षित नहीं की गई थी।

2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की धीमी गति से 801.61 करोड़ रू0 की समग्र बचतें हुई जो 556.52 करोड़ रू0 के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई; इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन अपेक्षित है। "लोक निर्माण" तथा "पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य" क्षेत्रों ने विगत् पांच वर्षों हेतु निरन्तर भारी आधिक्य दर्ज किए। वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान के पांच मामलों में प्राप्त कुल 48.81 करोड़ रू0, प्रत्येक मामले में 25 लाख रू0 या इससे अधिक, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं किया गया। 13 मामलों में अभ्यर्पण राशि (प्रत्येक मामले में 50 लाख रू0 अथवा अधिक) वास्तविक बचतों से अधिक रही जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण के अभाव अथवा अपर्याप्तता को इंगित करती है। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा पुनर्विनियोजन के अनावश्यक/आधिक्य के दृष्टांत भी पाए गए। समग्र वित्तीय प्रबंधन में ध्यान आया अन्य पुराना लक्षण वर्षांत पर व्यय का तीव्र प्रवाह है। बहुत से मामलों में बचतें या तो अभ्यर्पित नहीं की गई अथवा वर्ष के अंतिम दिवस पर अभ्यर्पित की गई जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु प्रयुक्ति की सम्भावना नहीं रही। वित्तीय प्रबंधन में ऐसी कमियों को रोकने हेतु बजटीय नियंत्रणों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

तीसरा अध्याय
वित्तीय विवरण

3. वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आंतरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। अत: ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर समय एवं विवरण की गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियम, प्रक्रियाएं व दिशासूचक एक सफल शासन का लक्षण है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर विवरण यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है तो राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल प्रबन्धकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्यों हेतु दिए गए अनुदानों के प्रयुक्ति प्रमाणपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त करके तथा सत्यापन के बाद इन्हें इनकी संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर, अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि, वर्ष 2008-09 तक प्रदत्त 886.89 करोड़ रू0 के कुल अनुदानों व ऋणों के सम्बन्ध में देय 26,978 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में से 675.49 करोड़ रू0 की कुल राशि के 21,695 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र (*80 प्रतिशत*) बकाया थे। बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का विभागीय-वार ब्यौरा *परिशिष्ट-3.1* में दिया गया है तथा प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने का अवधिवार विलम्ब तालिका-3.1 में सारांशित है।

तालिका-3.1: प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	कुल प्रदत्त अनुदान		बकाया प्रयुक्ति प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0 - 1	15,369	466.78	14,331	340.03
2.	1 - 3	9,911	273.98	6,236	226.53
3.	3 - 5	1,072	95.97	822	77.63
4.	5 - 7	517	40.62	281	23.20
5.	7 - 9	103	7.88	22	6.44
6.	9 एवं इससे ऊपर	6	1.66	3	1.66
	जोड़	**26,978**	**886.89**	**21,695**	**675.49**

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

मार्च 2009 तक लम्बित 675.49 करोड़ रू0 के 21,695 प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों में से 31.30 करोड़ रू0 के 306 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र पांच वर्षों से अधिक हेतु लम्बित पड़े हुए थे। प्रयुक्ति प्रमाणपत्र मुख्यत: शिक्षा विभाग (15,496 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: 193.20 करोड़ रू0), ग्रामीण विकास विभाग (3,293 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: 318.87 करोड़ रू0), उद्योग विभाग (1,270 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: 6.17 करोड़ रू0), कला एवं संस्कृति (670 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: 4.90 करोड़ रू0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (490 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: 39.83 करोड़ रू0), शहरी विभाग (18 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: 33.18 करोड़ रू0), खेल एवं युवा (44 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: 4.23 करोड़ रू0) तथा पर्यटन विभाग (3 प्रयुक्ति प्रमाणपत्र: 1.46 करोड़ रू0) से सम्बन्धित थे।

प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों के अभाव में यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्त्ताओं ने अनुदानों की प्रयुक्ति उन्हीं उद्देश्यों हेतु की है जिसके लिए अनुदान दिए गए थे।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बहुत से स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इन निकायों की बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा की जाती है, जो उनके लेन-देनों, परिचालनात्मक कार्यकलापों व लेखाओं, लेखापरीक्षा में संवीक्षा किए गए सभी

लेन-देनों की लेखापरीक्षा अनुपालना, आंतरिक प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा के सत्यापन से सम्बन्धित होती है। राज्य में 13 निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखाओं का सौंपना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करना तथा इसको विधानसभा पटल पर रखना *परिशिष्ट-3.2* में इंगित की गई है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा सौंपने के पश्चात् लेखापरीक्षा को लेखाओं को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा पटल पर रखने में विलम्ब के अनुसार स्वायत्त निकायों की बारम्बार व्याप्ति तालिका-3.2 में सारांशित है।

तालिका-3.2: लेखाओं को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पटल पर रखने में विलम्ब

लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब (महीनों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब (वर्षों में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण
0 - 1	--		0 - 1	1	विभाग द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
1 - 6	1	विभाग द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए	1 - 2	--	--
6 - 12	--	--	2 - 3	1	विभाग द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
जोड़	**1**			**2**	

अक्तूबर 2009 तक केवल एक लेखा दो महीनों से बकाया है। राज्य सरकार इन स्वायत्त निकायों को निधियां नियमित रूप से संवितरित करती है। लेखाओं तथा अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्त निधियां एवं किया गया व्यय उपयुक्त रूप से लेखाबद्ध किया गया तथा जिस उद्देश्यार्थ निधियां संवितरित की गई थी उसे प्राप्त कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों, जिसके अंतर्गत निकायों का गठन किया गया, के उल्लंघन के अतिरिक्त पता न लगाई गई वित्तीय अनियमितताओं के रहने का जोखिम बना रहता है।

दो स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को एक से तीन वर्षों के विलम्ब पश्चात् भी विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया जिससे राज्य विधानसभा को निकायों की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचित करने के सांविधिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन हुआ।

3.3 दुर्विनियोजन, हानियां, चूकें आदि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जून 2009 की अवधि तक राज्य सरकार ने 77.34 लाख रू0 के सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, चूक आदि के 51 मामलों को सूचित किया जिन पर अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभागीयवार ब्यौरा तथा अवधिवार विश्लेषण *परिशिष्ट-3.3* में तथा इन मामलों का स्वरूप *परिशिष्ट-3.4* में दिया गया है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा इन परिशिष्टों से प्रकट प्रत्येक श्रेणी में चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि के लम्बित मामलों को तालिका-3.3 में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.3: दुर्विनियोजनों, हानियों, चूकों आदि की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा			लम्बित मामलों की प्रवृत्ति		
वर्षावधि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रू0)	मामलों का स्वरूप/लक्षण	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रू0)
0 - 5	9	17.49	चोरी	5	3.21
5 - 10	11	37.66			
10 - 15	11	14.89	सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	49	125.13
15 - 20	3	2.10			
20 - 25	6	1.13	जोड़	54	128.34

25 तथा इससे ऊपर	11	4.07	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	3	51.00
जोड़	**51**	**77.34**	**कुल लम्बित मामले**	**51**	**77.34**

विश्लेषण पुन: इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण, उदाहरणार्थ, तालिका-3.4 में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

तालिका-3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, चूकों आदि के बकाया मामलों के कारण

लम्बित मामलों के विलम्ब/बकाया हेतु कारण		मामलों की संख्या	राशि (लाख रू0)
i)	विभागीय एवं अपराधिक जांच प्रतीक्षित	23	51.06
ii)	विभागीय कार्रवाई की गई परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया	4	3.15
iii)	अपराधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली परन्तु राशि की वसूली हेतु प्रमाणपत्र के निष्पादन मामले लम्बित	--	--
iv)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने के आदेश प्रतीक्षित	17	11.75
v)	न्यायालय में लम्बित	--	--
vi)	अन्य कारण	7	11.38
	जोड़	**51**	**77.34**

3.4 निष्कर्ष

वित्तीय नियमों के प्रावधानानुसार महालेखाकार को 675.49 करोड़ रू0 की कुल राशि के प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों (*80 प्रतिशत*) का लम्बन वर्षानुवर्ष बढ़ रहा है तथा सरकार को तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। विधानसभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में 1 से 3 वर्षों का विलम्ब हुआ जिससे निकायों की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में राज्य विधानसभा को अवगत करवाने के सांविधिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन हुआ। गत 25 वर्षों से अधिक के दौरान 77.34 लाख रू0 से अंतर्ग्रस्त 51 मामलों में से 51.06 लाख रू0 (*66 प्रतिशत*) से अंतर्ग्रस्त 23 मामलों में विभागीय कार्यवाही तथा अपराधिक छानबीन आरम्भ भी नहीं की गई जो सरकार के अभिक्रम के अभाव को इंगित करता है। साक्ष्य गुम होने तथा प्रमाणकर्त्ता के अभाव के परिणामस्वरूप दोष सिद्धि तथा वसूली न होने के कारण विलम्ब से सरकारी धन की हानि का जोखिम रहता है।

रीता मित्रा

(रीता मित्रा)

शिमला
दिनांक 12 मार्च MAR 2010

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)

नई दिल्ली
दिनांक 17 मार्च MAR 2010

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

भाग-क: सरकारी लेखों का ढांचा तथा प्रपत्र
सरकारी लेखों का ढांचा: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।
भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके लिए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि बनेगी।
भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।
भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

भाग-ख: वित्त लेखों का प्रदर्शन

विवरण	प्रदर्शन
विवरणी संख्या 1	राज्य की संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में प्राप्तियां एवं व्यय, राजस्व एवं पूंजी, लोक ऋण प्राप्तियां तथा संवितरण आदि राज्य सरकार के लेन-देनों का सारांश दर्शाती है।
विवरणी संख्या 2	2008-2009 की समाप्ति को प्रगामी व्यय दर्शाने वाली पूंजीगत परिव्यय की सारांशित विवरणी समाविष्ट है।
विवरणी संख्या 3	सिंचाई कार्य, उनकी राजस्व प्राप्तियां, कार्यचालन व्यय तथा अनुरक्षण प्रभार, पूंजीगत परिव्यय, निवल लाभ अथवा हानि इत्यादि के वित्तीय परिणामों को दर्शाती है।
विवरणी संख्या 4	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश बताती है, जिसमें आंतरिक ऋण, भारत सरकार, अन्य आभारों तथा सेवा कार्य ऋण से उधार सम्मिलित है।
विवरणी संख्या 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों, की गई चुकौतियां, बकाया की वसूलियां, इत्यादि का सारांश दर्शाती है।
विवरणी संख्या 6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि की चुकौती हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश दर्शाती है।
विवरणी संख्या 7	नकद शेषों और ऐसे शेषों में से किए गए निवेशों का सारांश दर्शाती है।
विवरणी संख्या 8	संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत 31 मार्च 2009 तक शेषों के सारांश दर्शाती है।
विवरणी संख्या 9	कुल राजस्व/व्यय की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2008-09 हेतु विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत राजस्व एवं व्यय को दर्शाती है।
विवरणी संख्या 10	वर्ष के दौरान किए गए प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को बताती है।
विवरणी संख्या 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के विस्तृत लेखे को बताती है।
विवरणी संख्या 12	इसमें पृथक रूप से गैर-योजना एवं योजना के अन्तर्गत लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्षानुसार पूंजीगत व्यय के लेखों को दर्शाती है।
विवरणी संख्या 13	2008-2009 के दौरान तथा समाप्ति पर किए गए विस्तृत पूंजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरणी संख्या 14	2008-2009 की समाप्ति तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी संख्या 15	2008-2009 की समाप्ति पर पूंजीगत एवं अन्य व्यय तथा मुख्य संसाधनों जिनसे उस व्यय हेतु निधियां प्रदान की गई थी, को दर्शाती है।
विवरणी संख्या 16	ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से सम्बद्ध लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों, संवितरणों एवं शेषों का विस्तृत लेखा दर्शाती है।
विवरणी संख्या 17	हिमाचल प्रदेश सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज युक्त दायित्वों के विस्तृत लेखे को दर्शाती है।
विवरणी संख्या 18	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋणों की राशि, 31 मार्च 2009 को बकायों का विस्तृत लेखा दर्शाती है।
विवरणी संख्या 19	आरक्षित निधियों के चिन्हित शेषों का ब्यौरा दर्शाती है।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.1; पृष्ठ : 18)

राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति

भाग-क

वित्त लेखों की विवरणियों से 2004-09 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनकी व्यावहारिता पर टिप्पणियां की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में बारहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय पूर्णयोगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपणों को भी बनाया। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उतरदायित्व अधिनियम बनाएं तथा पंच वर्षीय अवधि (2005-10) के लिए तदनुसार अपनी राजकोषीय शुद्धि पथ की रूपरेखा बनाएं ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसाकि मध्यम से दीर्घ अवधि को आवृत करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया। राज्य सरकारों द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई वचनबद्धताओं/ प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय पूर्णयोगों हेतु अपने प्रक्षेपणों के साथ बारहवें वितायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान की गुणवता निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है। यह पूर्वानुमान करते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटों को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1] को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिहित आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि की उत्प्लावकता गुणांक का निर्धारण कि क्या साधनों की गतिशीलता, व्यय का प्रतिमान इत्यादि का आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय पूर्णयोगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी निकाला गया है । 1999-2000 को आधार के रूप में मानते हुए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के नए अनुक्रम को राज्य सरकार के निदेशक आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा 2008-09 के आर्थिक सर्वेक्षण में जैसेकि प्रकाशित किया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का प्राकलन में उपयोग किया गया है।

गत पांच वर्षों हेतु राज्य सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रूपए)	23,066	25,471	28,358	31,974	36,940
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	11.32	10.43	11.33	12.75	15.53

स्रोत: आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष 2008-09 हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े अनन्तिम हैं।

राजकोषीय क्षमता का आकलन करने के लिए कार्यपद्धति

राज्य सरकारों की राजकोषीय क्षमता को निकालने हेतु बारहवें वित्तायोग प्रतिवेदन में दी गई निम्नवत् कार्यपद्धति को अपनाया गया है।

[1] सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

चरण 1: एई-जीएसडीपी तथा सीओ/डीई/एसएसई-एई की राष्ट्रीय औसत की गणना करना।

चरण 2: एई-जीएसडीपी अनुपात की राष्ट्रीय औसत पर आधारित समुच्चय व्यय का परिणाम निकाले ताकि किसी राज्य का एईजीएसडीपी अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हो अर्थात् यदि

एई/जीएसडीपी = x

एई = x * जीएसडीपी ....(1)

जहां x एई-जीएसडीपी अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहां राज्यों का एई-जीएसडीपी अनुपात राष्ट्रीय औसत से उच्च है, कोई समायोजन नहीं किया गया। जहां यह अनुपात औसत से कम था, वहां इसे राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 3: डीई-एई, एसएसई-एई तथा सीओएई की राष्ट्रीय औसत पर आधारित सम्बन्धित डीई, एसएसई तथा सीओ के परिणाम निकालें ताकि किसी भी राज्य का अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात् यदि

डीई / एई = y

डीई= y * एई..................(2)

जहां y डीई-एई अनुपात की राष्ट्रीय औसत है।

(2) में (1) को रखने पर, हम प्राप्त करते हैं

डीई = y * फ * जीएसडीपी ....(3)

जहां राज्यों का डीई-एई, एसएसई-एई तथा सीओ-एई अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है वहां कोई समायोजन नहीं किया गया है। जहां ये अनुपात औसत से कम थे वहां इसे राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 4: समीकरण (3) के अनुसार डीई, एसएसई तथा सीओ के निकाले गए परिणाम के आधार पर सम्बन्धित प्रतिव्यक्ति व्यय को निकाला गया अर्थात्

पीसीडीई=डीई/पी ....(4)

जहां पीसीडीई प्रतिव्यक्ति विकास व्यय है तथा पी जनसंख्या है।

(4) में (3) को रखने पर, हम प्राप्त करते हैं

पीडीई = (y * x * जीएसडीपी)/पी ....(5)

समीकरण (5) समायोजित प्रतिव्यक्ति व्यय को उपलब्ध करवाती है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति व्यय से कम है तब राज्यों का खर्च करने का न्यून स्तर न्यून राजकोषीय क्षमता के कारण है। यह व्यय के वास्तविक स्तर की तस्वीर को देता है जब सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय औसत के बराबर राजकोषीय प्राथमिकता दे रही हैं।

राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा भुगतान किया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय दायिवों+चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्वों की राशि)2]* 100
ब्याज विस्तृत करना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तृत करना	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तृत करना
बकाया ऋण के प्रति प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष+ऋण तथा अग्रिम के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम- राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियां घटाएं मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

भाग-ख

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया ताकि राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता, राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी, ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन के सिद्धान्तों को प्रभावी करने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- 31 मार्च 2009 को राजस्व घाटे को खत्म करने के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटे को पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो प्रतिशत तक कम करना;
- 31 मार्च 2009 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद को तीन प्रतिशत तक लाने के लिए राजकोषीय घाटे में तत्परता से कमी करना; तथा
- दीर्घावधि ऋण पर इसकी बकाया प्रत्याभूतियों में तत्परता से कमी करना, जब तक यह विगत वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की बकाया जोखिम भारित प्रत्याभूतियों को 80 प्रतिशत तक समाप्त न कर दें।

भाग-ग: राज्य के स्वकीय राजकोषीय शुद्धि पथ के प्रतिफल सूचक

(करोड़ रूपए)

	आकलन आधार वर्ष 2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
क. राज्य राजस्व लेखा :							
1.स्वकीय कर राजस्व	984.32	1251.89	1416.76	1505.62	1637.56	1782.78	1942.75
2. स्वकीय कर-भिन्न राजस्व	275.00	600.00	623.10	683.44	712.61	732.49	828.12
3. स्वकीय कर + कर-भिन्न राजस्व (1+2)	**1259.32**	**1851.89**	**2039.86**	**2189.06**	**2350.17**	**2515.27**	**2770.87**
4.केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का भाग	449.55	537.32	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00
5. योजनागत-अनुदान	1320.64	1215.16	1264.80	1393.20	1530.62	1681.78	1848.06
6. गैर-योजनागत अनुदान	765.31	816.12	2270.69	2318.15	2334.26	2207.35	2036.74
6.क. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	186.10	214.02	261.94	124.82	124.82	124.82	124.82
7. कुल केन्द्रीय अंतरण (4 से 6क)	**2721.60**	**2782.62**	**4293.43**	**4332.17**	**4485.70**	**4509.95**	**4505.62**
8. कुल राजस्व प्राप्तियां (3+7)	**3980.92**	**4634.51**	**6333.29**	**6521.23**	**6835.87**	**7025.22**	**7276.49**
9. योजनागत व्यय	718.68	818.32	935.53	1011.26	1112.39	1223.62	1345.99
10. गैर-योजनागत व्यय	4744.85	4807.05	5339.24	5615.52	5787.67	6088.38	6436.59
11. वेतन व्यय	2073.50	2177.18	2272.64	2294.45	2455.06	2626.92	2810.80
12.पैंशन	532.78	626.00	727.93	698.25	754.11	814.44	879.59
13. ब्याज भुगतान	1472.78	1641.00	1670.13	1754.56	1736.18	1837.76	1977.98
14.उपदान-सामान्य	91.06	91.06	53.53	79.20	82.37	85.66	89.09
15. उपदान-विद्युत	81.00	81.00	91.00	86.45	89.91	93.50	97.24
15.क. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	124.55	167.56	151.97	148.54	148.54	148.54	148.54
16. कुल राजस्व व्यय (9+10 +15क))	**5588.08**	**5792.93**	**6426.74**	**6775.32**	**7048.60**	**7460.54**	**7931.12**
17.वेतन+ब्याज+पैंशन (11+12+13)	4079.06	4444.18	4670.70	4747.26	4945.35	5279.11	5668.37
18. राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता (17/8)	1.02	0.96	0.74	0.73	0.72	0.75	0.78
19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	**-1607.16**	**-1158.42**	**-93.45**	**-254.09**	**-212.73**	**-435.32**	**-654.63**
ख. समेकित राजस्व लेखा:							
1. वास्तविक उपदान अंतरण के रूप में विद्युत क्षेत्र हानि/लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. वर्ष के दौरान विद्युत उपयोग लेखे में कर्जदारों में वृद्धि (वृद्धि (-))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य लोक उपक्रमों द्वारा बजट के बाहर उधार तथा एसपीवी उधार पर ब्याज भुगतान	----	----	----	----	-----	----	----
4. जोड़ (1 से 3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	आकलन आधार वर्ष 2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
समेकित राजस्व घाटा (क.19+ख 4)	**-1607.16**	**-1158.42**	**-93.45**	**-254.09**	**-212.73**	**-435.32**	**-654.63**
ग. समेकित ऋण:							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	14437.32	16532.89	17504.74	18493.00	19527.86	20867.48	22516.89
2. कुल बकाया प्रत्याभूति जिसमें से (क) ऑफ बजट उधार की प्रत्याभूति तथा (ख) एसपीवी उधार	4682.43	4751.05	4751.05	4751.05	4751.05	4751.05	4751.05
घ. पूंजीगत लेखा:							
1. पूंजीगत परिव्यय	784.84	653.99	716.17	756.06	831.67	914.83	1006.32
2. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	60.98	46.46	119.37	3.95	3.95	3.95	3.95
3. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	19.91	23.78	37.79	11.52	11.52	11.52	11.52
4. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	28.29	25.79	28.53	23.67	25.00	26.00	27.00
5. अन्य पूंजीगत प्राप्तियां						-	
ङ. सकल राजकोषीय घाटा	**-2444.60**	**-1856.86**	**-938.25**	**-1001.95**	**-1034.87**	**- 1339.62**	**-1649.42**
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रू0)	18062.00	20234.06	22824.02	25745.49	29040.92	32758.15	36951.20
च. राजकोषीय घाटा:							
वास्तविक/कल्पित सांकेतिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	----	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%	12.8%
दिशानिदेशों के परिच्छेद 19 के अनुसार राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	----	9.18%	4.11%	3.89%	3.56%	4.09%	4.46%

परिशिष्ट-1.3

(सदर्भ: परिच्छेद 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 6 एवं 27)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(करोड़ रूपए)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	**4,635**	**6,559**	**7,835**	**9,142**	**9,308**
(i) कर राजस्व	**1,252 (27)**	**1,497 (23)**	**1,656 (21)**	**1,958 (21)**	**2,242 (24)**
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	542 (43)	727 (49)	914 (55)	1,092 (56)	1,246 (56)
राज्य आबकारी	300 (24)	329 (22)	342 (21)	389 (20)	432 (19)
वाहन कर	108 (9)	102 (7)	106 (6)	114 (6)	136 (6)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	75 (6)	82 (5)	93 (6)	87 (4)	98 (4)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	88 (7)	89 (6)	30 (2)	82 (4)	79 (4)
भू-राजस्व	3 (--)	1 (--)	2 (--)	2 (--)	20 (1)
माल एवं यात्री कर	38 (3)	43 (3)	50 (3)	55 (3)	62 (3)
अन्य कर	98 (8)	124 (8)	119 (7)	137 (7)	169 (7)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	**611 (13)**	**690 (11)**	**1,337 (17)**	**1,823 (20)**	**1,756(19)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	**537 (12)**	**493 (7)**	**629 (8)**	**794 (9)**	**838 (9)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**2,235 (48)**	**3,879 (59)**	**4,213 (54)**	**4,567(50)**	**4,472(48)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	--	----
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	**26**	**22**	**23**	**26**	**21**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**4661**	**6581**	**7858**	**9168**	**9,329**
5. लोक ऋण प्राप्तियां	**2,677**	**1,781**	**2,080**	**1,849**	**2,249**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,444 (91)	1,753 (98)	2,042 (98)	1,798 (97)	2,237 (99)
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	233 (9)	28 (2)	38 (2)	51 (3)	12 (1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**7,338**	**8,362**	**9,938**	**11,017**	**11,578**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**5,030**	**4,933**	**5,265**	**6,223**	**6,760**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**12,368**	**13,295**	**15,203**	**17,240**	**18,338**

भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**5,793**	**6,466**	**7,644**	**8,292**	**9,438**
योजनागत	978 (17)	1,182 (18)	1,325 (17)	1,202 (14)	877 (9)
गैर-योजनागत	4,815 (83)	5,284 (82)	6,319 (83)	7,090 (86)	8,561 (91)
सामान्य सेवाए (ब्याज भुगतान सहित)	2,723 (47)	2,818 (43)	3,300 (43)	3,429 (41)	3,918 (42)
सामाजिक सेवाएं	1,890 (33)	2,309 (36)	2,586 (34)	2,876 (35)	3,332 (35)
आर्थिक सेवाएं	1,177 (20)	1,333 (21)	1,755 (23)	1,984 (24)	2,184 (23)
सहायता अनुदन एवं अंशदान	3 (--)	6 (--)	3 (--)	3 (--)	4 (-)
11. पूंजीगत व्यय	**654**	**821**	**1,110**	**1414**	**2079**
योजनागत	630 (96)	820 (100)	1,043 (94)	1,313 (93)	1,992 (96)
गैर-योजनागत	24 (4)	1 (-)	67 (6)	101 (7)	87 (4)
सामान्य सेवाएं	30 (5)	52 (6)	61 (5)	59 (4)	64 (3)
सामाजिक सेवाएं	330 (50)	369 (45)	575 (52)	586 (42)	833 (40)
आर्थिक सेवाएं	294 (45)	400 (49)	474 (43)	769 (54)	1,182 (57)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**24**	**14**	**26**	**14**	**90**
13. जोड़ (10+11+12)	**6,471**	**7,301**	**8,780**	**9,720**	**11,607**
14. लोक ऋण की चुकौतियां	**1,659**	**1,308**	**1,311**	**937**	**885**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों को छोड़कर)	581 (35)	1219 (93)	1,182 (90)	839	829
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	95 (6)	23 (2)	--	42	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	983 (59)	66 (5)	129 (10)	56	56
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	**8,130**	**8,609**	**10,091**	**10,657**	**12,492**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	**4,027**	**4,387**	**5,370**	**5,737**	**5,690**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**12,157**	**12,996**	**15,461**	**16,394**	**18,182**
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	**(-) 1,158**	**(+) 93**	**(+) 191**	**(+) 850**	**(-) 130**
21. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	**(-) 1,810**	**(-) 720**	**(-) 922**	**(-) 552**	**(-) 2,278**
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	**(-) 169**	**(+) 843**	**(+) 747**	**(+) 1,151**	**(-) 384**

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,641	1,563	1,669	1,703	1,894
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	275	380	399	467	582
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिनों में)	120	13	01	--	--
प्राप्त किए अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	93	13	01	--	--
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिन)	27	--	--	--	--
26. अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षों पर ब्याज	2.34	0.32	0.89	--	--
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद@	23,066	25,471	28,358	31,974	36,940
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	16,533	17,432	18,071	19,419	21,819
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	4,751	3,587	2,976	2,632	2,291
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,409	5,526	6,347	6,450	6,076
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	39	15	30	20	17
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरोधित पूंजी	58	25	160	121	96
भाग ङ राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन जुटाना					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.03	0.05	0.06	0.05
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.10	0.15	0.15	0.14	0.14
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.28	0.29	0.31	0.30	0.31
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.40	1.11	1.12	1.06	1.25
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.90	0.89	0.87	0.85	0.81
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.29	0.32	0.29	0.30	0.29
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.18	0.18	0.20	0.20	0.19
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.10	0.11	0.13	0.15	0.18
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.10	0.11	0.12	0.14	0.17

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-09
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.050	0.004	0.006	0.027	(-) 0.004
राजकोषीय घाटा /सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.078	(-) 0.028	(-) 0.033	(-) 0.017	(-) 0.062
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.007	0.033	0.026	0.036	(-) 0.010
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-) 0.640	(-) 0.129	(-) 0.207	(-) 1.540	(-) 0.057
प्राथमिक राजस्व संतुलन/सकल राज्य घरेलू उत्पाद				0.284	0.247
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन					
राजकोषीय दायित्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.72	0.68	0.64	0.61	0.59
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियां	3.57	2.66	2.31	2.12	2.34
प्रमात्रा फैलाव के प्रति प्राथमिक घाटा	(-) 1.625	4.153	2.223	1.741	(-) 0.364
ऋण विमोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.88	1.18	1.27	1.02	0.92
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.58	28.61	1.80	0.52	89.58
चालू राजस्व से बकाया (करोड़ रूपए)	(-) 1,585	(-) 191	(-) 281	(+) 113	(-) 1,423
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.51	0.54	0.57	0.60	0.68

कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतता (निकटतम) को दर्शाते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकडों को अपनाया गया है।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 26)

भाग-क: वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

				(करोड़ रूपए)						(करोड़ रूपए)
प्राप्तियां					संवितरण					
2007-08			2008-09		2007-08				2008-09	
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
	9,141.55	I-राजस्व प्राप्तियां		9,307.99	8,291.75	I-राजस्व व्यय				9,438.13
1,958.18		(i) कर राजस्व	2242.49			सामान्य सेवाएं	3,887.17	30.55	3917.72	3917.72
1,822.43		(ii)कर-भिन्न राजस्व	1756.24			सामाजिक सेवाएं	2,897.61	434.57	3332.18	3332.18
793.64		(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	837.49			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,611.14	111.04	1,722.18	
2,402.59		(iv) गैर-योजनागत अनुदान	2310.43			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	441.25	41.21	482.46	
1,846.53		(v) राज्य योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	1700.38			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	509.00	73.01	582.01	
318.18		(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	460.96			सूचना एवं प्रसारण	15.10	0.60	15.70	
						अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	6.70	43.12	49.82	
	--					श्रम एवं श्रम कल्याण	24.20	12.16	36.36	
						सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	284.26	150.34	434.60	
						अन्य	5.96	3.09	9.05	
						आर्थिक सेवाएं	1771.90	412.36	2184.26	2184.26
						कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	560.11	263.07	823.18	
						ग्रामीण विकास	152.06	98.04	250.10	
						विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	
						सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	187.03	14.25	201.28	
						ऊर्जा	104.58	3.45	108.03	
						उद्योग एवं खनिज	25.95	25.94	51.89	
						परिवहन	713.01	2.01	715.02	
						विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.02	0.40	2.42	
						सामान्य आर्थिक सेवाएं	27.14	5.20	32.34	
						सहायता अनुदान एवं अंशदान	**3.97**	--	**3.97**	**3.97**
						जोड़	**8560.65**	**877.48**	**9438.13**	**9438.13**
					849.80	**II-प्रवर्ग-ख को ले जाया गया राजस्व अधिशेष**				
9,141.55					9,141.55	जोड़:				9,438.13

2007-08			2008-09		2007-08				2008-09	
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		प्रवर्ग-ख-पूंजीगत								
	(-) 24.14	III-स्थाई अग्रिम एवं नकद शेष निवेश सहित अथ नकद शेष		822.99		III-भारतीय रिजर्व बैंक से अथ अधिविकर्ष	--	--	--	--
		IV-विविध पूंजीगत प्राप्तियां			1,413.49	IV- पूंजीगत परिव्यय				
						सामान्य सेवाएं	--	64.28	64.28	64.28
						सामाजिक सेवाएं	**41.99**	**791.03**	**833.02**	**833.02**
						शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	--	301.20	301.20	
						स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	--	79.72	79.72	
						जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	41.99	385.61	427.60	
						सूचना एवं प्रसारण	--	0.10	0.10	
						अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	--	9.09	9.09	
						सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	--	15.21	15.21	
						अन्य	--	0.10	0.10	
						आर्थिक सेवाएं	**45.15**	**1136.62**	**1181.77**	**1181.77**
						कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	(-) 22.37	61.12	38.75	
						ग्रामीण विकास	--	0.67	0.67	
						विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	
						सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	--	230.40	230.40	
						ऊर्जा	--	299.25	299.25	
						उद्योग एवं खनिज	--	14.08	14.08	
						परिवहन	67.52	449.48	517.00	
						सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	81.62	81.62	
						जोड़	**87.14**	**1,991.93**	**2,079.07**	**2,079.07**
	26.04	V-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		20.98	13.93	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम				89.61
1.73		विद्युत परियोजनाओं से	0.76		1.33	विद्युत परियोजनाओं हेतु	70.00	5.00	75.00	
16.08		सरकारी कर्मचारियों से	14.97		10.34	सरकारी कर्मचारियों को	2.31	8.08	10.39	
8.23		अन्य से	5.25		2.26	अन्य को	3.56	0.66	4.22	
	849.80	VI-लाया गया राजस्व अधिशेष		--	--	VI-लाया गया राजस्व घाटा			--	130.14
	1,849.12	VII-लोक ऋण प्राप्तियां		2,248.74	936.60	VII-लोक ऋण की चुकौतियां				885.54

2007-08			2008-09		2007-08				2008-09	
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1,798.47		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर आंतरिक ऋण	2236.75			अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर आंतरिक ऋण		829.66		
---		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--			अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधि विकर्ष के अन्तर्गत निवल लेन-देन		--		
50.65		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	11.99			केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों की चुकौती		55.88		
		VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन		--		VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोजन				--
		IX- आकस्मिकता निधि को हस्तांतरित राशि		--		IX-आकस्मिकता निधि से व्यय				--
	6,223.40	X- लोक लेखा प्राप्तियां		6,760.47	5,737.21	X- लोक लेखा संवितरण				5,689.58
1,449.63		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	1,571.83			लघु बचतें एवं भविष्य निधियां		1,056.95		
391.29		आरक्षित निधियां	464.13			आरक्षित निधियां		158.72		
985.96		निक्षेप एवं अग्रिम	1,111.32			निक्षेप एवं अग्रिम		894.64		
183.05		उचन्त एवं विविध	257.28			उचन्त एवं विविध		203.45		
3,213.47		प्रेषण	3,355.91			प्रेषण		3,375.82		
		XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष समापन		--	822.99	XI-अन्त में नकद शेष				979.24
						कोषालयों एवं स्थानीय प्रेषणों में नकद		3.74		
						स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष		0.19		
						रिजर्व बैंक के पास निक्षेप		(-) 153.87		
						नकद बकाया निवेश		1,129.18		
	8,924.22	जोड़		9,853.18	8,924.22	जोड़				9,853.18

परिशिष्ट-1.4 (लगातार)

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 26)

(करोड़ रूपए)

भाग-ख 31 मार्च 2009 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति			
31.03.2008 को	देयताएं		31.03.2009 को
1,3049.17	**आंतरिक ऋण -**		**14,456.27**
5,905.45	ब्याज सहित बाजार ऋण	7,657.85	
0.16	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.17	
469.71	भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	428.51	
	नाबार्ड से ऋण	764.18	
	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	19.29	
	केन्द्रीय सरकार के एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,889.21	
	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड्स	(-) 21.07	
2,202.54	अन्य संस्थानों से ऋण	1,718.13	
--	अर्थोपाय अग्रिम	--	
--	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	--	
1,014.87	**केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम -**		**970.96**
0.13	1984-85 से पूर्व ऋण	0.13	
14.24	गैर-योजनागत ऋण	13.72	
953.62	राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	914.26	
0.17	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.15	
46.71	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	42.70	
5.00	**आकस्मिकता निधि**		**5.00**
4,153.56	**लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि**		**4,668.44**
765.69	**निक्षेप**		**982.64**
435.24	**आरक्षित निधियां**		**740.65**
424.57	**प्रेषण शेष**		**404.66**
			22,228.62
	परिसम्पत्तियां		
11,635.34	**स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय -**		**13,714.41**
2,033.44	कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयर में निवेश	2,369.24	
9,601.90	अन्य पूंजीगत परिव्यय	11,345.17	
224.86	**ऋण एवं अग्रिम -**		**293.49**
79.04	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	153.28	
80.40	अन्य विकास ऋण	79.37	
65.42	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	60.84	

31.03.2008 को	देयताएं		31.03.2009 को
--	**आरक्षित निधि निवेश**		--
0.26	**अग्रिम**		**0.53**
	उचन्त एवं विविध शेष		(-) 54.05
1,126.26	**नकद -**		**979.23**
4.32	कोषालयों में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	3.74	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 153.88	
0.16	विभागीय नकद शेष सहित	0.16	
0.03	स्थाई अग्रिम	0.03	
1,121.75	नकद शेष निवेश	1,129.18	
7,166.04	**सरकारी लेखे में घाटा -**		**7,295.01**
	(i) चालू वर्ष के राजस्व घाटे को जमा		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरम्भ में संचित घाटा	7,166.04	
			22,228.62

@ परिशिष्ट- 1.3 (क्रं0 सं0 20) तथा 1.4 में दर्शाए आंकड़ों से भिन्न है क्योंकि 1.17 करोड़ रू0 की राशि को शीर्ष '8680-विविध सरकारी लेखे' के अन्तर्गत समायोजित किया गया।

* इस राशि को पहले ही 7,295.01 करोड़ रू0 के सरकारी लेखे पर कुल घाटे के आंकड़े में शामिल किया गया है।

पूर्वगामी विवरणियों में सारांशित लेखे वित्त लेखों में टिप्पणियों व व्याख्या के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतया नकद आधार पर होने के कारण सरकारी लेखे में घाटे को जैसाकि अनुबन्ध 1.4 में दर्शाया गया है नकदी आधार की स्थिति को दर्शाते हैं जैसेकि वाणिज्यिक लेखा विधि में प्रोदभूत आधार के प्रतिकूल है। फलत: भुगतान योग्य अथवा प्राप्य मदें अथवा मूल्यह्रास जैसी मदें अथवा भण्डार के आंकडों में भिन्नता इत्यादि, लेखों में चित्रित नहीं है। उचन्त तथा विविध शेष जिनमें जारी किए गए चैक परन्तु भुगतान नहीं किये गये, राज्य की ओर से किया गया भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित है। लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों 153.88 करोड़ रू0 (जमा) तथा 'रिजर्व बैंक जमा' 152.76 करोड़ रू0(ऋण) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषित आंकड़ों के मध्य 1.12 करोड़ रू0 (निवल जमा) का अन्तर था। 55.51 लाख रू0 के निवल ऋण के शेष को छोड़ते हुए जो मिलानाधीन थे 1.67 करोड़ रू0 (निवल ऋण) की सीमा तक के निवल अन्तर का मिलान किया गया था।

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 5)

2008-09 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रमों/स्कीमों के अन्तर्गत राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	कार्यक्रम/स्कीम	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण	राशि (रूपए में)
1.	2.	3.	4.
1.	स्कीम : (0132) आयुष एवं जन स्वास्थ्य	औषधि होम्योपैथी हि0प्र0 की भारतीय प्रणाली का विभाग	6,000,000
2.	स्कीम : (0141) संस्थानों का विकास	राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय पपरोला, हि0 प्र0	15,000,000
		राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आयुर्वेद पपरोला	20,000,000
			35,000,000
3.	स्कीम : (0143) औषधि गुणवत्ता नियंत्रण	लाइसेंसिंग प्राधिकारी हि0प्र0 सरकार	1,400,000
4.	स्कीम : (0142) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अस्पताल एवं औषधालय	आयुष संस्थानों के विकासार्थ सोसाइटी	217,250,000
5.	स्कीम: (0136) मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रवीणता साहचर्य एक्सपोजॅर भ्रमण उन्नयन आदि	राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आयुर्वेद पपरोला	4,850,000
6.	स्कीम: (0131) सूचना शिक्षा एवं संचार	सहायता अनुदान	1,000,000
7.	स्कीम : (0135) औषधीय प्लान्ट	प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन हि0 प्र0 शिमला	16,000,000
		सीएसके हि0 प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	200,000
		डॉ0 वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	122,294
		हि0 प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	503,356
		पिन वैली नेशनल पार्क काजा हि0प्र0	297,445
		निदेशक जागृति कुल्लू हि0 प्र0	200,000
		जेपी विश्वविद्यालय	700,000
		हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान	2,200,000
		निदेशक हिमालयन जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	1,011,400
		कस्तूरबा सेवा समिति सोलन	400,000
			21,634,495
8.	स्कीम : (0127) आयुष विभाग का सुदृढ़ीकरण	श्री संदीप शर्मा सहायक महाधिवक्ता भारत उच्च न्यायालय हि0प्र0	4,920
9.	स्कीम : (0031) बाजार संरचना श्रेणीकरण एवं स्तरीकरण का विकास	एचपीएसए मार्केटिंग बोर्ड शिमला	21,677,000
10.	स्कीम : (0046) राष्ट्रीय बांस मिशन	डॉ वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हि0प्र0	932,000
		अरण्यपाल वन परियोजना शिमला	25,616,000
		हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला	1,014,000
			27,562,000
11.	स्कीम : (0009) भू एवं स्वास्थ्य उर्बरता प्रबन्धन पर राष्ट्रीय परियोजना	राज्य कृषि प्रबन्धन एण्ड एक्सटेंशन ट्रेनिंग संस्थान हिमाचल	3,500,000
12.	स्कीम: (0010) जैविक खेती की उन्नति पर राष्ट्रीय परियोजना	हिमाचल प्रदेश सरकार	3,805,000
		कृषि विज्ञान केन्द्र वाईएस परमार विश्वविद्यालय हि0प्र0	2,500
			3,807,500

परिशिष्ट 1.5 लगातार ....

1.	2.	3.	4.
13.	स्कीम: (0034) कृषीय सूचना प्रणाली की उन्नति सुदृढ़ीकरण	एसआईटीईजी हिमाचल प्रदेश	57,052,000
14.	स्कीम : (0027) कृषीय आर्थिक नीति एवं विकास में अध्ययन	हि0 प्र0 विश्वविद्यालय समरहिल शिमला सीसीपीसी	14,537,000
		एईआर केन्द्र हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला हि0प्र0	4,963,000
			19,500,000
15.	स्कीम: (0048) एक्सटेंशन सुधार हेतु राज्य एक्सटेंशन कार्यक्रम को सहायता	एसएएमईटीआई (समेटी)हिमाचल प्रदेश	11,200,000
16.	स्कीम : (0149) जैव सूचना	डॉ वाई एस परमार विश्वविद्यालय बागवानी एवं वानिकी	2,182,927
		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	665,000
		सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	1,882,000
			4,729,927
17.	स्कीम : (0153) समाज सम्बन्धी विकास हेतु जैव-प्रौद्योगिकी	युमधा नाहन	233,000
		मानव अन्तर्भावितता के माध्यम से सामाजिक जागरूकता	310,000
		हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	83,000
			626,000
18.	स्कीम : (0146) मानव संसाधन विकास जैव-प्रौद्योगिकी	सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	468,000
		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	79,540
		वल्लभ राजकीय महाविद्यालय	30,000
		राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर	1,200,000
			1,777,540
19.	स्कीम : (0150) अनुसंधान एवं विकास विभाग जैवप्रौद्योगिकी	हिमालयन जैवसंसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	22,530,000
		सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	4,990,600
		जेपी विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी	3,599,000
		डॉ0 वाई एस परमार विश्वविद्यालय बागवानी एवं वानिकी	1,162,000
		हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला	2,125,000
		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	1,255,000
			35,661,600
20.	स्कीम : (0211) निर्यात संरचना एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप के विकास हेतु राज्य को एएसआईडीई सहायता	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	114,000,000
21.	स्कीम : (0241) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	डीडब्ल्यूएसएम उपायुक्त-एवं-मुख्य कार्यकारी अधिकारी	13,035,000
		राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	21,300,000
			34,335,000
22.	स्कीम : (0242) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	34,300,000
		डीडब्ल्यूएसएम मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिमला	79,617,000
			113,917,000
23.	स्कीम : (0380) पीडीएस कार्यचालनों का कम्प्यूटरीकरण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	992,700
24.	स्कीम : (0411) टेलीमैडिसीन सहित ई स्वास्थ्य	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी हिमाचल प्रदेश	5,000,000
25.	स्कीम : (0405) एसटीडी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी	65,313,000

परिशिष्ट 1.5 लगातार ....

1.	2.	3.	4.
26.	स्कीम : (0392) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला	3,273,877
27.	स्कीम: (0404) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सीएसपी	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी हिमाचल प्रदेश	305,169,130
		इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, हिमाचल प्रदेश	150,000
		राज्य अन्धता नियंत्रण सोसाइटी हिमाचल प्रदेश	18,640,000
		हि0प्र0 राज्य टीबी नियंत्रण सोसाइटी हिमाचल प्रदेश	24,000,000
		इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, हिमाचल प्रदेश	1,907,000
		राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी कुष्ठ कक्ष हि0प्र0 शिमला	7,497,000
			357,363,130
28.	स्कीम : (0921) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी डीएचई	एनआईटी हमीरपुर	255,500,000
29.	स्कीम : (0916) अपंग हेतु बहुतकनीकी डीएचई	राजकीय बहुतकनीकी सुन्दरनगर हि0प्र0	300,000
		सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय	17,678
			317,678
30.	स्कीम : (0947) विद्यमान पॉलीटेक्निकस का सुदृढ़ीकरण	तकनीकी शिक्षा का सचिव	20,000,000
31.	स्कीम: (0501) केन्द्रीय पूंजीगत निवेश उपदान स्कीम डीआईपीपी	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	25,700,000
32.	स्कीम : (0505) नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त विशेष श्रेणी राज्य हेतु पेकेज डीआईपीपी	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	250,000,000
33.	स्कीम : (0537) इलैक्ट्रानिक गवॆर्नन्स	एसईटीएएल	12,207,000
		एसआईटीईजी	139,975,000
			152,182,000
34.	स्कीम : (0542) जनशक्ति विकास डिट	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीपुर	1,110,000
35.	स्कीम : (0621) एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम डीपीएपी डीडीपी आईडब्ल्यूडीपी डीएलआर	डीआरडीए परियोजना निदेशक	385,150,184
		नियंत्रक, एसजीओ	5,183,268
			390,333,452
36.	स्कीम: (0826) डीआरडीए प्रशासन आरडी	परियोजना निदेशक, डीआरडीए	57,151,000
37.	स्कीम : (0821) आरडी कार्यक्रमों को प्रबन्धन सहायता तथा कार्यक्रमों के बदले में जिला योजनागत प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण	परियोजना निदेशक, डीआरडीए	525,000
		एसजीओ निदेशक शिमला	4,337,000
		प्रधान, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान	2,086,000
			6,948,000
38.	स्कीम : (0822) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम	परियोजना निदेशक , डीआरडीए	4,111,483,000
39.	स्कीम : (0828) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	एसजीओ एचपी 307 अपडेट डिस्क्रिपशन शिमला	335,750,000
40.	स्कीम: (0827) ग्रामीण आवास आईएवाई आरडी	परियोजना अधिकारी, डीआरडीए	219,085,500
41.	स्कीम: (0825) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, डीआरडीए	136,722,000
42.	स्कीम : (0279) सर्व शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा सोसाइटी	855,300,000

परिशिष्ट 1.5 लगातार ....

1.	2.	3.	4.
43.	स्कीमः (0287) गैर सरकारी संगठनों के प्रौढ़ शिक्षा तथा स्किल विकास मिश्रित स्कीमों हेतु गैर सरकारी संगठनों संस्थानों एसआरसी को सहायता जेएसएस एसआरसी	राज्य संसाधन केन्द्र शिमला	3,102,237
		स्पिति विकास हेतु रिन्चेन जांगो सोसाइटी	1,500,000
		राज्य संसाधन केन्द्र शिमला	494,101
			5,096,338
44.	स्कीमः (1012) अन्तर्राष्ट्रीयसहयोग	सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय	300,000
45.	स्कीम : (1009) अनुसंधान एवं विकास सहायता सेरक	सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	3,769,892
		हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	3,400,000
		हिमालयन पर्यावरण एवं विकास जीबी पंत संस्थान	1,300,000
		जेपी विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी वाकनाघाट हि0प्र0	318,686
		मशरूम हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	300,000
		डॉ0 वाई एस परमार विश्वविद्यालय बागवानी एवं वानिकी	3,100,000
		विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण हेतु राज्य परिषद शिमला	743,606
		एनआईटी हमीरपुर	100,000
		पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला	1,900,000
		चिटकारा विश्वविद्यालय सोलन	200,000
		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	1,933,384
			17,065,568
46.	स्कीम : (1011) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	1,998,756
		समाज कल्याण एवं विकास मण्डल करसोग मण्डी	400,000
		हिमकॉन शिमला	689,250
		हिमाचल परामर्श संगठन लिमिटेड शिमला	57,880
		हिमालय अनुसंधान समूह शिमला	2,921,475
		हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	292,000
		सदप्रयास रघुनाथपुर	475,000
		मानव हित हेतु ग्रामीण केन्द्र सोलन	200,000
		ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुधार हेतु सोसाइटी	900,000
		मानव विकास संस्थान जिला बिलासपुर	545,000
		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	550,000
		मानव अन्तर्भावितता के माध्यम से सामाजिक जागरूकता सिरमौर	420,000
		हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति शिमला	205,000
		प्रौद्योगिकी एवं विकास हेतु समिति मण्डी	1,312,064
		वीमिट शैक्षणिक ट्रस्ट शिमला	80,000
		जागृति कुल्लू हिमाचल प्रदेश	725,000
		डॉ0 वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	1,148,765
		पर्वतीय अनुसंधान एवं विकास सम्बद्ध शिमला	300,000
		जवाहर नवोदया विद्यालय हमीरपुर	80,000
		पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	650,000
		हिमाचल परामर्श संगठन लिमिटेड शिमला	125,000
		हिमाचल राज्य एवं प्रौद्योगिकी विभाग चण्डीगढ़	327,400
			14,402,590

परिशिष्ट 1.5 लगातार ....

1.	2.	3.	4.
47.	स्कीम : (1013) राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण हेतु राज्य परिषद हि0प्र0 शिमला	4,800,000
48.	स्कीम: (1010) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रौद्योगिकी संघ परवाणू	34,000
		हिमालयन जैव संसाधान प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, हि0प्र0	905,000
		जीबी पन्त संस्थान	170,000
		सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, हि0प्र0	1,100,000
		हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	200,000
		पर्वतीय अनुसंधान एवं विकास सम्बद्ध शिमला	5,554
		एनबीपीजीआर क्षेत्रीय केन्द्र शिमला	250,000
		राष्ट्रीय अनुसंधान प्रौद्योगिकी संघ परवाणू	175,000
		विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण हेतु राज्य परिषद् हि0प्र0 शिमला	314,460
			3,154,014
49.	स्कीम : (1025) जल प्रौद्योगिकी पहल	विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण राज्य परिषद मेघालय	540,000
		विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण हेतु राज्य परिषद शिमला	270,000
			810,000
50.	स्कीम : (0853) प्रौद्योगिकी उन्नति विकास एवं उपयोगिता कार्यक्रम टीपीडीयू डीएसआईआर	हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान हि0प्र0	2,400,000
51.	स्कीम : (0054) पशुधन विकासार्थ राष्ट्रीय परियोजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण हिमाचल प्रदेश	15,546,000
52.	स्कीम : (0709) निर्धनता कमी के लिए क्षमता निर्माण हेतु डीएफआईडी परियोजना पीपीजी	लोक प्रशासन हिमाचल संस्थान शिमला	400,000
53.	स्कीम : (0702) परियोजना मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण क्रियाकलाप तथा क्षमता निर्माण हेतु समस्त सहायता के लिए प्रशिक्षण पीपीजी	लोक प्रशासन हिमाचल संस्थान शिमला	4,963,500
		होटल प्रबन्धन संस्थान शिमला	48,000
			5,011,500
54.	स्कीम : (0708) सूचना के लिए पहुंच हेतु यूएनडीपी क्षमता निर्माण	लोक प्रशासन हिमाचल संस्थान शिमला	800,000
55.	स्कीम : (1261) एमपी स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम एमपीएलएडीएस	उपायुक्त	140,000,000
56.	स्कीम : (0209) बुद्धिस्ट एवं तिब्बतियन अध्ययन	बुद्धिस्ट एवं तिब्बतियन संस्कृति समिति	3,962,500
		तिब्बतियन कार्य एवं आर्चिव का पुस्तकालय	7,000,000
			10,962,500
57.	स्कीम : (0202) कला एवं संस्कृति की उन्नति तथा प्रसार	पूर्ण सिंह नेगी लोक्टस	250,000
		हिमाचल कल रेस फोरम ए एनडी थियेटर रिपेरटरी	1,488,000
		आसरा हो जलाग जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश	100,000
		रमेश जसरोटिया चांदनी कॉटिज शिमला	50,000
		छोटे समूह	150,000
		श्री वीके शर्मा	110,000
		बुद्धिस्ट फिलोस्फी का अध्ययन संस्थान	150,000
		सौरभ शिमला हि0प्र0	40,000
		समाज सेवा परिषद	48,500
		हरीप ट्राइबल फोक आर्ट म्यूजिक एण्ड स्पितियन कल्चरल	250,000
			2,636,500

परिशिष्ट 1.5 लगातार ....

1.	2.	3.	4.
58.	स्कीम : (0248) उत्तरी पूर्वीय परिषद	भारतीय मशरूम ग्रोवर्ज़ संघ	1,600
59.	स्कीम : (0328) मैरीन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	36,750
		डॉ वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	36,750
			73,500
60.	स्कीम : (0362) पृथ्वी एवं वातावरणीय विज्ञान में अनुसंधान तथा विकास	विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण हेतु राज्य परिषद शिमला	79,887
61.	स्कीम : (0253) प्राकृतिक संसाधन एवं इकोसिस्टम का संरक्षण	वन विभाग हिमाचल प्रदेश	1,682,927
62.	स्कीम : (0266) पर्यावरण सूचना शिक्षा एवं जागरूकता	सामाजिक पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास	332,000
		विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण हेतु हि0प्र0 राज्य परिषद	9,411,389
			9,743,389
63.	स्कीम : (0273) राष्ट्रीय वनीकरण एवं इको विकास बोर्ड	जन जागरण ग्राम कल्याण समिति	274,510
		बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन	5,200,000
			5,474,510
64.	स्कीम : (0261) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	वन विकास अभिकरण	78,300,000
65.	स्कीम : (0265) संरक्षण एवं विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास	हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर	700,000
		ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क शमशी	648,780
		सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	210,000
		हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान	585,000
		बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	401,000
		हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान	585,000
		जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1,060,000
		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	56,388
		सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	1,270,981
		डॉ वाई एस परमार विश्वविद्यालय सोलन	548,800
		डॉ वाई एस परमार विश्वविद्यालय सोलन	97,270
			6,163,219
66.	स्कीम: (0390) मानव संसाधन विकास हेतु स्कीम एफपीआई	हिमाचल परामर्श संगठन हि0प्र0	704,900
		रामपुर समाज सेवा समिति सोनीपत हरियाणा	15,000
			719,900
67.	स्कीम : (0386) संरचना विकास हेतु स्कीम एफपीआई	शिमला नगर निगम	11,420,000
68.	स्कीम : (0389) गुणवत्ता आश्वासन कोडेक्स मानदण्ड एवं अनुसंधान तथा विकास पदोन्नति कार्यकलाप हेतु स्कीम	हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान	13,522,000
69.	स्कीम : (0391) एनआईएफटीइएम सहित संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्कीम	उद्यमी विकास हेतु हिमाचल प्रदेश केन्द्र	750,000
70.	स्कीम : (0387) फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज के प्रौद्योगिकी उन्नयन स्थापना आधुनिकीकरण हेतु स्कीम	शिवाम्भू अन्तर्राष्ट्रीय	1,513,000
		बगरीयस भारत	3,750,000
		हमीरपुर सप्लीमेन्ट फूड	274,500
		केसीएल फूड	3,750,000
			9,287,500

परिशिष्ट 1.5 लगातार ....

1.	2.	3.	4.
71.	स्कीम : (1160) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	एसजेएसआरवाई	1,164,000
		हिमाचल प्रदेश	79,000
			1,243,000
72.	स्कीम : (1154) एचआर हेतु शहरी सांख्यिकी तथा निर्धारण ऊषा (यूएसएचए)	ऊषा	200,000
73.	स्कीम : (0616) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सम्पादित व्यवसाय प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार तथा निवेश हेतु बाह्य सहायता परियोजना	निदेशक प्रौद्योगिकी शिक्षा वोकेशनल औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर	35,000,000
74.	स्कीम : (0618) असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु स्वास्थ्य बीमा	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	17,531,335
			52,731,335
75.	स्कीम : (0614) दक्षता विकास पहल	निदेशक प्रौद्योगिकी शिक्षा वोकेशनल औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर	10,000,000
		आईटीआई शमशी कुल्लू	1,064,700
			11,064,700
76.	स्कीम : (0611) 100 आईटीआईएस श्रेष्ठ केन्द्रों में उन्नयन एल तथा ई	निदेशक प्रौद्योगिकी शिक्षा वोकेशनल औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर	9,054,000
77.	स्कीम : (0615) पीपीपी के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआईएस का उन्नयन	निदेशक प्रौद्योगिकी शिक्षा वोकेशनल औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर	864,000
78.	स्कीम : (0646) एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम तथा एमएसएमई पोल विकास	एमएसएमईडीआई सोलन	360,000
		हिमाचल प्रदेश सरकार	168,000
			528,000
79.	स्कीम : (0644) विकास सेवाएं संस्थान तथा कार्यक्रम राजस्व	एमएसएमईडीआई सोलन	1,971,432
80.	स्कीम: (0643) तकनीकी सहायता संस्थानों की गुणवत्ता एवं कार्यक्रम	एमएसएमईडीआई सोलन	8,255,000
81.	स्कीम : (0660) राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश	259,000
82.	स्कीम : (0649) डाटाबेस का उच्चीकरण	एमएसएमईडीआई सोलन	50,000
83.	स्कीम: (0682) ग्रिड इन्टरएक्टिव रिनिवल पॉवर मिनियर	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	66,562,500
84.	स्कीम : (0691) सूचना प्रसार एवं विस्तार	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा अभिकरण हिमऊर्जा	42,007,226
85.	स्कीम : (0690) मिनियर संस्थान सेक सीडब्ल्यूईटी नायर सहित संस्थान केन्द्र	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा अभिकरण हिमऊर्जा	1,491,812
		विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण हेतु राज्य परिषद	300,000
			1,791,812
86.	स्कीम: (0689) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में आर तथा डी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमऊर्जा	19,515,000
		हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय सीएसके	400,000
			19,915,000
87.	स्कीम : (0686) सोलर थर्मल सिस्टम वॉटर हिटिंग	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा अभिकरण हिमऊर्जा	787,850
88.	स्कीम: (0761) पंचायत अधिकारिता एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन स्कीम	हिमाचल प्रदेश सरकार	7,500,000

परिशिष्ट 1.5 लगातार ....

1.	2.	3.	4.
89.	स्कीम : (0772) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा शिमला	67,940,000
90.	स्कीम : (0976) वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम पंचायती राज संस्थानों स्वैच्छिक संगठनों स्वयं सहायता समूहों को सहायता एसजेई	इंदिरा लेडीज़ क्लब सिरमौर	57,008
91.	स्कीम: (0975) मदाव्यय तथा मादक कुप्रयोग के निवारण सहित सामाजिक सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता एसजेई	इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी कांगड़ा	565,889
		प्राकृतिक विकास हेतु राष्ट्रीय परिषद्	584,640
			1,150,529
92.	स्कीम : (0971) दीन दयाल अशक्त पुनर्वास स्कीम एसजेई	चेतना	1,577,380
		बाल कल्याण हेतु हि0प्र0 राज्य परिषद	1,219,922
		अन्धता हेतु राष्ट्रीय एसोशियेशन	817,227
		भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी	468,345
			4,082,874
93.	स्कीम : (0983) अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्गों हेतु नि:शुल्क कोचिंग एसजेई	एनआईआईटी शिमला सीसीटी	776,250
94.	स्कीम: (0960) अनुसंधान प्रशिक्षण सूचना एवं विविध को सहायता अनुदान एसजेई	मानव कल्याण सेवा समिति चौपाल शिमला हि0प्र0	617,030
95.	स्कीम : (0969) अशक्त लोगों को साजसमान तथा उपकरणों की खरीद के लिए सहायता स्कीम एसजेई	विकलांग ओपीसीएआर केन्द्र	3,412,000
96.	स्कीम : (0982) अनुसूचित जाति विकास निगम एसजेई	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निगम	19,408,000
97.	स्कीम : (1072) हैण्डीक्राफ्टस	भूटी बुनकर कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	180,500
		हिमाचल जनजातीय कॉपरेटिव पर्यटन एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप उद्योग	90,000
		महादेव हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्टस पीसीएस कॉपरेटिव सोसाइटी	254,662
		गणपति एचएल एचसी बुनकर उत्थान आईसीएस लिमिटेड कुल्लू	78,000
		दि हिल क्वीन एचएल एचसी विवरज़ वेलफेयर कॉपरेटिव इण्डस्ट्रीयल सोसाइटी	54,000
		दि हिमशक्ति एचएल एचसी कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कुल्लू	991,500
		हिमाचल प्रदेश हैण्डलूम एवं हैण्डीक्राफ्टस विकास कॉपरेशन	7,735,609
		दि मनु विवरज़ एचएल एचसी पीसीएस सीआईडब्ल्यू सोसाइटी लिमिटेड कुल्लू	90,000
		हि0 प्र0 स्टेट एचएल एण्ड एचसी विवरज़ एपेक्स कॉपरेटिव फेडरेशन कुल्लू	475,874
		जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चम्बा	195,098
		दि गाहर महिला एचएल एचसी विवरज़ शीप एण्ड रेबिट वूल	50,000
		सहायक निदेशक एचएमएसईसी कुल्लू हि0प्र0	513,861
		हिमाचल प्रदेश जनजातीय कॉपरेटिव पर्यटन एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप उद्योग	165,000

परिशिष्ट 1.5 लगातार ....

1.	2.	3.	4.
		न्यू मनाली एचएल एचसी पीसीएस सहकारी इण्डस्ट्रीयल वेलफेयर सोसाइटी कुल्लू	165,000
		दि हिमाचल प्रदेश राज्य एचएल एचसी डिवेलपमेन्ट सहकारी फेडरेशन लिमिटेड कुल्लू	361,000
		लोगों की शिक्षा हेतु न्यू हिमालयन संगठन	85,380
			11,485,484
98.	स्कीम : (1071) हैण्डलूम	हिमाचल प्रदेश स्टेट हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्टस डिवेलपमेन्ट कॉपरेशन	5,049,098
			5,049,098
99.	स्कीम : (1094) आईएचएमएस एफसीआईएस आदि को सहायता	आईएचएम शिमला हिमाचल प्रदेश	14,411,000
		हिमाचल प्रदेश पर्यटन सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार डीएस	20,000,000
		सचिव हिमाचल प्रदेश	20,000,000
		होटल प्रबन्धन सोसाइटी संस्थान	2,564,308
			56,975,308
101.	स्कीम : (1095) सेवा प्रदायकों को क्षमता निर्माण	हिमाचल प्रदेश सरकार	2,000,000
102.	स्कीम : (1097) आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू उन्नति एवं प्रचार	हिमाचल प्रदेश सरकार	1,800,000
103.	स्कीम : (1098) आवासीय संरचना को प्रोत्साहन	कार्यक्रम मण्डल एचएनआर	5,143,371
104.	स्कीम : (1106) गन्तव्य स्थानों एवं सरकिटों हेतु उत्पाद संरचना विकास	हिमाचल प्रदेश सरकार	262,612,000
105.	स्कीम : (1107) स्वयं सेवी संगठनों तथा प्रतिस्पर्धी परीक्षा हेतु जनजातीय विद्यार्थीयों को प्रशिक्षण के लिए अनुदान सहायता	रिन्चेन जांगपो जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश	500,000
		हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसियेशन हिमाचल प्रदेश	2,035,080
		स्पिति विकास हेतु रिन्चेन जांगपो सोसाइटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश	3,795,900
		बुद्धिस्ट फिलोस्पी जनजातीय कल्चरल सोसाइटी अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश	500,000
			6,830,980
106.	स्कीम: (1122) अनुसंधान एवं सामुहिक शिक्षा जनजातीय उत्सव एवं अन्य	सामाजिक एवं ग्रामीण विकास संगठन शिमला	117,500
107.	स्कीम : (1117) श्रेष्ठ संस्थान की स्कीम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का संस्थान	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर हिमाचल प्रदेश	109,950
108.	स्कीम : (1166) अनुसंधान एवं विकास	नियंत्रक सीएसके हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	1,750,000
109.	स्कीम : (1194) प्रकाशन एवं अनुश्रवण अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान	रूचि	303,056
110.	स्कीम : (1237) पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान	हिमाचल प्रदेश खेल परिषद	16,380,000
111.	स्कीम : (1212) राष्ट्रीय एकीकरण की उन्नति	एमडीवी जीव सेवा संस्थान	113,474
		यूथ होस्टल डलहौजी हिमाचल प्रदेश	66,000
112.	स्कीम : (1364) राष्ट्रीय ई-गवेर्नन्स कार्य योजना	हिमाचल प्रदेश	737,222,000
	जोड़		**9,776,610,528**

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 36)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचत प्रत्येक एक करोड़ रू0 से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	03	न्याय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	56.00	3.66	---
2.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	336.47	9.24	---
3.	06	आबकारी एवं कराधान (राजस्व-दत्तमत)	33.56	10.10	30
4.	08	शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	1,807.85	225.35	---
5.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	448.42	11.29	---
6.	11	कृषि (राजस्व-दत्तमत)	115.29	5.78	---
7.	15	योजनागत एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	42.63	15.06	35
8.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व-दत्तमत)	49.98	2.43	---
9.	20	ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत)	216.53	8.48	---
10.	21	सहकारिता (राजस्व-दत्तमत)	15.97	2.03	---
11.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत)	152.70	2.40	---
12.	23	विद्युत विकास (राजस्व-दत्तमत)	142.91	37.93	27
13.	25	सड़क एवं जल परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	59.07	1.53	---
14.	27	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व-दत्तमत)	52.40	4.32	---
15.	29	वित्त (राजस्व-दत्तमत)	1,234.01	57.00	---
16.	31	जनजातीय विकास (राजस्व-दत्तमत)	395.69	12.32	---
17.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	235.58	18.18	---
18.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत-दत्तमत)	69.94	16.24	---
19.	11	कृषि (पूंजीगत-दत्तमत)	44.15	1.13	---
20.	23	विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	309.25	15.00	---
21.	25	सड़क एवं जल परिवहन (पूंजीगत-दत्तमत)	73.72	35.71	48
22.	27	श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण (पूंजीगत-दत्तमत)	26.25	2.52	---
23.	29	वित्त (पूंजीगत-दत्तमत)	10.66	2.32	22
24.	29	वित्त (पूंजीगत-प्रभारित)	1,182.00	296.46	25

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 36)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक एक करोड़ रू0 से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		राजस्व-दत्तमत			
1.	10	लोक निर्माण- मार्ग, पुल एवं भवन	1,172.23	1,306.69	---
2.	12	बागवानी	80.32	81.50	---
3.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	895.24	1,235.99	38
4.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	106.85	110.93	---
5.	16	वन एवं वन्य प्राणी	245.43	265.85	---
6.	30	विविध सामान्य सेवाएं	32.87	33.89	---
		राजस्व-प्रभारित			
7.	29	वित्त	1,883.06	1,893.57	---
		पूंजीगत-दत्तमत			
8.	10	लोक निर्माण-मार्ग, पुल एवं भवन	328.09	332.24	---
9.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	460.68	486.37	---
10.	20	ग्रामीण विकास	1.34	1.96	46
11.	31	जनजातीय विकास	112.34	113.28	---
12.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	371.95	382.40	---
		जोड़	**5,690.40**	**6,244.67**	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 39)

गत वर्षों के प्रावधान से आधिक्य जिसका नियमन किया जाना अपेक्षित है

(करोड़ रूपए)

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा चरण
2003-04	15 अनुदान 7 विनियोजन	3,4,7,10,12,13,15,16,17,23,25, 26, 28, 30 एवं 31 1,2,4,5,9,19 एवं 29	4,515.60	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई, नियमन अपेक्षित है।
2004-05	21 अनुदान 4 विनियोजन	3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 20, 23,25, 26, 28, 30 एवं 31 15,17,19 एवं 29	3,095.14	लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई, नियमन अपेक्षित है।
2005-06	16 अनुदान 3 विनियोजन	5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,21,25, 26, 28,29 एवं 31 2,3 एवं 29	846.35	विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए लोक लेखा समिति प्रतिवेदन को 24.8.2009 को तैयार किया गया है।
2006-07	24 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,17,18,19, 20,21,22,24,26,27,28,29 एवं 31 2,4 एवं 29	896.59	विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए लोक लेखा समिति प्रतिवेदन को 24.8.2009 को तैयार किया गया है।
2007-08	18 अनुदान 3 विनियोजन	1,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18, 22, 25, 27 एवं 31 2,3 एवं 31	544.94	वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर प्राप्त हुए तथा वित्त विभाग/विधानसभा को लेखापरीक्षा टिप्पणियां भेजी गई। लोक लेखा समिति द्वारा अभी तक चर्चा नहीं की गई।
		जोड़	**9,898.62**	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 40)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 10 लाख रू0 अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(हजार रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	राजस्व (दत्तमत)				
1.	08-शिक्षा	1,76,36,427	1,58,24,920	18,11,507	4,42,041
2.	20-ग्रामीण विकास	21,37,049	20,80,497	56,552	28,252
3.	21-सहकारिता	1,57,117	1,39,426	17,691	2,569
4.	23-विद्युत विकास	14,25,131	10,49,834	3,75,297	3,983
5.	31-जनजातीय विकास	39,45,620	38,33,649	1,11,971	11,269
	जोड़	**2,53,01,344**	**2,29,28,326**	**23,73,018**	**4,88,114**
	सकल जोड़	**2,53,01,344**	**2,29,28,326**	**23,73,018**	**4,88,114 अथवा 48.81 करोड़**

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 40)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजन का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक एक करोड़ रू0 से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों तथा विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
1.	10	लोक निर्माण-मार्ग, पुल एवं भवन	1,167.50	4.74	1,172.24	1,306.69	134.45
2.	12	बागवानी	68.20	12.12	80.32	81.50	1.18
3.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	882.42	12.82	895.24	1,235.99	340.75
4.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	104.80	2.05	106.85	110.93	4.08
5.	16	वन एवं वन्य प्राणी	236.81	8.62	245.43	265.85	20.42
6.	30	विविध सामान्य सेवाएं	30.15	2.72	32.87	33.89	1.02
7.	29	वित्त	1,829.10	53.96	1,883.06	1,893.57	10.51
8.	10	लोक निर्माण-मार्ग, पुल एवं भवन	209.80	118.29	328.09	332.24	4.15
9.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	364.42	7.53	371.95	382.40	10.45
		जोड़	**4,893.20**	**222.85**	**5,116.05**	**5,643.06**	**527.01**

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 41)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(लाख रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)
1.	08	शिक्षा विभाग	2202-01-101-03	(-) 7,874.59	694.12
2.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-01	(-) 492.89	290.70
3.			2210-03-110-01	278.09	(-) 303.05
4.			4210-02-110-01	(-) 1,016.00	(-) 310.02
5.	10	लोक निर्माण-मार्ग, पुल एवं भवन	2059-80-053-05	461.90	456.82
6.			3054-03-103-10	5.20	699.74
7.			2059-80-053-03	(-) 1,097.90	(-) 1,757.60
8.			5054-03-337-01	(-) 484.33	296.43
9.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-001-01	24.50	326.29
10.			2215-01-001-02	257.50	2,870.97
11.			2215-01-001-02	6,812.00	333.74
12.			2215-01-102-03	10,625.00	1,197.61
13.			2215-01-799-03	240.00	16,314.78
14.			2702-80-001-02	23.00	1,763.64
15.			2215-01-101-03	6,800.00	238.37
16.			2702-80-001-01	41.00	(-) 807.87
17.			4215-01-102-01	2,859.30	2,956.92
18.			4215-01-102-08	3,600.00	(-) 3,060.66
19.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	2403-101-01	81.75	325.58
20.	16	वन एवं वन्य प्राणी	2406-01-001-02	777.45	2,041.51
21.	29	वित्त	2071-01-101-03	1,889.89	877.26
22.			2071-01-101-04	1,088.79	1,047.88
23.			2049-01-101-40	(-) 0.01	606.65
24.			2049-01-101-82	1,873.77	(-) 253.16
25.			2049-01-200-21	(-) 498.37	(-) 37,201.63
26.	31	जनजातीय विकास	2059-01-796-11	318.02	(-) 504.62
27.			2210-03-796-02	(-) 278.84	211.33
28.			2210-03-796-02	(-) 294.31	211.23
29.			2210-04-796-02	(-) 292.61	223.88
30.			2215-01-796-09	(-) 489.99	207.37
31.			2702-80-796-04	(-) 295.18	204.12
32.			2059-80-796-02	318.02	(-) 206.87
33.			2215-01-796-01	(-) 235.12	245.69
34.			2215-01-796-02	(-) 489.99	875.32
35.			2702-80-796-06	(-) 188.98	312.84
36.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	4711-01-789-01	9.81	409.10

परिशिष्ट–2.7

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 41)

वर्ष के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण की समीक्षा के परिणाम

क्रमांक	अनुदान की संख्या एवं विषय	स्कीम का नाम (लेखाशीर्ष)	अभ्यर्पण की राशि (लाख रू0)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
	08–शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में कमरों का निर्माण (4210-01-201-01)	3,000.00	100
संहिता औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	नहरें (4700-17-800-01)	4,350.00	100
लेखाशीर्ष में वर्गीकरण के परिवर्तन के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
		लघु सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत कमांद क्षेत्र विकास- केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (4705-313-01)	330.00	100
भारत सरकार से निधियां निस्तारित न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
	15–योजनागत एवं पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना	मुख्यालय (3451-101-01)	100.00	100
योजना दायित्वों को गैर–योजनागत स्कीम में परिवर्तन करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
	19–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	महिलाओं का उत्थान (2235-02-103-02)	283.00	100
योजना सिलिंग में कमी करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
	20–ग्रामीण विकास	राजीव गांधी आवास योजना (2216-03-102-02)	623.00	100
स्कीम के निष्पादन न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
	23–विद्युत विकास	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना/ नियामक विद्युत आयोग ऋण (6801-01-800-02)	1,500.00	100
योजना सिलिंग में कमी करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
	25–सड़क एवं जल परिवहन	रेल परिवहन (5055-800-02)	3,700.00	100
योजना सिलिंग में कमी करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
	31–जनजातीय विकास	राजीव गांधी आवास योजना (2216-03-796-07)	114.70	100
स्कीम में परिवर्तन के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
		ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय (2801-80-796-01)	155.00	100
संहिता औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				
		एआरडब्ल्यूएसपी के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम पर व्यय (4215-01-796-09)	125.00	100
स्कीम का निष्पादन न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।				

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 41)

एक करोड़ रू0 एवं इससे अधिक जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया की बचत का विवरण

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो कि अभ्यर्पण किए जाने के लिए रही
1.	2.	3.	4.	5.
1.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.24	11.60	4.64
2.	11-कृषि	5.78	4.72	1.06
3.	15-योजनागत एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	15.06	13.80	1.26
4.	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2.40	2.31	0.09
5.	29-वित्त	2.32	2.27	0.05
6.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	18.18	12.59	5.59
	जोड़	**59.98**	**47.29**	**12.69**

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 41)

31 मार्च, 2009 को 10 करोड़ रू0 से अधिक में निधियों के अभ्यर्पण के मामले

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	08	2202 साामान्य शिक्षा	231.96	13
2.	09	4210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	11.60	17
3.	13	4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	26.24	6
4.	23	2801 विद्युत	38.01	27
5.	23	6801 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	15.00	5
6.	25	5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	35.71	48
7.	29	2049 ब्याज भुगतान	13.67	1
8.	29	2071 पैंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	71.13	6
9.	29	6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	295.88	25
10	31	2215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता	12.15	3
		जोड़	**751.35**	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 41)

वास्तविक बचतों के आधिक्य में अभ्यर्पण (50 लाख रू0 अथवा इससे अधिक)

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
	राजस्व-दत्तमत				
1.	05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	336.47	9.24	12.12	2.88
2.	06-आबकारी एवं कराधान	33.56	10.10	10.34	0.24
3.	08-शिक्षा	1,807.85	225.35	232.43	7.08
4.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	448.42	11.29	11.42	0.13
5.	18- उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	49.48	2.43	2.46	0.03
6.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	226.62	0.75	1.65	0.90
7.	20-ग्रामीण विकास	216.53	8.48	8.75	0.27
8.	23-विद्युत विकास	142.91	37.93	38.22	0.29
9.	27-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	52.41	4.32	4.38	0.06
10.	29-वित्त	1,234.01	57.00	75.73	18.73
11.	31-जनजातीय विकास	395.69	12.32	43.34	31.02
	पूंजीगत-प्रभारित				
12.	29-वित्त	1,182.00	296.46	296.70	0.24
	पूंजीगत-दत्तमत				
13.	11-कृषि	44.15	1.13	1.15	0.02
	जोड़	**6,170.10**	**676.80**	**738.69**	**61.89**

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.13; पृष्ठ 42)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	स्कीम/सेवा का लेखाशीर्ष	जनवरी-मार्च 2009 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2009 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2009	मार्च 2009
1.	03-न्याय प्रशासन	4059-01-051-15	11.18	11.18	19.23	58	58
2.	08-शिक्षा	2202-01-111-01	16.12	16.12	29.80	54	54
3.	08-शिक्षा	2202-01-800-01	24.64	24.64	37.93	65	65
4.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-04	10.65	10.65	10.65	100	100
5.	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2059-80-053-06	15.79	12.86	24.40	65	53
6.	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	5054-03-101-01	12.22	12.22	21.64	56	56
7.	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	5054-337-01	17.64	17.64	26.08	68	68
8.	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	5054-337-06	41.25	41.25	71.25	58	58
9.	11-कृषि	4402-102-02	10.74	10.74	14.00	77	77
10.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-102-12	60.74	54.54	104.05	58	52
11.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-01 (सीओओएल)	20.61	20.61	28.57	72	72
12.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-01 (एसओएनएम)	84.49	79.69	99.71	85	80
13.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-12-800-02	13.05	13.05	14.00	93	93
14.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-101-06	27.77	18.18	34.33	81	53
15.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-102-19	13.27	13.27	16.25	82	82
16.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-102-02	13.26	13.26	17.44	76	76

(करोड़ रूपए)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	स्कीम/सेवा का लेखाशीर्ष	जनवरी-मार्च 2009 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2009 में किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2009	मार्च 2009
17.	29-वित्त	2049-01-101-25	11.62	11.62	11.62	100	100
18.	29-वित्त	2049-01-101-35	13.41	13.41	19.25	70	70
19.	29-वित्त	2049-01-101-40	12.16	12.16	18.25	67	67
20.	29-वित्त	2049-01-101-42	12.16	12.16	18.25	67	67
21.	29-वित्त	2049-01-101-49	11.00	11.00	11.00	100	100
22.	29-वित्त	2049-01-101-52	15.47	15.47	15.47	100	100
23.	29-वित्त	2049-01-101-54	16.00	16.00	16.00	100	100
24.	29-वित्त	2049-01-101-60	22.55	22.55	22.55	100	100
25.	29-वित्त	2049-01-101-82	65.21	65.21	75.61	86	86
26.	29-वित्त	2071-01-101-04	30.00	30.00	33.37	90	90
27.	29-वित्त	6003-01-109-18	101.30	101.30	141.06	72	72
28.	29-वित्त	6003-01-109-24	116.67	116.67	199.17	59	59
29.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4210-02-789-01	10.89	10.89	16.39	66	66
30.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4215-01-789-04	19.87	19.87	24.48	81	81
31.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4701-01-789-01	22.07	16.07	31.44	70	51

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 43)

वर्ष 2005-09 के लिए लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि (करोड़ रूपए)
1.	कृषि	32	0.16
2.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	0.13
3.	पर्यटन	3	0.12
	जोड़	**37**	**0.41**

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5 (iii); पृष्ठ 44)

31 मार्च, 2009 को विपरीत/नकारात्मक शेषों को दर्शाने वाली विवरणी

(रूपए में)

मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथशेष	जमा	ऋण	अन्तशेष
8848 स्थानीय निधि निक्षेप					
102-नगर निधि	नगर निगम बिलासपुर	(-) 73,612	0	0	(-) 73,612
	अधिसूचित क्षेत्र कमेटी चौपाल	106	0	50,00,000	(-) 49,99,894
	नगर निगम ऊना	1,22,573	0	1,99,960	(-) 77,387
8848-स्थानीय निधि निक्षेप					
109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति झण्डूता	(-) 11,976	0	0	(-)11,976
	पंचायत समिति सुजानपुर	(-) 23,418	7,114	42,746	(-) 59,050
	पंचायत समिति चौपाल	0	19,210	38,420	(-) 19,210
	पंचायत समिति गोहर	11,966	0	67,570	(-) 55,604
	पंचायत समिति चम्बा	1,73,634	0	10,86,358	(-) 9,12,724
	पंचायत समिति ऊना	21,684	14,942	39,800	(-) 3,174
	जोड़	**2,20,957**	**41,266**	**64,74,854**	**(-) 62,12,631**

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 49)

31 मार्च, 2009 तक बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(रूपए में)

क्रमांक	विभाग	अनुदान की अदायगी का वर्ष	कुल अदा किए गए अनुदान		उपयोगिता प्रमाणपत्र			
					प्राप्त		बकाया	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	ग्रामीण विकास							
	2505	2001-02	36	26566406	7	4621000	29	21945406
		2002-03	21	25304650	10	2182913	11	23121737
		2003-04	74	71003021	15	19089639	59	51913382
		2004-05	47	67012220	18	25672852	29	41339368
		2005-06	40	62913089	9	14300530	31	48612559
		2006-07	52	101796676	4	5841378	48	95955298
		2007-08	66	201800930	17	25808229	49	175992701
	2515	2000-01	95	35646602	76	12912457	19	22734145
		2001-02	264	160596874	93	97453804	171	63143070
		2002-03	158	183413854	108	61370674	50	122043180
		2003-04	299	203972512	115	85714990	184	118257522
		2004-05	355	208252976	7	5671438	348	202581538
		2005-06	618	335532627	48	22370666	570	313161961
		2006-07	707	669889545	127	179435951	580	490453594
		2007-08	918	958246108	233	140020543	685	818225565
	2216	2000-01	5	1437160	5	1437160	0	0
		2001-02	6	36196	6	36196	0	0
		2002-03	1	5580000	1	5580000	0	0
		2003-04	16	19381568	10	8368500	6	11013068
		2004-05	36	27131838	13	16788600	23	10343238
		2005-06	40	52143897	20	24550500	20	27593397
		2006-07	53	103209968	22	61156200	31	42053768
		2007-08	104	181394255	21	65532300	83	115861955
	2501	2000-01	2	41578032	0	0	2	41578032
		2004-05	52	72232178	14	6623400	38	65608778
		2005-06	72	55681198	22	11373200	50	44307998
		2006-07	96	127032633	30	17110200	66	109922433
		2007-08	142	127071100	31	16108900	111	110962200
2.	शिक्षा							
	2202	2004-05	38	261736111	4	1219891	34	260516220
		2005-06	55	377625274	5	2743206	50	374882068
		2006-07	3169	398378917	106	3422125	3063	394956792
		2007-08	12780	1149057630	431	247393909	12349	901663721
3.	शहरी विकास							
	2217		47	625147889	31	393394000	16	231753889
	3054		1	50000000	0	0	1	50000000
			1	50000000	0	0	1	50000000
4.	पशुपालन							
	2403		1	2000000	0	0	1	2000000
			9	50789000	0	0	9	50789000
	2404		7	102200000	6	99200000	1	3000000

5.	सहकारिता							
	2408	2003-04	4	860369	4	860369	0	0
		2004-05	34	1363508	26	1128000	8	235508
		2005-06	39	1336507	2	199000	37	1137507
		2006-07	65	3928885	42	1417592	23	2511293
		2007-08	21	2738364	10	606475	11	2131889
	2425	2004-05	13	390000	13	390000	0	0
		2005-06	68	789229	68	789229	0	0
		2006-07	130	6651000	123	6579932	7	71068
		2007-08	217	9867590	132	8463492	85	1404098
6.	खेल एवं युवा कल्याण							
	2204	2005-06	4	11642964	0	0	4	11642964
		2006-07	28	20986596	13	9980250	15	11006346
		2007-08	28	25993126	3	6313000	25	19680126
7.	पर्यटन							
	3452	1998-99	1	13700000	0	0	1	13700000
		2004-05	1	515000	0	0	1	515000
		2005-06	1	430000	0	75000	1	355000
8.	उद्योग							
	2851	1998-99	1	865516	0	0	1	865516
		2000-01	1	149660	0	79660	1	70000
		2001-02	14	902350	0	0	14	902350
		2002-03	17	3828574	11	2939580	6	888994
		2003-04	26	1297472	2	323177	24	974295
		2004-05	44	16091376	7	10040949	37	6050427
		2005-06	48	17120573	2	7855413	46	9265160
		2006-07	3958	24214398	2987	11359228	971	12855170
		2007-08	178	63818627	8	33962400	170	29856227
9.	कृषि							
	2415	2006-07	8	4580000	8	4580000	0	0
		2007-08	97	590053000	18	81200000	79	508853000
	2401	2007-08	9	12000000	9	12000000	0	0
10.	वन							
	2406	2006-07	6	44942088	5	44436741	1	505347
		2007-08	12	108956049	2	55175760	10	53780289
11.	कला एवं संस्कृति							
	2205	2004-05	21	6625193	0	900000	21	5725193
		2005-06	105	13066800	4	100000	101	12966800
		2006-07	298	39129950	7	17789500	291	21340450
		2007-08	267	16313250	10	7314000	257	8999250
12.	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य							
	2210	1997-98	3	50000	3	50000	0	0
		2003-04	7	1294525	2	650000	5	644525
		2004-05	5	556000	0	0	5	556000
		2005-06	5	3450000	1	3000000	4	450000
		2006-07	7	1150000	0	0	7	1150000
		2007-08	6	1050000	0	0	6	1050000

13.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं							
	2070	2007-08	14	20000000	0	0	14	20000000
14.	विधानसभा							
	2011	2007-08	4	722077	0	0	4	722077
15.	सामान्य प्रशासनिक सेवाएं							
	2075	2006-07	9	12824750	0	0	9	12824750
		2007-08	18	21154626	0	0	18	21154626
16.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता							
	2225	2006-07	29	85147000	0	0	29	85147000
		2007-08	38	115990559	0	0	38	115990559
	2235	2006-07	166	69739893	3	906448	163	68833445
		2007-08	290	148166767	32	19909454	258	128257313
	2250	2005-06	1	102511	1	102511	0	0
		2006-07	1	88741	0	0	1	88741
		2007-08	1	26470	0	0	1	26470
17.	मत्स्य							
	2405	2007-08	11	2405000	11	2405000	0	0
18.	योजनागत							
	3451	2006-07	3	3622261	0	0	3	3622261
		2007-08	3	4000000	0	0	3	4000000
19.	आबकारी एवं कराधान विभाग							
	3604	2005-06	3	7267138	3	7267138	0	0
		2006-07	12	15523684	12	15523684	0	0
		2007-08	16	31530000	16	31530000	0	0
20.	विद्युत							
	2801	2007-08	2	5099751	0	0	2	5099751
	2810	2007-08	2	11200000	2	11200000	0	0
21.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी							
	3425	2005-06	1	8000000	0	0	1	8000000
		2006-07	4	9066000	0	0	4	9066000
		2007-08	10	8898000	4	2846000	6	6052000
22.	नागरिक आपूर्ति							
	3456	2006-07	1	210000	1	210000	0	0
23.	पारिस्थितिकी पर्यावरण							
	3435	2006-07	8	600000	0	0	8	600000
		2007-08	8	5061000	0	0	8	5061000
24.	श्रम एवं रोजगार							
	2230	2007-08	2	2375179	2	2375179	0	0
25.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं							
	2052	2007-08	9	4700000	9	4700000	0	0
	2251	2007-08	2	9425500	0	0	2	9425500
26.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी							
	3454	2007-08	30	545634	0	0	30	545634
			26978	**8868984014**	**5283**	**2114039512**	**21695**	**6754944502**

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 49)

स्वायत निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सौंपने की तिथि	वर्ष जब तक लेखे सौंपे गए	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी किया गया	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रखना	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	विलम्ब अवधि
1.	हि०प्र० राज्य पशु-चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06	2007-08	2007-08	2004-05 वर्ष तक	2008-09	लगभग तीन महीने का विलम्ब
2.	हि०प्र० राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला	2007-08 (1998-99 से 2006-07 तक लेखापरीक्षा के अन्तर्गत आवृत अवधि)	2008-09	2007-08	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अभी नहीं रखा गया	विलम्ब नहीं	विलम्ब नहीं
3.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, शिमला		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	सभी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा पहली बार की जा रही है एवं लेखापरीक्षा जारी है।
4.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, सोलन		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
5.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, हमीरपुर		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
6.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, धर्मशाला		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
7.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, ऊना		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
8.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, मण्डी		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
9.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नाहन		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
10.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
11.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चम्बा		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
12.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, रिकांगपिओ		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	
13.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, कुल्लू तथा लाहौल एवं स्पिति		2008-09	प्रथम लेखापरीक्षा	--	--	

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 50)

दुर्विनियोजन, जालसाजी, आदि के मामलों का विभागीय वार/अवधि वार ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	2	2.19	1	0.71	3	1.00	--	--	1	0.59	1	0.14	8	4.63
2.	ग्रामीण विकास	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
3.	कृषि	2	9.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	9.46
4.	भू राजस्व	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	--	--	1	2.57
5.	पुलिस	1	0.85	1	0.66	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1.51
6.	राजस्व	--	--	1	0.30	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.32
7.	गृह रक्षा	--	--	2	25.37	--	--	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
8.	पशुपालन	1	0.17	--	--	1	0.42	--	--	--	--	2	0.94	4	1.53
9.	निदेशक आयोजना	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
10.	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	--	--	1	2.96	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.96
11.	स्वास्थ्य	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
12.	वन	--	--	1	2.38	--	--	--	--	1	0.20	1	0.20	3	2.78
13.	लोक निर्माण कार्य	--	--	2	5.27	5	3.21	2	1.85	3	0.28	5	2.72	17	13.33
14.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.89	1	0.02	1	7.69	1	0.25	1	0.06	--	--	5	8.91
	जोड़:	**9**	**17.48**	**11**	**37.67**	**11**	**14.89**	**3**	**2.10**	**6**	**1.13**	**11**	**4.07**	**51**	**77.34**

सी: मामलों की संख्या

ए : राशि (लाख रूपए)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भः परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 50)

चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के सम्बन्ध में विभाग/श्रेणीवार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		जोड़	
	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रूपए)
शिक्षा	2	2.19	6	2.44	8	4.63
ग्रामीण विकास	--	--	1	--	1	--
कृषि	--	--	2	9.46	2	9.46
भू राजस्व	--	--	1	2.57	1	2.57
पुलिस	--	--	2	1.51	2	1.51
राजस्व	--	--	2	0.32	2	0.32
गृह रक्षा	--	--	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	--	--	4	1.53	4	1.53
निदेशक आयोजना	--	--	1	2.97	1	2.97
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	--	--	1	2.96	1	2.96
स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	1	0.95
वन	--	--	3	2.78	3	2.78
लोक निर्माण कार्य	2	0.77	15	12.56	17	13.33
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
जोड़	**5**	**3.21**	**46**	**74.13**	**51**	**77.34**